LOK SABHA DEBATES

Dated....12.12.2011

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

LOK SABHA

Thursday, 15th September, 1955

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See* Part I)

12 NOON

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

FIFTEENTH REPORT

Shri V. B. Gandhi (Bombay City—North): I beg to present the Fifteenth Report of the Public Accounts Committee (1954-55) on the Appropriation Accounts (Civil), 1950-51 and Audit Report (Civil), 1952—Parts I and II etc.,—Vol. I.

YOUNG PERSONS (HARMFUL PUBLICATIONS) BILL

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent the dissemination of certain publications harmful to young persons.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prevent the dissemination of certain publications harmful to young persons."

The motion was adopted.

Pandit G. B. Pant: I introduce the Bill.

MOTIONS *re* REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1953 AND 1954—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now resume further discussion of the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1953 and 1954. Members who want to move substitute motions relating to the report for 1954 will kindly hand over the numbers of their motions to the Secretary at the Table within 15 minutes.

Shri Jangde (Bilaspur—Reserved—Sch. Castes): May I make a request? There is some spare time in the hands of the Business Advisory Committee and there are a large number of Members who are anxious to speak. Therefore, the time fixed for this item, namely, ten hours, may be extended.

Mr. Speaker: He should have made the request to the Members of the Committee privately, and it could have been considered by the Business Advisory Committee. I do not think we can now consider it here. Still we shall watch the progress and see. I believe these ten hours or twelve hours were fixed long long ago; it was during last session I believe.

Shri Velayudhan (Quilon *cum* Mavelikkara—Reserved—Sch. Castes): It was fixed for one year's report.

Mr. Speaker: If the hon. Member so wishes, I may curtail the time for a speech from 15 minutes to 10 minutes so that more Members can be accommodated.

Shri Barman (North Bengal—Reserved—Sch. Castes): May I intervene. Sir? If we limit the time, really we may not be able to do justice to the subject within 10 minutes—even in 15 minutes, it is difficult.

Mr. Speaker: I do not intend to curtail, I said it only as a counter proposal to the hon. Member who wanted to extend the time.

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : कल मैं कह रही थी कि हरिजनों के जो एम० ए० और बी० ए० पास लड़के हैं उनको केन्द्रीय सरकार में बड़ी नौकरियों में नहीं लिया जाता है। उनमें से बहुत से योग्य भी हैं लेकिन फिर भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जो हरिजन नौकरियों में हैं उन को २०–२० और २५–२५ वर्ष त एक ही स्थान पर रखा जाता है, वहीं पर वह घिसटते हैं और उनको एक भी प्रमोशन नहीं दी जाती है।

अब आप एम्पलायमेंट एक्सचेंजों की बात ले लीजिये। एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में जिन लोगों को लिया जाता है उनके बारे में पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किन को लेना है। यह भी ठीक बात नहीं है।

मैंने रिपोर्ट में यह देखने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश सरकार की नौकरियों में कितने हरिजन ऐसे हैं जो कि स्थायी हैं और कितने ऐसे हैं जो कि अस्थायी हैं लेकिन मुझे यह इनफारमेशन उसमें नहीं मिली। इसके साथ साथ में कहना चाहती हूं कि जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है जितनी जगहें उनके लिये सुरक्षित रखी गई हैं उन पर हरिजनों के सिवा किसी दूसरी जाति के लोगों को न लिया जाये।

शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि सरकार ने स्कालरशिप देने की बात कही है। मैं कहती हूं कि यह जो स्कालरशिप की रकम दी जाती है वह बहुत देर से दी जाती है जिस से कि शुरू शुरू में जो खर्चा होता है वह हरिजनों के लिये खर्च करना बहुत कठिन होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वे बेचारे जो रुपया उन्हें शुरू शुरू में खर्च करना पड़ता है उसको वह अपने पास से खर्च कर नहीं पाते और उनको घर में बैठना पड़ता है इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उनको स्कालरशिप की आधी रकम अगस्त में दे दी जाया करे जिस से कि जो शुरू का खर्च होता है वह वे लोग कर सकें और बाकी की जो आधी रकम है वह बाद में उनको दी जा सकती है।

अब मैं मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये जो होस्टल हैं उन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। उनमें कितने ऐसे हैं जिनकी ऐसी हालत है कि वहां पर विद्यार्थियों का प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। महाकौशल की २०,००० की आबादी है और वहां पर एक भी होस्टल नहीं है। गांव से जो हरिजन विद्यार्थी आते हैं उनको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अकेले लड़कों को कोई भी अपने घर में रहने के लिये जगह देना पसन्द नहीं करता। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि वहां पर होस्टल बनावायें जायें।

जो हरिजन स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा का भी ठीक प्रबन्ध नहीं है। वह भी बहुत ही शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का भी प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूं कि जो हरिजन लड़कियां हैं और जो स्कूलों में जाती हैं उन सब को पांचवीं से लेकर मैट्रिक तक स्कालरशिप दिया जाय ताकि वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ सकें। स्त्रियों को भी महिला समाज कल्याण योजना के अन्तर्गत सरकार को चाहिये कि वह सहायता दे ताकि उनकी उन्नति हो सके। हमारे मध्य प्रदेश में इस साल ही हरिजनों के लिये फ्री एजुकेशन हो गई है। इस पर कई लोग यह कहते सुने गये हैं कि सरकार तो हरिजनों की ससुर बन गई है कि वह उनको इस प्रकार की सुविधायें दे रही है। इसी तरह से और कई प्रकार की बातें कही जाती हैं। जबकि बम्बई में, हैदराबाद,

लखनऊ इत्यादि में फ्री एजुकेशन होने के साथ साथ स्कालरशिप भी दिये जाते हैं और किताबें इत्यादि भी दी जाती हैं। कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में मुझे यह पता नहीं लगा कि मध्य प्रदेश सरकार को हरिजनों की भलाई के लिये जितना भी रुपया दिया गया है उसको किस प्रकार से खर्च किया गया है, यह आंकड़े इस रिपोर्ट में नहीं दिये गये हैं। मैंने देखा है कि जिन प्रान्तों में हरिजन कम हैं उनको उन प्रान्तों के मुकाबले में जहां पर कि हरिजन ज्यादा हैं, ज्यादा रुपया दिया जा रहा है। अब आप देखिये कि यहां पर दिल्ली में तकरीबन दो लाख हरिजन हैं और दिल्ली सरकार को दो करोड़ रुपया दिया जा रहा है और इसके मुकाबले में मध्य प्रदेश को जहां पर कि हरिजनों की आबादी ३५ या ३६ लाख है केवल चार करोड़ रुपया ही दिया जा रहा है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार से और कई प्रकार की बेइंसाफियां होती हैं। सेना में हरिजनों को उनकी आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। बहुत कम संख्या में यह लोग सेना में लिये गये हैं। यही पुलिस का हाल है। पुलिस में भी हरिजनों को एक वजह से या दूसरी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी मुझे एक केस याद है।

बनवारी लाल नाम का एक हरिजन लड़का था। वह पुलिस में भरती होने के लिये गया। वह हर प्रकार से फिट था और उसको केवल यह कह कर कि तुम्हारी छाती ३३ इंच नहीं है ३२ इंच है इसलिये तुम नहीं लिये जा सकते न लिया गया। मैं जानती हूं कि उसको जानबूझ कर नहीं लिया गया। हमारे सदन के बाहर ऐसे कितने ही पुलिस मैन हैं जिनको अगर उसकी तुलना में खड़ा किया जाय तो उससे कम ही दिखेंगे, उनसे मैं उसे किसी से भी किसी भी सूरत में कम नहीं समझती हूं। यह बात ऐसी है जो कि जानबूझ कर की गई है। इसी प्रकार की और भी बहुत सी बातें हैं जो कि आपको बतलाई जा सकती हैं। गांवों में छुआछूत के बारे में बहुत से झगड़े होते रहते हैं जो कि प्रकाश में नहीं आते। अखबार भी इन चीजों को छापने से हिचकिचाते हैं। हाल में मैं एक हरिजन बस्ती में जिसका नाम कि शेरशाह मैस है वहां पर एक मीटिंग के सिलसिले में मैं गई। वहां पर मुझे बताया गया कि बुलन्दशहर में एक गांव है टियाना जहां पर कि एक हरिजन लड़के को जो कि दसवीं क्लास में पढ़ता था और जिसको स्कालरशिप मिलती थी, बड़ा होनहार लड़का था उसे जान से मार दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसी जितनी भी बातें होती हैं इन सब की जांच कराई जाये ताकि आगे से ऐसी बातें न होने पाएं ।

साथ ही साथ मैं यह भी चाहती हूं कि हरिजनों के लिये एक अलाहदा मिनिस्टरी बनाई जाये जो कि इन बातों को देख सके और इन को दूर कर सके। पाकिस्तान से जो शरणार्थी भाई आये हैं, मैं यह जानती हूं कि वे वहां पर सब कुछ छोड़ कर और उजड़ कर आये हैं, उन के लिये, जो कि तकरीबन ७५ या ८० लाख हैं, एक अलग मिनिस्टरी बना दी गई है, लेकिन इन हरिजनों के लिये जिन की तादाद ९–१० करोड़ के करीब है उनके लिये क्यों एक अलग मिनिस्टरी नहीं बनाई जा सकती ।

इन सब बातों को देखते हुए और हरिजनों की उन्नति की इस धीमी रफ्तार को देखते हुए मैं समझती हूं कि संविधान द्वारा निश्चित अवधि के जो बाकी चार वर्ष रह गये हैं, उन में हरिजनों की कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकेगी। मेरा सुझाव है कि इस रफ्तार को तेज करने के लिये और इस बात की जांच करने के लिये

[श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर]

कि संविधान के द्वारा जो सुविधायें हरिजनों को दी गई हैं, वे वास्तव में उन को दी जा रही हैं या नहीं, एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो प्रत्येक राज्य से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करे और देखे कि इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ।

श्री बर्मन : आज हम एक महान् राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहे हैं । हम जानते हैं कि इस प्रकार की समस्यायें हमारे सामने एक नहीं, अनेक हैं—इतनी समस्यायें हमारे सामने आ गई हैं कि हमारी मंत्री महोदय किधर देखें और किधर न देखें । जिस प्रकार हमारी अन्न की समस्या है और इंडस्ट्रीज़ की पैदावार बढ़ाने की समस्या है, उसी प्रकार यह समस्या भी हमारे सामने आई है, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या का महत्व दूसरी समस्याओं से कम नहीं है, बल्कि अधिक है और यदि इसको समय पर हल न किया गया, तो हिन्दुस्तान की अच्छी तरह तरक्की नहीं हो सकती है ।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ की वाणी है कि जब तक पिछड़े हुए लाखों और करोड़ों भारतवासियों की तरक्की नहीं होगी, तब तक भारत की समस्या हल नहीं हो सकती यह बात बिल्कुल सच है । यह बहुत खुशी की बात और बहुत आनन्द की बात है कि आज पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस समस्या को अपने हाथ में ले लिया है । मैं जानता हूं कि—यू० पी० के हमारे जो हरिजन भाई हैं, उन्होंने हम को यह जानकारी दी है—यू० पी० में इस समस्या को हल करने के लिये पंडित पन्त ने बहुत प्रयत्न किया है और बहुत हद तक इसको मिटाया है । यह बात ठीक है कि सारे हिन्दुस्तान में यू० पी० एक बहुत बड़ा टुकड़ा है और इस लिये यू० पी० की समस्या के हल हो जाने से सारे हिन्दुस्तान की समस्या भी हल हो जायगी । कई भाई कहते हैं कि जो यू० पी० है, दैट इज़ भारत—यू० पी० ही भारत है । पहले तो मद्रास ही भारत में एक बड़े भाई के समान था, लेकिन अब यू० पी० बन गया है और जो यू० पी० की देख-भाल करने वाला था, वह आज यहां आ गया है—उसने सारे हिन्दुस्तान के बोझ को अपने माथे पर ले लिया है । हमारे लिये यह बड़ी खुशी की बात है । इस समस्या को हल करने के लिये अब वह बड़ा भाई हमारे पास आ गया है और इससे हम निश्चिन्त हो गये हैं कि अब हमारी तरक्की और भलाई होगी । जैसा वह हम को बतलायेंगे, वैसा हम लोग करते रहेंगे ।

यह कहने के बाद मैं श्रीकान्त भाई को बधाई देना चाहता हूं । इस रिपोर्ट को हम तो श्रीकान्त रिपोर्ट समझते हैं । इसको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की रिपोर्ट कोई नहीं कहता है । श्रीकान्त भाई की क्या जाति है, यह हम नहीं जानते हैं । हम तो यह जानते हैं कि वह हमारे दर्द को समझते हैं और यह भी समझते हैं कि इसकी क्या दवाई है । वह हमारे लिये बहुत काम करते हैं और इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । उनके दिल में इतना दर्द है, परन्तु उसकी दवाई इतनी कम है कि वह सारी देह के लिये काफी नहीं है । फिर भी चंकि श्रीकान्त भाई ने कुछ उपाय बताये हैं और एक बड़ा भाई यहां आ गया है और उसने सारे बोझ को अपने माथे पर ले लिया है, इस लिये हम को शान्ति हो गई है ।

अब मैं दो चार बातें कहना चाहता हूं । समय बहुत कम है, इस लिये केवल दो एक बातें संक्षेप में कहूंगा ।

पहली बात यह है कि हमारे सब दुखों और असुविधाओं को दूर करने के लिये

सब से पहले शिक्षा की तरफ़ कदम उठाये जाने चाहियें । हम लोग समझते हैं कि अगर हम शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और लिख पढ़ जायेंगे, तो हमारा बहुत कुछ दर्द और तकलीफ़ दूर हो जायेंगे । जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे दुख दूर नहीं होंगे । दुनिया की तरफ़ देखते हुए भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार— सेंट्रल गवर्नमेंट— ने हमारी जो मदद की, उस के लिये मैं उसको हर वर्ष बधाई देता हूं और इस वर्ष भी देता हूं । परन्तु मैं उनका ध्यान एक आवश्यक बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । इस रिपोर्ट में हम ने देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स स्कालरशिप बोर्ड के सामने यह मामला आया कि फ़ाइनेन्स मिनिस्ट्री शिड्यूल्ड कास्ट्स के बड़े डिविजन वालों को स्कालरशिप नहीं देना चाहती है । और इस के लिये आर्गूमेंट यह रखा गया कि अन-एम्पालायमेंट प्राबलम दिन प्रति दिन बढ़ रही है और अगर हम बड़े डिविजन में परीक्षा पास करने वालों को भी छात्र-वृत्तियां देंगे, तो यह प्राबलम तो और भी बढ़ जायगी । मैं तीन बरस तक इस बोर्ड का मेम्बर था । मैं इस प्राबलम को कुछ समझता हूं । आप आंकड़ों की तरफ देखिये । आप को मालूम होगा कि पहले सिर्फ एक हज़ार से कम लड़के कालेजों में पढ़ते थे । उसके बाद हम लोगों के कहने से होम मिनिस्ट्री और फ़ाइनेन्स मिनिस्ट्री ने मदद दी । उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ बरसों तक सभी एलिजिबल केन्डीडेट्स को स्कालरशिप देते रहेंगे । हमारे समाज पर इस बात का इतना असर हुआ कि जो भाई पहले अपने लड़कों को कालेज में नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उन के पास पढ़ाने के लिये खर्चा नहीं था, वे अब अपने लड़कों को कालेजों में भर्ती करा देते हैं । सन् १९५२–५३ में उससे डबल हो गये और सन् १९५३–५४ और १९५४–५५ में चौगुने हो गये । यह समझिये कि ये लड़के सारे हिन्दुस्तान के हैं । इनको इस प्रकार की सहायता केवल केन्द्र की ओर से मिलती है राज्य सरकारें इस प्रकार की सहायता नहीं देतीं । इस प्रकार से आठ दस हजार लड़के सारे हिन्दुस्तान में होंगे । मैं नहीं समझता कि इन आठ दस या बीस हजार लड़कों के कारण ही अनएम्पलायमेंट का प्राबलम बढ़ जायगा । अगर मिनिस्ट्री का ऐसा ख्याल है तो हम समझते हैं कि हमारा भविष्य अन्धकारमय है । हम उस समय तक कोई उन्नति नहीं कर सकते जब तक कि केन्द्रीय सरकार हमारी शिक्षा की समस्या को हल नहीं करती । सारे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति करने का काम होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर साहब के अधीन है । मेरी उनसे नम्र विनती है कि सरकार जो कदम हमारी शिक्षा में उन्नति करने के लिये आगे बढ़ा चुकी है उसको पीछे न ले जावे ।

इसके बाद नौकरी का प्रश्न आता है । उसके बारे में हमारे दूसरे भाई कहेंगे । मैं इस बारे में अपने भाषण में केवल एक बात कह देना चाहता हूं । मुझे इस विषय में कहने को तो बहुत कुछ है पर समय कम है इसलिये मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं । एक बार श्री दातार ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया था कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब वालों का नौकरी का कोटा जो कि रिजर्व किया गया है वह किस तरह से पूरा हो इस पर सरकार विचार कर रही है । हम देखते हैं कि इतना समय हुआ कि मिनिस्ट्री ने हमारा कोटा तै कर दिया है पर हम इस पर अमल होते नहीं देखते । इस पर अमल क्यों नहीं होता है, और इस पर किस तरह से अमल हो सकता है, इस पर दातार साहब ने कहा कि सरकार विचार कर रही है । हम नहीं जानते कि अभी तक इस पर

श्री बर्मन]

विचार हो चुका या नहीं। तो नौकरी के विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् १९५४-५५ में १७१ शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के आई० ए० एस० की परीक्षा के लिये पबलिक सरविस कमीशन के सामने उपस्थित हुए, और ८२ लड़के आई० पी० एस० परीक्षा के लिये पबलिक सरविस कमीशन के सामने उपस्थित हुए, लेकिन उनमें से एक भी लड़का नहीं चुना गया। हमारे लड़के जो मैडिकल कालेज में भरती होते हैं वे एम० बी० परीक्षा में पास होते हैं, जो लड़के केन्द्रीय सरकार की सहायता से इंजिनियरिंग कालेजों में भरती होते हैं वहां भी वे परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन जब वे पबलिक सरविस कमीशन के आगे जाते हैं तो पास नहीं होते। मैं इस कारण पबलिक सरविस कमीशन की कोई शिकायत नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस कारण हम पबलिक सरविस कमीशन से नाराज हैं। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जहां गलती हो उसका सुधार होना चाहिये। यह देखना चाहिये कि क्या कारण है कि वे कालिजों की परीक्षाओं में पास हो जाते हैं और पबलिक सरविस कमीशन की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। कई लड़के जो कि लिखित टस्ट में पास हो जाते हैं, वे वाइवा वोसी में फेल हो जाते हैं। अब आप सोचिये कि इसका क्या कारण है। आप देखिये कि वे किस वातावरण में रहते हैं, किस बातावरण में पैदा होते हैं और किस बातावरण में शिक्षा पाते हैं। आप देखें कि वे किस प्रकार के कालिजों में शिक्षा पाते हैं। ये लोग नीची श्रेणी के छोटे छोटे कालिजों में शिक्षा पाते हैं, जहां पर न अच्छे प्रोफेसर होते हैं और न जिन कालिजों की आर्थिक अवस्था ही अच्छी होती है। तो ये लोग आर्थिक दुरवस्था में इन छोटे छोटे कालिजों में शिक्षा पाते हैं। इस कारण जो हाई क्लास सोसाइटी के जो लड़के हैं उनका ये मुकाबला कैसे कर सकते, हैं। ये उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो मैं इसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिये कि सारे हिन्दुस्तान में कोई अपर कास्ट वाले न होते, बल्कि सारे के सारे ४० करोड़ लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होते। तो क्या आप इंगलैंड से अंग्रेजों को यहां का काम काज चलाने के लिये बुलाते? कभी नहीं। तो फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं लेते। आपके यहां सरविसेज में जितने परमानेंट आदमी हैं उतने ही करीब टेम्पोरेरी हैं। इनको टेम्पोरेरी लोगों में क्यों न लिया जाय। अगर ये क्लास १ और क्लास २ के योग्य न हों तो इनको क्लास ३ में ही प्रोवाइड कीजिये। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन लड़कों के माता पिता को, जो इनको गांवों से शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजते हैं, बहुत निराशा होगी। वे लोग सोचेंगे कि इतना पढ़ाने लिखाने पर भी जब लड़कों को नौकरी नहीं मिलती तो इनका भविष्य क्या है। उनको देखकर दूसरे लड़कों के मां बाप भी सोचेंगे कि भाई लड़कों को पढ़ाना बेकार है, क्योंकि न तो पढ़ने के बाद उनको नौकरी मिलती है और न वे हमारे व्यवसाय को ही चलाने की योग्यता प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार शिक्षा देने में लोगों का उत्साह कम हो जायगा। आप चाहे हिन्दुस्तान का कितना ही इडस्ट्रियल डेवेलपमट करें, चाहे आप चार की जगह चालीस स्टील प्लांट खड़े कर दें, लेकिन जब तक यहां के ८० प्रतिशत लोग गिरी हुई अवस्था में रहेंगे यह देश उठ नहीं सकेगा। हम लोग तो आज अपने देश में भिक्षुक से बने हुए हैं। भगवान ने हम लोगों की ऐसी हालत बनायी है। फिर हम लोग सोचते हैं कि देश आजाद हो गया है, शायद हमारी स्थिति में भी परिवर्तन होगा, हम लोगों की तरफ भी हमारे बड़े भाई जरूर देखेंगे। हमें इस बात का विश्वास है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की हो, हम भी उस में पूरा पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्री काजरोल्कर (बम्बई नगर– उत्तर–रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह जो श्रीकान्त भाई की शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में सन् १९५३–५४ की रिपोर्ट पेश हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे बड़ा अफसोस है कि इस रिपोर्ट पर, जो कि १९५३–५४ की है, दो साल बाद सन् १९५५ के आखीर में बहस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहब ने जो सिफारिशें की हैं उन पर अमल होने को है लेकिन इस पर दो साल बीत जाने के बाद विचार हो रहा है। अब जब कि तीसरी रिपोर्ट लिखने का समय आ गया है, तो हमको श्रीकान्त भाई की सन् ५३–५४ की रिपोर्ट पर बहस करने का मौका मिला है।

मैं बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी और संसद् कार्य मंत्री से विनती करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये प्राथमिकता रखी है, उसी तरह मेहरबानी करके शेडयूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट को भी प्राथमिकता दी जाय। सन् ५४ की रिपोर्ट बहुत विस्तृत है और उसमें बहुत भली प्रकार से हम लोगों की बाबत लिखा गया है और हम हरिजनों को जो-जो कठिनाइयां और दिक्कतें हैं उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में उस रिपोर्ट में हमारे श्रीकांत भाई ने लिखा है और इसके लिये मैं उन्हें धन्यबाद देता हूं। उन्होंने स्वयं हरिजनों की दशा को विभिन्न प्रान्तों और राज्यों में जा कर देखा है और अध्ययन किया है कि कौन-कौन सी और क्या-क्या कठिनाइयां हरिजनों को पेश आती हैं और शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर ने अपनी इस रिपोर्ट में उनके निराकरण के लिये बहुत ही उपयोगी सुझाव सरकार को दिये हैं और अनेकों सिफ़ारिशें भी की हैं कि अमुक-अमुक बातें उनके लिए सरकार को करनी चाहियें लेकिन अभी तक का हमारा अनुभव हमें यही बताता है कि चीजें तो बहुत लिखी जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है और मैं समझता हूं कि जितनी सिफारिशें सरकार से उस रिपोर्ट में की गई हैं और अगर उनकी एक चौथाई सिफारिशें भी स्वीकार कर ली जायें और अमल में लाई जायें तो हमारे बहुत से कष्ट दूर हो जायेंगे।

रिपोर्ट में हमारे श्रीकांत भाई ने कहा है कि बहुत-सी स्टेटों की जो स्कीमें होती हैं वह बहुत देर से आती हैं और इसके लिये मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे दिल्ली में प्रान्तों के मंत्रियों और उनके उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलायें और उनको यह समझायें कि उनकी हरिजनों के बारे में जो भी कल्याणकारी योजनायें हों वह फाइनल करके वित्तीय वर्ष में रख दी जाया करें ताकि उन स्कीमों पर अमल हो सके और उनके लिये जो सरकारी ग्रांट्स होती हैं, वे बेकार न जायें। आज दफ्तर की कार्यवाही और फ़ाइलबाज़ी की वजह से काफी देर लग जाती है और अक्सर यह देखने में आया है कि किसी स्टेट को ४ लाख रुपये की ग्रांट मिली है, लेकिन उसे स्कीम को सैंक्शन कराने में ३, ४ महीने लग जाते हैं और इस कारण बहुत सी स्टेट्स अनुदान खर्च नहीं कर पातीं और वे लैप्स हो जाती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे वर्ष के आरम्भ में ही उन स्टेट्स को और जो अन्य गैर-सरकारी संस्थायें हैं, उनको ग्रान्ट्स मिल जायें।

हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने राज्य सरकारों से बहुत से प्रश्न किये थे लेकिन उत्तर अभी तक दो, तीन या चार राज्यों से ही प्राप्त हुए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दो मर्तबा कान्फ्रेंस हुई जिनमें कमिश्नर साहब, राज्यों के मंत्रिगण और जो अन्य उच्चाधिकारी आये थे उन्होंने आपस में बैठ कर इस मसले पर विचार किया और सलाह-मंत्रणा की और उस कान्फ्रेंस

[श्री काजरोल्कर]

से बड़ा लाभ हुआ। मेरी प्रार्थना है कि उसी तरह की एक कान्फ्रेंस शेड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में भी यहां बुलाई जाय जिसमें सारे राज्यों के मंत्रिगण और वेलफेयर अफसर भाग लें और उनके सुझावों पर विचार किया जाय।

जहां तक हरिजनों को नौकरियां देने का सवाल है उसके बारे में अभी मेरी एक बहन और श्री बर्मन ने बतलाया कि जब कभी हरिजनों को नौकरी देने का सवाल आता है तो "एफिशिएंसी" के नाम पर सारा मामला उखड़ जाता है। आज हजारों हरिजन भाई ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कभी तो यह कहा जाता है कि हमको क्वॉलीफ़ाइड हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलते हैं और अगर कहीं क्वालिफाइड उम्मीदवार मिल भी गया तो यह कह उसको नहीं लिया जाता है कि उसके अन्दर एफिशिएंसी नही है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हरिजन मां-बाप अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, अगर उनको नौकरी न मिले तो उन्हें कितनी निराशा होगी और अगर उनको नौकरियों में विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो हरिजन अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिऐ कैसे तैयार होंगे? आप देखते हैं कि पुलिस और मिलेटरी में जो लोग भरती किये जाते हैं। वे पहले दिन से कोई 'क्विक मार्च नहीं करने लगते, उनको 'कोच' किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है; तब कहीं जाकर वे क़वायद और ड्रिल करते हैं। उसी तरह मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हरिजन लड़कों को कोच करने का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वह नौकरी पर लग सकें और मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरिजन लड़कों को अगर तीन महीने या छः महीने की कोचिंग दी गई तो वह काफी एफ़िशिएंट हो जायेंगे। मैं पूछता हूं कि जब यहां से ब्रिटिश सरकार चली गई और उसके साथ में जो बड़े-बड़े अंग्रेज अफ़सर थे वे चले गये तो कैसे सारा काम उनके नीचे के हिन्दुस्तानी अफसरों ने संभाल लिया? उसकी वजह यह थी कि वे काम को कर रहे थे और उनको आवश्यक कोचिंग उपलब्ध थी। इसी तरह अगर हमारे लोगों को मौका मिले और उनको अवसर दिया जाय तो हरिजन लोग भी योग्य साबित हो सकते हैं। आज हरिजन लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे हैं, उनको कोई धंधा नहीं मिल रहा है और उनके यहां बेकारी का बोलबाला है।

उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि हरिजनों का चमड़े का धंधा, सवर्ण हिन्दुओं के हाथ में चला गया है। जितनी बड़ी-बड़ी जूते की कम्पनियां हैं वह सूवर्णों के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे बाटा, फ्लेक्स आदि। अब जो हमारे कारीगर लोग जूता बनाने का काम करते हैं वह दिन भर काम करने के बाद आठ आने या एक रूपया कमा पाते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह सरकार "स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़" को प्रोत्साहन देती है, गवर्नमेंट ने खादी बोर्ड बनाया और सरकार "स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़" के हेतु बहुत रुपया खर्च करती है, तो सरकार को इस लेदर इंडस्ट्री को भी संरक्षण देना चाहिए और आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो कि अभी नहीं मिलती है। हालत यह है कि सवर्णों के कारखानों में हमारे हरिजन जो जूते बनाते हैं उनको तो गवर्नमेंट पसन्द करती है और आर्डर देती है लेकिन जब वे कारीगर खुद अपना माल बनाकर सीधे गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं तो उनका माल पसन्द नहीं किया जाता और उनको आर्डर नहीं दिया जाता। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई ऐसे समुचित प्रबन्ध करें जिससे इस लेदर इंडस्ट्री में लगे हुए हमारे भाइयों कोप्रोत्साहन मिले।

अब मैं जम्मू कश्मीर के प्रश्न को लेता हूं। वहां के हरिजनों की हालत बहुत खराब है। मैं इस सम्बन्ध म एक बार वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिला भी था, लेकिन वह बोले कि यहां पर तो सभी लोगों की हालत ऐसी ही है और इस एक शब्द के ऊपर सारा मामला खत्म हो गया। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब और शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने यहां से कुछ पैसा दे कर उनकी थोड़ी-बहुत मदद की है, लेकिन जितनी मात्रा म यह मदद मिलती है, वह बहुत कम है। हां, यह जरूर है कि कई मर्तबा हमारे होम मिनिस्टर साहब जम्मू और कश्मीर गवर्नमेन्ट से कह चुके कि वह अपने यहां के शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का ज्यादा ध्यान रखे, लेकिन बिना यहां से मदद गये हुये तो वह कुछ ज्यादा कर नहीं सकेगी।

आप को मालूम होगा कि सन् १९४१ में जो सेन्सस हुआ था, उस के अन्दर जो हरिजनों की संख्या थी उस से सन् १९५१ के सेसन्स में उनकी संख्या कम हो गई और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई।

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt. South): You have improved now. That is not the present population.

श्री काजरोल्कर: यह इम्प्रूवमेन्ट नहीं है, इसका कारण मैं बतलाता हूं। जो सेन्सस लेने वाले लोग थे उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सवर्णों में लिख दिया, इस विचार से कि अगर उनकी संख्या कम हो जायेगी तो उन्हें सीट कम देनी पड़ेंगी।

श्री मथल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): अगर उनको सुवर्ण बना देते तो रोना क्या था?

श्री काजरोल्कर: यह सेफगार्ड हमें जो दिये गये हैं वह दस साल के लिये हैं।

इसी बीच में अगर हरिजनों की उन्नति हो जाय तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन इस तरह से हमको जो सेफगार्ड्स एजुकेशन के लिये या सर्विस के लिये दिये गये हैं वह तुरन्त ही खत्म हो जायेंगे। हम हरिजनों की हालत बहुत खराब है और आप जानते हैं कि वह कितने गरीब हैं लेकिन किसी-किसी सरकार ने इस के बारे में बहुत अच्छे कदम उठाये हैं।

मैं इस सम्बन्ध मे बम्बई गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट का नाम खास तौर से लेना चाहता हूं। बिहार गवर्नमेंट ने हरिजनों के मकानों का प्रबन्ध करने के लिये यह किया है कि वह १०० में से ४० परसेन्ट तो लोन देते हैं—४० परसेन्ट सब्सिडी देते हैं और २० परसेन्ट की मैनुअल लेबर लेते हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह सभी राज्य सरकारों से इसका अनुकरण करने के लिये कहे।

अब रहा हमारे हरिजन भंगियों का सवाल। आज इतने साल हो गये, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने भंगियों के बारे कितना कहा और लिखा और उनकी स्थिति को सुधारने के लिये कितना प्रयत्न किया। लेकिन अब तक उन लोगों का सवाल हल नहीं हुआ।

हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है कि भंगी लोग आज भी हम लोगों का मैला अपने सिर पर उठा कर ले जाते हैं और हम लोग उनको ऐसा करते देख कर खुश होते हैं। अब तो इस प्रकार की कोई योजना होनी चाहिये कि सिर पर मैला उठा कर ले जाना कानूनन बन्द कर दिया जाय। उन लोगों के लिये घरों का प्रबन्ध करना भी बहुत आवश्यक है।

[श्री काजरोल्कर]

अनटचेबिलिटी आफेन्सेज बिल तो पास हो गया, लेकिन उस पर जैसा अमल होना चाहिये, वह अब तक नहीं हो सका है। इस के लिये जोरों से प्रचार होना चाहिये और खास कदम उठाये जाने चाहियें।

भाई श्रीकान्त ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी कितने ही ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर कोई हरिजन किसी दूकान में चाय पीने के लिये चला जाय, तो उसको मार कर निकाल दिया जाता है और उस दूकान को दूध से धुलवाया जाता है। बेचारे गरीब हरिजन को तो पाव सेर दूध पीने के लिये भी नहीं मिलता है, और यहां दस-बीस सेर दूध दूकान धोने के लिये खर्च किया जाता है।

हमारे लिये केन्द्र में एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। यह हमारी मांग कई सालों से है, लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्यों उदासीन है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने हमको जो सुरक्षा प्रदान की है वह केवल दस साल के लिये है, जिन में से कि पांच साल बीत चुके हैं। अगले पांच सालों में हम लोगों को दूसरे सवर्ण भाइयों के बराबर आने देने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारे लिये एक पृथक मंत्रालय बनाया जाये। जब तक ऐसा न हो सके तब तक के लिये एक कमेटी या बोर्ड (ऐडवाइजरी बोर्ड) बनाना चाहिये और उसका चेयरमैन होम मिनिस्टर हो। उस में शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर हो, और फाइनेन्स तथा विभाग के अफसर भी हों। उस बोर्ड में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जो भी काम किया जाने वाला हो उस की चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से काम हैं जो बहुत अच्छी तरह से और जल्दी हो जायेंगे।

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): Since this is the first opportunity I have since Pandit Govind Ballabh Pant became Home Minister, I welcome him, and welcome the new regime which, I am sure, augurs well for this very important cause of the backward sections of the Indian community. Those of us who were associated with him in the Constituent Assembly know only too well the very important contribution and the valiant fight he made on behalf of what we call the backward classes of the Indian community. Having said that, I would like to repeat my grievance against the Government for treating this subject in a very slipshod, shabby manner. Here we are today discussing two reports. I hope Government hereafter will have a little more respect for the directives of the Constitution under which this report has to be submitted to the President and then to Parliament annually. Hitherto it has been the convention for this report to be discussed regularly annually. I hope this mistake of bracketing two reports or three reports or four reports at the tag end of the session will not recur. I would request the Government that this report be discussed during the budget session so that the suggestions made by hon. Members may have some bearing on the provisions of the budget.

As far as I am concerned, I do not wish to say anything about the two reports. I really do not know what there is to consider in these reports. These two reports are an improved edition of the usual monograph we had in the past. Certainly the Commissioner has successfully produced a picturesque report but it is a very unconvincing report. I leave it at that and hope that the new regime will create a change whereby, next year when we take the Commissioner's report, there will be something in the report to talk about. So, I would confine myself to making suggestions. I do hope that the new Home Minister, by his stature, will bring to bear the

importance of this subject on the various States. Hitherto, the Commissioner himself has acknowledged both in the report and at the various conferences that have been held in the country at different parts that the State Governments have not been co-operating with him, and that, therefore, he himself has been considerably handicapped in doing his duty. While I talk of his duty, I do hope, now that he has a man of stature behind him to help him, he will take greater courage in his hands and not go about the country with a beggar's bowl. He has the authority of the Constitution. There is no question of begging the States and the Ministers as though he was to be at their mercy. He says in his report that he and his colleagues have doubled the mileage. In 1953 they travelled 15,000 miles and in 1954 we are told—at least he expects me to believe it, which I do not—that they travelled 30,000 miles by road and on foot. When the hon. Deputy Minister intervenes or when the hon. Minister replies, I would very much like to know how many miles they travelled on foot. That is a very important thing. I dare say in the next report we shall be told that they travelled 300,000 miles by road and on foot.

डा० सत्यवादी (करनाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह भी जरा देखिये कि एलाउंस कितना बनाया है ।

Shri Jaipal Singh: In the next report I would like to have included a breakup of the miles traversed by train, traversed by road and traversed on foot, because that would give us a truer picture of the claim that he and his colleagues have gone, to use his own language, "into the interior-most places." I also come from one of those interior-most places and I know exactly what the Commissioner has done. I do not want to waste my time by dilating on that; but I hope that, hereafter he will have a better sense of responsibility and of the great duty he has under the Constitution.

I feel, Sir, that the House should press for a standing committee of all the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Members of both the Houses. This standing committee, which existed as you know previously, would be able to give vent to the feelings of the representatives of two particular sections of the Indian community. You may also include the other backward classes' representatives; there is no objection whatever. But, the appropriate authority should meet these representatives and appreciate and execute their point of view. A casual conference once a year for a couple of days, which develops into a mutual admiration society, is what is happening today. I have myself participated in some such conferences; certain big people are brought there from the States and certain things are said. The Prime Minister is brought into the picture and sometimes even the President of our Republic is also brought into the picture. This really serves no purpose. I suggest that if real work is to be done, if the pulse of the people who represent the backward sections of the Indian community is to be known, then intimate conferences should be held frequently throughout the year and the personnel of these conferences should consist strictly of Members of Parliament, that is to say, of both the Houses.

I know there are some amendments pleading for the creation of a separate Ministry. I do think that it is well worth considering very seriously the creation of a specific Ministry of Welfare not a *Cinderella* Ministry, with a Minister, who is not one of those *namke-vaste* Ministers, but who has a full Cabinet rank, so that he can rub shoulders with the best and the biggest of them and something can be done.

Although I said that I would not like to take the Commissioner to task, I would like to refer to one particular matter that I find in his report. He has been quite honest; in the last paragraph of his 1954 Report, he says: "we must expect no revolutionary changes." Still, in whatever he does, he thinks something is going to

[Shri Jaipal Singh]

be dynamic. He also says in the last paragraph that "the step-by-step measures coupled with unflagging enthusiasm will produce startling results." I really do not see his logic. Here is an extra book he has supplied us this year giving details of the action taken by the State Governments and Ministries on his recommendations. I would like you to open page 51 which relates to my own State, which has, as you know, the largest number of Adivasis. If you take item 84, relating to tribal affairs, you find, "Conversion of the Ghagra middle-school into high school: The details of the scheme are under examination of the State Government." Right down the list you find that everything that has been suggested is "under consideration". I submit that "consideration" is not tantamount to "implementation", because this sort of thing was mentioned in the previous report also. I think in the middle of the year, even before he submits his annual report, he should give us up-to-date information of what has been done with regard to the statements made in the previous report.

Having said that much, I would like to go on to a particular problem which, strictly speaking, is not within the jurisdiction of the Commissioner and which should really be a matter for the Minister of Planning and Irrigation. This relates to the Adivasis and Harijans also. I venture to point out that in the D.V.C. great injustice has been done for several years. D.V.C. means planning; when you build a dam, you know when the dam will be ready; you know it years ahead. You also know how many villages are going to be submerged. The Government know only too well that when the Maithon dam is ready, literally hundreds of villages are being gradually submerged. What has the Commissioner to say about that? Does not his travel of 30,000 miles make him hear the cry of those 50,000 people who staged a demonstration only last March before the Court of the Magistrate at Jamtara. He was not far away from that place, but still he did not hear that cry. When I go to the D.V.C., I am told that it is the Government of Bihar that is the villain of the peace. The D.V.C. have to wait till the Government of Bihar acquire plots of land large enough for reclamation. Then when I go to the Government of Bihar they say "we have given plots of land, large enough; go to the D.V.C." Therefore, I have to go to and fro. On the 21st of this month, I understand the various relevant authorities from West Bengal, Bihar and the Central Governments are meeting. I suggest that the Commissioner be also requisitioned to attend that meeting and take up this particular case, because, after all, the solemn promises that the Prime Minister and his colleagues have made to the people who would be displaced as a result of these hydro-electric projects are honoured. As the level of water is rising, the people are told, "here is Rs. 90; go and make your own *jhopri*." Is this the treatment you want to mete out to the Harijans and the Adivasis? Is this the way of doing things? Is it not the responsibility of the Commissioner, I ask you Sir? He should cover every aspect and every phase of the lives of the Harijans and the Adivasis. It is not merely a question as to how many colleges and hospitals you are going to build. These marvellous feats of engineering are all very well; but if they degrade the human soul, we would rather not have these hydro-electric projects for window-dressing. What has happened to the people of those hundreds of villages that are being submerged? I ask, "has the Congress Party refused to learn any lesson from its loss in the last elections in Sambalpur and other places?"

1 P.M.

An Hon. Member: What about others?

Shri Jaipal Singh: I am glad to find that there is a Congressman who rejoices at the plight of the people.

Here are people who are displaced, who have nowhere to go to. We have given wonderful brochures saying this is the way of rehabilitating. What is the type of rehabilitation that has been done in certain parts of the D.V.C.? An Austrian specialist is imported to make a model village. I happened to be a member of the Standing Committee of the particular Ministry. We were taken to the model village. After the first rains, the entire village collapsed. Then, they got another expert. This time, the Santhals refuse to go into this new model village that has been constructed. They say, what about the last one? Government says, we have now a new expert, this is not going to collapse. I want to tell this House that there are very very few people who are better architects than the Santhals. Anyone who has gone to a Santhali village will find out and appreciate the nature of their architecture, that their sense of hygiene and spacing is something that anybody would do well to learn. More than once I have said that the inspiration that the Santhalis give is what made Rabindranath Tagore locate Santi Niketan where it is today. Few appreciate this.

That brings me to another point as I mention Santi Niketan. I refer to the culture of the Adivasis. In this particular report, I find very little reference to this. In this House, again and again I hear that an anthology is being made; there is a committee for that. I have been recently hearing that a history of the freedom movement is being compiled. I would like the Government of the day to consider very seriously whether they are doing anything whatever to recover and rescue from oblivion the enormously rich folklore literature that is there amongst the tribal people of this country. They have their songs and dances. Please do not ruin them by your fad of prohibition. Please remember that while you are talking of a socialistic pattern of society, they are already socialistic. Go to them and learn what socialism means. You do not become socialistic merely by passing a resolution at Avadi. What are you doing? In the name of democracy, you are upsetting the deep roots of tribal economy. There is the Gram Panchayat Act in the State of Bihar. Are the leaders of Bihar going to teach the Adivasis what a panchayat is? What have they done? The panchayats were there from time immemorial. They had been operating for centuries and centuries. These panchayats had sanctions behind them. They were obeyed. People surrender to the decisions of the panchayat willingly. In politics, that particular area does not happen to be in the same camp, so, they "appoint" these panchayats. I say this is cultural interference. I suggest that the Commissioner should pay some attention to this in his report.

We all appreciate the performance of folk dances during the Republic Day festivities. That is the occasion when Tribal India and the other India become one as it were. It is not merely people of the Naga Hills or some other Hills. They all come to the capital and they feel that they are part of a great country. I suggest that this idea be expanded and people from one part of India be sent to another part so that the other part may see how the people in another part live. Some such cultural intercourse throughout the country, I think could be instituted by the Government.

My time is very short. All that I say is, victory speaks for itself. When you win, you don't have to advertise it. But, when it comes to defeat, you need something to boost up your morale, and that is the picture of these reports: picturesque window-dressing. Let us face facts. My hon. friend Shri Barman referred to the limitation of 10 years. At this rate, is the Government going to honour what is envisaged in the Constitution within 10 years? Certainly not. Government must think of bringing in an amendment so that it shall not be 10 years, but it shall continue so

[Shri Jaipal Singh]

long as all these disabilities and handicaps continue amongst the backward sections of the community.

I do hope, let me repeat again that Pandit Pant will not disappoint us. As I said earlier also, all of us in the Constituent Assembly developed a tremendous admiration for the fight he put up for the minorities. I do hope that the faith that he had then is still with him. If that is so, next year we may look forward to really startling results that the Commissioner would like to see.

श्री राम दास (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सब से पहले मैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को मुबारकबाद देता हूं; जिन्होंने कि इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी हैं और जिन में काफ़ी से ज्यादा मसाला विचार करने के लिये दिया गया है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर होम मिनिस्ट्री तीन महीने और इन्तजार कर लेती और उसके बाद हम तीनों रिपोर्टों को एक साथ ही विचाराधीन लाते, तो उस में क्या नुक्सान था ?

एक माननीय सदस्य : उसमें टाइम बच जाता ।

श्री राम दास : जी हां, उसमें फायदा ही फायदा था । कम से कम जब होम मिनिस्टर साहब जवाब देने के लिये खड़े हों, तो वह इस बात पर जरूर रोशनी डालें कि अगर तीन महीने के बाद तीनों रिपोर्टों को इकट्ठे ही विचाराधीन कर लिया जाता, तो क्या नुकसान हो जाता । इससे मालूम होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की जितनी मेहनत है, वह फल नहीं ला रही है इस वजह से कि होम मिनिस्टरी उसको वह वक्त और वह सीरियसनेस नहीं देती, जो कि उसको मिलनी चाहिये । मैंने उनकी हर एक रिपोर्ट में इस बात को देखा है कि उन्होंने शिकायत की है कि स्टेट गवर्नमेंट्स मेरे साथ को-आपरेट नहीं करतीं । मैं जानता हूं कि उनके पास कोई एक्सीक्यूटिव पावर्स नहीं हैं, जिनके जरिये वह स्टेट गवर्नमेन्ट्स से अपनी मन्शा के मुताबिक कोई काम करा सकें, लेकिन अफसोस है कि होम मिनिस्ट्री ने भी अभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है । कम से कम रिपोर्ट में तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने इस शिकायत को सुनने पर स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई हिदायत दी कि तुम इनकी बातों का जवाब दिया करो । सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट्स ही असहयोग नहीं कर रही हैं, मालूम होता है कि होम मिनिस्ट्री भी उनको सहयोग नहीं दे रही है । इसलिये कम से कम आगे के लिये यह जरूर प्रबन्ध कर दिया जाय, बन्दोबस्त कर दिया जाय कि जो रिपोर्ट पेश हो, जैसा कि एक आनरेबल मेम्बर ने कहा है, वह बजट सेशन में विचाराधीन आ जानी चाहिये, ताकि जो विचार उस पर इस सदन में प्रकट किये जायें, उनका कोई न कोई असर बजट के ऊपर हो । अगर बजट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, तो फिर इस प्रकार की रिपोर्ट लिखने से कोई फायदा नहीं हो सकता है । उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री कम से कम यह शिकायत करने का मौका हम को फिर नहीं देगी । इस सारी रिपोर्ट लिखने का और डिपार्टमेंट बनाने का और विधान में इस किस्म का प्रवीजन करने का मतलब यह है कि जो हरिजन भाई हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं उनका उद्धार किया जाय और उनको ऊंचा उठाकर सोशली और इकानामिकली ऐसे स्तर पर लाया जाये जहां कि वे दूसरों के बराबर हो सकें । लेकिन इसके लिये जो मीन्स अख्तियार करने चाहिये वे नहीं अख्तियार किये जा रहे हैं ।

सबसे पहली बात जो कि हरिजनों के उद्धार के लिये मैं निहायत जरूरी समझता हूं वह उनकी तालीम का बन्दोबस्त है ।

बगैर तालीम के वे लोग कभी नहीं उठ सकेंगे, कभी भी दूसरों के बराबर हमपल्ला नहीं हो सकेंगे। उनकी तालीम के लिये एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जो रूल्स बनाये हैं वे मेरे पास हैं। उनके पढ़ने से मालूम होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को यह यकीन हो गया है कि इनके अन्दर तालीम बहुत ज्यादा हो गयी है, कोई बन्दोबस्त जल्दी से जल्दी किया जाय कि यह बला आगे न बढ़ सके।

डा० सत्यवादी (करनाल—रक्षित—अनुसूचित—जातियां) : होम मिनिस्ट्री की दिलचस्पी बढ़ गयी है क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गये हैं।

श्री राम दास : उन्होंने कुछ तनख्वाह पर भी बन्दिश लगा दी है और कुछ लड़कों की तादाद पर भी बन्दिश लगा दी है।

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Datar): My hon. friend was here. Dr. M. M. Das was here.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Deputising is not allowed. Once in three years we get an opportunity to discuss the report, and the Minister is leaving.

The Parliamentary Secretary to the Minister of Education (Dr. M. M. Das): Hon. Members must have some consideration. One has to go out sometimes.

श्री राम दास : एक बात और है जिससे हरिजनों को बहुत तकलीफ होती है। हरिजनों को सर्टीफिकेट लेने के लिये डिप्टी कमिश्नर के पास जाना होता है। अगर कोई शख्स यहां दिल्ली में है या किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में है तब तो उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उस हरिजन की मुसीबत का ख्याल कीजिये जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से २५, ३०, या ४० मील की दूरी पर रहता है। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सर्टीफिकेट लेने आता है और कहता है कि मुझे सर्टीफिकेट मिलना चाहिये, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं तुम को नहीं जानता, तुम अपनी शहादत लाओ। वह कहता है कि अपने गांव के नम्बरदार को लाओ। अब गांव के नम्बरदार को लाना कोई आसान चीज नहीं है। जिनको उन्हें लाना पड़ता है वही जानते है कि यह काम कितना मुशकिल है। इस लिये मैं चाहता हूं कि जैसे दूसरे सर्टीफिकेट्स के लिये आपने कायदा रखा है कि एम० पी० सर्टीफिकेट दे सकता है या एम० एल० ए० दे सकता या कोई गजटेड आफिसर दे सकता है, या दूसरे लोग दे सकते हैं या पंचायत के अफसर दे सकते हैं, वही कायदा आप इस सार्टीफिकेट लिये भी रखिये। अगर ऐसा किया जाय इससे हरिजनों को बहुत सहूलियत होगी। इस सहूलियत के न होने से होता है कि वह आदमी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आता है तो उसे मालूम होता है कि तहसीलदार साहब दौरे पर गये हैं, तो वह उन के पीछे पीछे मारा मारा फिरता है। इस तरह से उसे सर्टीफिकेट लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत वक्त खर्च करना पड़ता है और काफी रुपया खर्च करना पड़ता है।

इसके साथ ही आपने स्कालरशिप लेने वाले हरिजन पर एक कैद यह लगा दी है कि यह उस की जिम्मेवारी होगी कि उस रुपये की वसूली की रसीद यहां बोर्ड के दफ्तर में पहुंच जाये। अब उसको प्रिंसपिल या हैड आफ इंस्ट्रीट्यूट वजीफा देता है। वह रसीद लिखकर उनके हवाले कर देता ह। अब यह उनका फर्ज होना चाहिये कि वे उस रसीद को आपने दफ्तर में पहुंचाये न कि उस हरिजन लड़के का कि वह पहुंचाये। इसमें लिखा है :

"It is the responsibility of the candidate to see that it reaches the Board within time"

[श्री राम दास]

दूसरी बात इस सिलसिले में जो मैं अर्ज करूंगा वह यह है कि आप यह वजीफा दो इंस्टालमेंट्स में अदा करते हैं । मैं चाहता हूँ कि आप इसे माहवार कर दें । हरिजन इतने अमीर नहीं हैं कि वे ६ महीने तक अपने पास से खा सकें ।

फिर आपने एक और शर्त लगा दी है कि अगर लड़का फेल हो जाय तो उसका वजीफा बन्द हो जायगा बशर्ते कि वह किसी बीमारी की वजह से इम्तिहान में दाखिल न हो सका हो । अगर ऐसा हो तो वह रिन्यूअल के लिये एप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि :

"Before the examination is over, this information must reach the Board."

इम्तिहान खत्म होने से पहले वह लड़का प्रिंसिपल के मार्फत यहां दिल्ली के दफ्तर मे इत्तला भेज दे कि वह बीमारी के कारण इम्तिहान मे नहीं बैठ सका । अब इम्तिहानों की मुद्दत एक ही नहीं होती । कोई इम्तिहान चार दिन में पूरा होता है, कोई ६ दिन में, कोई दस दिन में । वह लड़का बीमार पड़ा हुआ है । तो इसी बीमारी के दौरान में उसको यहां दिल्ली रिपोर्ट भेजनी चाहिये । इसलिये अगर आप इस शर्त को उड़ा दें और ऐसा कायदा कर दें कि प्रिंसिपल या हैड आफ इंस्टीट्यूशन यह रिपोर्ट कर दे कि यह लड़का बीमार होने की वजह से इम्तिहान में नहीं बैठ सका, लेकिन अगर बैठता तो उसके पास हो जाने की उम्मीद थी, तो इससे उसको बहुत सहूलियत हो सकती है । मैं चाहता हूं कि आप ऐसा जरूर कर दें ।

फिर यह भी कहा गया है कि जो लड़के थर्ड क्लास में पास हों उनको वजीफा न दिया जाये । अगर ऐसी कोई तजवीज है तो वह हरिजनों के लिये निहायत ही नुकसानदेह होगी । आप देखें कि और लोगों के भी लड़के थर्ड डिवीजन में पास होते हैं । यह तो क्या जनरल रन आफ दी कैंडीडेट्स थर्ड क्लास में पास होते हैं । और हरिजनों से तो आम तौर पर थर्ड क्लास ही एक्सपैक्ट करना चाहिये । वह ऐसे माहौल से आते हैं, वे ऐसे हालात से आते हैं कि मैं समझता हूं कि उनका फर्स्ट या सैकिंड क्लास में पास होना वंडर ही होगा । हरिजनों के लड़कों में से तो बहुत ही थोड़े फर्स्ट या सैकिंड क्लास में पास हो सकते हैं । इसलिये अगर कोई ऐसी तजवीज है कि थर्ड क्लास वालों को वजीफा न दिया जाय, तो मेहरबानी करके उस को पास न करें । अगर ऐसा किया गया तो ९५ पर सेंट हरिजनों के वजीफे बन्द हो जायेंगे अगर वे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकेंगे ।

दूसरे एजूकेशन के जरिये के अलावा उनके स्टेटस को बेहतर बनाने के लिये यह जरूरी है कि उनको सरकार के दरबार में नौकरी दी जाये । गोकि नौकरी एक बहुत निषिद्ध काम है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में इसका लोगों पर बहुत प्रभाव है । अभी तक हमारे मुल्क में सरकारी नौकरी करने वालों का मान है और सत्कार है । इस आदर और सत्कार के साथ दो नौकरियों का खास तौर से सम्बन्ध है । अगर कोई यहां सेक्रेटेरिएट में सुपरिंटेंडेंट बन जाय, या डिप्टी सेक्रेटरी बन जाय, या उससे भी बड़ा अफसर बन जाय, तो उसका गांवों के अन्दर असर नहीं पड़ेगा । अगर किसी की दफ्तर में बड़ी पोजीशन हो जाय तो उसको कोई नहीं जानता । लेकिन जो आदमी फौज में या पुलिस में नौकर होता है इसका प्रभाव पड़ता है । शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने जो अपनी रिपोर्ट म हरिजनों के फौज की नौकरी के बारे में आदाद दिये हैं उनसे मालूम होता है कि फौज में हरिजनों की तादाद बहुत ही कम है । आप उनको उंगलियों पर

[श्री राम दास]

ही गिन सकते हैं और आप को दूसरे हाथ की उंगलियों पर गिनने की भी जरूरत नहीं होगी । कुछ ऐसी ही हालत पुलिस के अन्दर है । पुलिस के लिये तो बहुत ज्यादा जोरदार अल्फाज में कहूंगा कि इसमें तो हरिजनों की बहुत ज्यादा भरती होनी चाहिये । शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रपोर्ट में लिखा है कि :

"Police is in league with the landlords and others."

आज हरिजन अपनी शिकायत लेकर थाने में नहीं जा सकते क्योंकि जिसकी वे शिकायत लेकर जाते हैं उसी का भाई, भतीजा, दामाद, जाति वाला या उसी के इलाके का आदमी थानेदार बना बैठा होता है । वह उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता । ऐसे बीसों वाके हुए हैं जिनमें रपोर्ट नहीं लिखी गयी । रिपोर्ट जो लेकर जाता है उसको दिन दिन भर बिठाये रखते हैं ।

जब तक दूसरा फरीक नहीं आ जाता और उसकी रिपोर्ट नहीं लिख ली जाती उस हरिजन की रिपोर्ट नहीं लिखते । यहां तक होता है कि दूसरे फरीक को बुलाकर लाते हैं और उसकी रिपोर्ट लिखते हैं, बाद की हरिजन की रिपोर्ट लिखते हैं । और उल्टा उसी को फंसाने की कोशिश करते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप हरिजनों को बड़ी तादाद में पुलिस में भरती करें । अगर आप उनको सुपरिंटेंडेंट पुलिस या डी० आई० जी० न बनावें तो मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप उनको थानेदार तो बनाइये, हवलदार बनाइये और एक कसीर तादाद में कांस्टेबिल बनाइये ताकि हरिजनों का हौंसला बढ़े और उनको रिपोर्ट लेकर थाने जाने में भय न रहे । गांवों में हमारे भाइयों की हालत बड़ी ही दर्दनाक है और मालिकों द्वारा उन पर आये दिन जोर जुल्म और अत्याचार होते रहते हैं और वे बेचारे उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकते । उनको डराया और धमकाया जाता है कि बस चुप बैठो अगर तुम्हें इस गांव में बसना है । अब वह बेचारे हरिजन क्या कहें और क्या करें, क्योंकि आखिर गांव में तो उन्हें रहना ही है । गांवों के अन्दर इस सरकार की हुकूमत नहीं है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें, गांव के अन्दर हुकूमत आपकी नहीं है, गांव के अन्दर हुकूमत लैंडलार्ड्स की है और पुलिस की तो है ही क्योंकि उसके पास डंडा होता है । अगर मालिक चाहे तो एक हरिजन को हफ्तों तक अन्दर बंद रख सकता है । पंजाब में मर्दमशुमारी के समय मालिकों ने उनको अपने घर के अन्दर बंद रक्खा और उनको हाजत रफा करने के लिये भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और वह अपने जानवरों के लिये घास और चारा भी बाहर से नहीं ला सकते थे, अपने लिये सप्लाई के डिपोज से अनाज भी नहीं ला सकते थे और यह देखने में आया कि हफ्तों लोगों ने बाहर न निकल सकने के कारण घरों के अन्दर गड्ढे खोद कर अपनी हाजत रफा करी और चूंकि उनको चारा नहीं मिल सका इसलिये उनको अपने ४०० और ५०० के मवेशी ५० और ६० रुपये में बेचने पड़ गये । इसलिये मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग में हरिजनों का लिया जाना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि उनके दिल से वह भय हट जाय और उनको इंसाफ मिल सके । एक गांव में हमें शिकायत मिली कि हरिजनों पर मालिकान का जुल्म हो रहा है तो उसके लिये हमने एक आदमी को भेजा, कुछ नहीं बना, दूसरी दफा भेजा, लेकिन कुछ नहीं बना और शिकायत उनकी वैसी ही बनी रही तब मैंने पुलिस सुपरिनटेंडेंट साहब से कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा अफसर नहीं है जो कि जरा मुन्सिफ मिजाज हो, तब उन्होंने वहां पर एक दूसरे अफ़सर को भेजा और तब जाकर कहीं वहां पर शान्ति

स्थापित हुई नहीं तो उस गांव के अन्दर आग लगी हुई थी । इसीलिये हमारी आपसे मांग है कि आप हमारे लोगों में से पुलिस में थानेदार, हेड कांसटेबुल वगैरह भरती करें, बड़े अफ़सर तो आप बना नहीं सकते क्योंकि आप कहेंगे कि उनमें बड़े ओहदे के लिये योग्यता नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि बड़े अफ़सर अगर आप नहीं उनको बनाना चाहते तो कम से कम हवलदार और हवलदार नहीं तो कम से कम कांसटेबुल तो बना ही सकते हैं । हवलदार और कांसटेबुल बनाने के लिये तो क्वालिफ़िकेशन की खास आवश्यकता नहीं है । थानेदार, ए० एस० आई० और हवलदार उनको बनाने में क्या मुश्किल है । अगर अंग्रेज लोग हम लोगों को ट्रेन करके ऊंचे ओहदों पर ले जा सकते थे तो क्या आप हम लोगों को ट्रेन करके ओहदों पर नहीं ले जा सकते । पुलिस और फौज के अन्दर हरिजनों को उनका पूरा हिस्सा मिलना चाहिये और आप देखते हैं कि जब पुलिस का ओहदेदार या मिलेटरी का सूबेदार वर्दी लगा कर और दो, चार तमगे लगा कर गांव में निकलता है तो उसका गांव के लोगों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है और लोग उसकी इज्जत करते हैं और जहां जाता है वहां उसको कुर्सी मिलती है । इसलिये मेहरबानी करके पुलिस के अन्दर आप जरूर इस बात की कोशिश करें कि उनका पूरा कोटा हो ।

शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी कौंसिल बनाने के लिये कहा है जो यह देखेंगे कि हरिजनों के लिये जो रिजर्वेशन दिया गय है वह कहां तक पूरा हुआ है । हम लोग एक साल से नहीं बल्कि लगातार तीन चारा साल से इस बात के लिये दरख्वास्त करते आये हैं और जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने दरख्वास्त की है कि हरिजनों के वास्ते एक सेप्रेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये । मुझे तो उसके बनाये जाने की कोई आशा नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप सेप्रेट मिनिस्ट्री नहीं बना सकते तो कम से कम एक सेप्रेट मिनिस्टर ही बना दीजिये जो केवल शड्यूल्ड कास्ट और हरिजनों के उद्धार के लिये काम करे और यह भी अगर न हो सके तो कम से कम जैसा कि रिपोर्ट में इशारा किया गया है इस काम के लिये एक कौंसिल बना दी जाय जो यह देखे कि हरिजनों का जो जो सर्विसेज़ आदि में कोटा नियत है वह पूरा क्यों नहीं होता और वे लोग नौकरियों में क्यों नहीं लिये जाते । हमारे डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अभी उस रोज़ कहा था कि रिक्रूटमेंट के अन्दर हम इस बात का कोई लिहाज़ नहीं रखते कि यह किस जाति एसे आता है, किस तबक़े से आता है, वहां तो एक स्टैन्डड होता है जिसके कि अनुसार लोग भारती किये जाते हैं । लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि हो सकता है कि कहीं कहीं पर रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में हरिजनों के साथ सख्ती हुई हो और उनके साथ नाइनसाफ़ी की गई हो, लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं नहीं, हर जगह यह चीज़ चलती है और होता यह है कि उस हरिजन बेचारे को यह कह कर अनफ़िट क़रार दिया जाता है कि तुम्हारी लम्बाई कम है, तुम्हारी छाटी कम है और तुम्हारा दौड़ना भी कम है और इस तरह के अड़ंगे लगा कर बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि रिक्रूटिंग अफ़सर के साथ हम में से एक आदमी रख दिया जाय जो यह देखे कि इस तरह की ज्यादती का बर्ताव हमारे आदमियों के साथ न किया जा सके । इस सिलसिले में मैं आपको खुद अपना एक केस का तजुर्बा बतलाता हूं । एक शख्स था जो पहले फौज में भरती होकर लड़ाई पर गया और बाद में वह डिस्चार्ज होकर घर पर

लौट आया और उसने बाद में पुलिस में भरती होना चाहा तो वह मेरे पास आया कि चलिये मुझे पुलिस में भरती करवा दीजिये । मैंने कहा कि अरे भाई तुम तो फ़ौज में रह चुके हो, पुलिस में भरती होने में तुम्हें क्या दक्कत पड़ेगी, तुम खुद चले जाओ और जाकर पुलिस में भरती हो जाओ । मैं जब बाद में पुलिस दफ्तर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह आदमी कपड़े पहन रहा है, मैंने पूछा कि क्यों क्या बात है, तो उसने मुझे बतलाया कि मुझे पुलिस के लिये अनफिट करार दिया गया है । मैं उसे लेकर भरती करने वाले अफ़सर के पास गया और कहा कि साहब यह तो फ़ौज में रह आया है, यह पुलिस के लिये कैसे अनफिट हो सकता है, इसने फौज में रह कर लड़ाइयां लड़ी हैं और गोलियां चलाई हैं । वह अफसर मुझ को जानता था कि मैं कौन हूं और चूंकि उसने सही काम नहीं किया था इस लिये उसने उस आदमी को भरती कर लिया और वह ऐ० एस० आई० होकर आज थानेदार बना हुआ है । मैं अगर वहां पर उसके लिये नहीं जाता तो वह तो अनफिट बन ही गया था । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि रिक्रूटिंग अफ़सर के संग एक हरिजन आदमी रक्खा जाय जो यह देखे कि हरिजनों के संग नाइंसाफी तो नहीं की जा रही है । अगर आप पबलिक सर्विस कमिशन में हमारा आदमी नहीं रखना चाहते तो न सही लेकिन भरती करने वाले अफ़सरान के साथ तो हमारा आदमी बैठने दीजिये जो देखे कि तमाशा क्या होता है और किस तरह से हिसाब किताब चलता है ।

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indians): I feel that I ought to say a word of thanks to the Commissioner for the fact that the chapter which deals with the operation of the constitutional safeguards for the Anglo-Indians, which is part of his work, is fuller this year than it has been in previous years.

I feel that a very grave weakness, which almost completely destroys the work of the Commissioner and these reports, is the fact that the report for 1953 is now being considered at the fag end of 1955. Quite frankly, I say that this is an inexcusable delay, this lag between the time of the report and the fact that it is being considered almost at the end of 1955. And I regret to say that this is indicative of the gap between Government profession on the one side and Government practice on the other.

I was a member of the Business Advisory Committee, and with great difficulty this 1953 report was placed at the fag end of the session before last. It was squeezed out in favour of all kinds of inconsequential Government work. So, it was not considered at all during the session before last. Then, once again, indicative of Government's indifference, if not contempt, to these constitutional safeguards, it was squeezed in again at the end of the last session. And from there, we are now having it almost at the fag end of the present session. I feel that this is not the way to deal with these constitutional safeguards. As I said, it makes these safeguards nugatory and completely illusory. Any suggestions for implementation are not possible of implementation, because, as I said, the report was given in 1953, and we are now considering it at the end of 1955.

First of all, I want to correct an observation which was made by the Commissioner in para 8 of the 1953 report. I regret to say that this observation of the Commissioner is entirely incorrect. He refers in paragraph 8 of his Report for 1953 to a complaint which was made by me that the Madras Government have imposed, contrary to the guarantee given to the Anglo-Indian community in article 337 of the Constitution, unconstitutional cuts in respect of the educational grants. Now, I repeat that complaint. I say that the Madras Government, in direct contravention of the guarantee given in article 337, made unconstitutional cuts in these grants given to Anglo-Indian schools.

[Shri Frank Anthony]

The Commissioner has fallen into error. He has said that the overall amount which was budgeted for by the Madras Government in 1947-48 was Rs. 11,12,291. His whole conclusion is based on wrong facts and wrong premises. Now, this amount that was supposed to have been budgeted for is a sort of yardstick amount. According to article 337 of the Constitution, the grant which was made by a State Government in the financial year ending on the 31st day of March 1948 had to be continued at least for the triennium 1950-53. The Commissioner has fallen into error because apparently he has been given wrong information, inaccurate information, by the Madras educational authorities. I have here the figures which were supplied to the Inter-State Board of Anglo-Indian Education by the Madras educational authorities, and verified from Government publications. According to that information, the grant which was budgeted for by the Madras Government in the year 1947-48 was not Rs. 11 lakhs but Rs. 13,46,700. Under the provisions—mandatory provisions—of article 337, that amount of Rs. 13,46,700 had to be continued for the triennium 1950-53. The Commissioner has admitted that the Madras Government only made a grant of Rs. 11 lakhs (approximately) in 1951, the same amount in 1952 and approximately the same amount in 1953. I, therefore, repeat that the Madras Government has, in terms of the clear provisions of article 337, made unconstitutional cuts amounting to about Rs. 2 lakhs for each of the years in the triennium 1950-53. I would ask the Commissioner to go into this matter again. It is a very simple question. There is the final amount budgeted for and these are the final amounts which were actually budgeted for in these three subsequent years.

I would also make a reference to a similar unconstitutional cut made by the Uttar Pradesh Government. The amount budgeted for in the year 1947-48—which is, as I say, the yardstick year—in Uttar Pradesh was about Rs. 9 lakhs. That amount of Rs. 9 lakhs was bound, in terms of article 337, to be continued at least for the period 1950-53. But the U.P. Government has, like the Madras Government, made unconstitutional cuts of almost Rs. 2 lakhs per year for the triennium 1950-53. Here again, the Commissioner has fallen into error. In paragraph 10 of his Report for 1954, he alleges that my complaint was, once again, not supported by facts. I regret to say that the Commissioner has perpetrated incorrect statements. He is placed in a false position apparently because the State Governments, instead of admitting their mistakes, have purveyed wrong and innacurate information to him. In this particular paragraph—paragraph 10—of the Report for 1954, the Commissioner has sought to justify the U.P. Government's action by saying that according to their formula for making grants, the grants were based on a *per capita* structure and that since enrolments in Anglo-Indian schools had fallen, the grants had *pari passu* fallen. This is quite wrong. I have with me the figures supplied, again to the Inter-State Board for Anglo-Indian Education. The enrolments have not fallen since 1948, which is the yardstick year; they have stadily gone up. In 1948, the number of overall enrolments in Anglo-Indian schools in Uttar Pradesh was 3057. It went up by almost 400 per cent to over 11,000 in the year 1954. So far as the number of Anglo-Indians was concerned, the number of enrolments in 1948 was 1929. That also went up to 2624. The whole premise on which the Commissioner has based his Report is completely wrong. Enrolments have not only not gone down, but on the other hand, the total enrolments—the grants are calculated on a *per capita* basis—have gone up by almost 400 per cent in U. P. schools.

Then again, the Commissioner has made another inaccurate observation in paragraph 11 of his Report for

1954. He once again stigmatizes my complaint with regard to the grants made to the Thangessary and Anjengo schools as incorrect. Here again, I repeat that my complaint was correct. Obviously, the Commissioner has fallen into error because he has been misled by the Travancore-Cochin Government. My complaint was that the grants which should have been made to these schools for the year 1951 were not made. The information at my disposal shows that they were not made, though they should have been made. The grants were not made in 1952; the grants were not made even in 1953. The grants for 1951 were only sanctioned at the end of 1953 and paid only in 1954, that is, three years after the period when they should have been paid.

I now come to the question of service quotas. You perhaps know that certain guarantees were very generously given by the Congress Party at the Centre to my community with regard to the continuation of certain quotas in certain services in the railways, telegraph and the customs. Those guarantees are embodied in article 336. I regret to say that the position with regard to the implementation of these guarantees is very far from satisfactory. The Commissioner has admitted in both his Reports, for 1953 and 1954, that in most cases the Anglo-Indians have not got adequate representation, that there is a tremendous lag between the quotas reserved and the vacancies actually filled. Now, unfortunately, once again, the Commissioner has fallen into error. He has reiterated his view—with which I completely disagree—that the reason why these quotas have remained unfilled is that suitable, qualified Anglo-Indians are not forthcoming. The Commissioner—I do not blame him—is not aware of the serious, acute, bitter unemployment that there is in my community today. I estimate that at least one-third of the young, able-bodied members of my community are shambling about in complete unemployment today. I know it because I am the head of an organisation which has branches in practically every centre of this country. I know that graduates, Senior Cambridge certificate holders and matriculates are today going about in the streets, and they are prepared to accept jobs on Rs. 30 and Rs. 40. It is a travesty of facts to suggest that for these jobs requiring, matriculates and Senior Cambridge certificate holders, Anglo-Indians are not forthcoming. That is not a correct assessment of the position. I will tell the Commissioner why these vacancies remain unfilled. The first reason is that the Government machinery—that is the real, basic reason— is not functioning properly. In most cases, it is not only functioning indifferently; but it is functioning in a delibrately obstructive manner, in a manner which almost bespeaks of deliberate hostility to my community. Take the Railway Service Commissions and see how they are functioning. I believe I have brought to the notice of the Commissioner that qualified boys are applying, applying repeatedly, under registered, cover/acknowledgement due. But they are not called. What is the reason? I admit that I have brought these lapses to the notice of the Chairman of the Railway Service Commissions and they have sought to remedy the position. But what is the reason for their not being called? Why is it that these qualified boys applying over and over again by registered post are not called? What is the reason? Is it ineptitude or is it deliberate *male fide*? What is the position with regard to the Chairman of the Bombay Railway Service Commission. I brought to his notice case after case of Senior Cambridge boys, like Beecham, Clair and Grant, but in a pettifogging way the Chairman had the effrontery to ignore my complaint. When I saw him in Bombay, he had the further effrontery to say that he had instructions from the Railway Ministry to ignore my complaint. I do not think that any Railway Ministry could have given any kind of instruction that the Chairman of Railway Service Commissions should ignore complaints

[Shri Frank Anthony]

that these quotas were unfilled and they were unfilled because qualified boys were not called. But that is what is happening. I do not know what the attitude of the Commissioner is. Is it his attitude that these are autonomous bodies? I say, no. I can quite understand that where selection is concerned, nobody has the right to intervene in the discretion of the selecting authorities, but I say that it is not only the right, it is the clear duty of the Commissioner—and beyond that of the Government—to see that guarantees solemnly given, categorically given, are not stultified and negated by the action of *male fide* people, whether they are Chairmen or Ministers or anybody else. Here is a chairman of a Railway Service Commission who deliberately ignores repeatedly complaints that qualified people are not being called; and the Commissioner says that the reason is that why these vacancies are unfilled is that qualified people are not forthcoming. The Railway Service Commissions are not autonomous bodies; at least, they should not be autonomous to the extent of being law unto themselves. I am charging the Chairman, Bombay Railway Service Comsion, with deliberate *male fides* and deliberate animus against my community. What could be the reason for his ignoring the complaint when it is brought to his notice that here is a qualified boy repeatedly applying for posts and yet he is not sent for?

It is not so much a question of their not advertising these vacancies but the reservations are made in posts with which my community has no association. At one time I had considerable difficulty with the railway authorities; they were not implementing those quotas. Now, Shastriji is much more co-operative and they are trying to implement these quotas but the manner in which they implement it leads directly to the stultification of these guarantees.

The point I am trying to make is this. These guarantees in the different railway services are that we are given 7 or 8 per cent. Pandit Pant who was largely responsible for enabling me to get these guarantees will know that the whole basis of the guarantees was that reservation in the railways should be given to Anglo-Indians in those jobs with which they had past associations, guards, firemen, drivers, assistant station masters and P.W.Is. But, what is happening in the manner of implementing these quotas? You are giving us reservations in entirely new channels with which the community has had no associations in the past. You are giving us reservations as clerks and signallers. The community is not a set of quill-drivers or clerks, with the result that they are not applying. So, the Commissioner says they are not applying. Of course, if you give them reservations in posts with which they have no past association, they won't apply because it was not the intention of those guarantees.

I have analysed the figures which have been supplied by the Commissioner and they reveal a sorry story of non-implementation. Take the Bombay Customs House. There was a reserved percentage of 45 in Grade II of class III of the Preventive Officers Cadre. In the year 1952-53, not a single Anglo-Indian was employed. Even in Grade I of class III, although there was a reservation of 45 per cent, yet on 31-10-53 only 18 per cent of the vacancies were filled. In Madras, where there is a very strong concentration of my community, there was a reservation of 45 per cent in Grade I class III of Preventive Officers and only 25 per cent. was filled on 31-10-1953.

In the Central Excise, we have a reservation of 2·43 per cent in class III; but in the Central Excise, Bombay not a single vacancy was filled. What is the reason?

The position in the railways is worse. In the Eastern Railway in

class III, the reservation is 7·2 per cent but yet on 31-10-53 only 2 per cent were filled. In class IV, where there are no educational qualifications, in the Eastern Railway, not a single vacancy was filled, and, in the Southern Railway, where there is a large concentration of the members of my community, in class III only 4·3 per cent were filled. What is the reason? As I said, I can produce hundrerds of members of my community who are walking in the streets unable to get employment and yet these jobs which require only very low educational qualifications are unfilled and it is said members of my community are not forthcoming. One of the principal reasons is this. The Employment Exchanges are not only not helpful but, in most cases, they are deliberately obstructive. Over and over again, I get complaints that the members of my community are not registered by the local Exchange officers. The local Exchange officers refuse to register them as Anglo-Indians. They say there is no such classification so far as exchanges are concerned and so they would register them only as Christians, with the result that they do not go to the Employment Exchanges today. That is why we have this difficulty.

Then again, with reference to jobs under the customs Department. Has the Commissioner ever attempted to know what happens? I know that for the last two years I have been able to get nothing out of the Central Board of Revenue which controls our quotas with regard to the Customs Department. I know, in the Customs, there is a huge lapse of vacancies. Why is it that for two years I have not received any information of any advertisement. I have been trying to get information from the Commissioner. He is unable to give any information as to what the Central Board of Revenue is purporting to do with regard to these vacancies.

Finally, I want to refer to a certain educational matter. You know that under article 30 of the Constitution every minority, including the Anglo-Indians, has been given the fundamental right to establish and administer educational institutions of its choice. You also know that in respect of these categorical fundamental rights State Governments like the Bombay Government come forward with their notorious orders in brazen violation seeking to destroy what they do not understand. That is what I cannot understand. Here is a small minority seeking to find a place for itself, having been given generous guarantees in the Constitution by the Centre. But these generous guarantees are being stultified by the leaders in the States. Fortunately, you have an independent judiciary. That notorious order was struck down, an order which was directed maliciously against the Anglo-Indian community, and which would have sounded its death-knell. What is happening in Travancore-Cochin? I have already expressed my deepest appreciation of the leaders of the Congress Party at the Centre. What they have given at the Centre with one hand, the Congress leaders in the States are taking away by the other.

In Travancore-Cochin; since the Supreme Court judgment is there they are reluctantly accepting to teach through the medium of the minority of the community, English. In other words, they are seeking to destroy the purpose and content of these guarantees. In Travancore-Cochin, these schools are allowed to teach through English because they are being compelled under the terms of article 30 and the Supreme Court judgement to do this. But the most amazing thing is this. The text-books, the English books, are transliterated from Malayalam. Sir, I ask you whether anybody who has any morale can suggest that education can be provided through the medium of text books which are the result of transliteration. The English text-books which they are compelled to teach are transliterated from Malayalam. How much of English can they get in that way? Further travesty of the position is this. In the places where these schools are, the regional language is Malayalam. We want very much to teach the regional language. But they

[Shri Frank Anthony]

say we shall not teach the regional language as a second language. Political effulgence is completely blinding the educational policies in this country and they are particularly directed to destroying these schools, which people do not understand. You are trying to stretch all kinds of patterns inspired by political motives. Other people want to come to these schools. What can we do? Because you do not want the other people to come to these schools, you are seeking by all kinds of ways, direct and indirect, to destroy these schools.

I owe to Pandit Pant a personal and deep debt of gratitude. He was on the special sub-committee which was appointed to make recommendations as regards the Anglo-Indian community and it was because of the particular help that he gave me that I was able to get these guarantees put in on behalf of the minority. I would ask him to ensure that these guarantees work—there is only a five year period to run—in the way in which it was intended that they should operate.

श्री पी० एल० डाब्पाल (गंगानगर-झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां): सब से पहले मैं श्रीकांत जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और इस के साथ ही साथ मैं सदन के सामने राजस्थान के हरिजनों की जो कुछ समस्यायें हैं उन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा इलाका है जो कि काफी पहले से ही सामंतवाद का एक गढ़ रहा है। और इस समय वह—यदि मैं यह बात कह दूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी —एक प्रकार के जातिवाद और अंध-विश्वास का गढ़ बना हुआ है। वहां जो हरिजन रहते हैं, उनकी इस समय क्या स्थिति है, यह मेरे कहने से बाहर है। मैं आप को क्या बताऊं? मेरे पास दर्जनों एप्लीकेशन्ज आती हैं और जब मैं उनको पढ़ता हूं, तो मेरा हृदय रोने लगता है। आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग आठ वर्ष होने जा रहे हैं। उससे पहले हम ने समझा था कि हमारा देश आजाद होगा, तो हम हरिजन भी आजाद होंगे, सुखी होंगे और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों का उपभोग कर स्वतंत्र भारत के नागरिक बनेंगे। परन्तु आज स्थिति उसके सर्वथा विपरीत है। यह ठीक है कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न कर रही है, परन्तु उसकी नीचे की मशीनरी ऐसी है कि जितने हमारे कानून हैं और जितने हमारे आर्डर्ज निकलते हैं, उन पर सही रूप में अमल नहीं हो र हा है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि "बहुखनेसु चोरमरावे, चोर बहुरा भाई।" वही बात इस सम्बन्ध में चरितार्थ हो रही है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग थानेदार और तहसीलदार के पदों पर लगे हुए हैं, जो हरिजनों की एप्लीकेशन्ज और दरख्वास्तों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने एक परिगणित जाति कल्याण विभाग भी बनाया हुआ है, जिसमें हरिजनों के कल्याण की काफ़ी चर्चा होती है, पोस्टर भी छपते हैं, पुस्तकें भी निकलती हैं और फ़ोटो भी छापे जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाय कि वस्तुतः सही कार्य कितना हो रहा है, तो वह कहने से कुछ बाहर है। जब भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है, तो मैं उसको अपने मुख्य मंत्री के पास भेज देता हूं। वह इस विषय में काफी इन्ट्रेस्ट (दिलचस्पी) लेते हैं और उस एप्लीकेशन को सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजे देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इक्के-दुक्के कामों से हरिजनों का कोई भला नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस सम्बन्ध में सामूहिक तौर पर कार्य करने के लिये कोई योजना नहीं बनाई जाती और उस योजना के ऊपर ईमानदारी से अमल नहीं किया जाता, तब तक हरिजनों का उद्धार होना असम्भव है।

कहने को तो हमारे भाई बहुत कुछ कह रहे हैं और उसका मैं समर्थन भी कर रहा हूं—और यह समर्थन क्या है, हम लोग तो भुक्त-भोगी हैं, सब कुछ भोग कर आये हैं। लेकिन एक बात, जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिये थी, कहने के लिये मैं वाध्य हुआ हूं। मैं देखता हूं कि आज यह सदन सूना पड़ा हुआ है। उपस्थित सदस्यों में एक दो हरिजनों के हितैषी और उनका कल्याण चाहने वाले लोग अवश्य होंगे, लेकिन बाकी सब आदिवासी और हरिजन ही मिलेंगे। जो गरीबों के वोटों से चुन कर यहां आये हैं, उन को यहां पर बैठ कर सुनना चाहिये था कि गरीबों, दलितों, और हरिजनों की क्या पुकार है। वे लोग केवल पैसे के वल पर या पार्टी के द्वारा यहां आये हुये हैं, उनको गरीबों की क्या चिन्ता है? मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है। अगर पढ़े-लिखे लोग भी हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो गांव के लोगों का तो कहना ही क्या।

हमारे राजस्थान में खास तौर पर पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहां पर पानी बहुत कठिनाई से मिलता है— वह बहुत गहरा है और खारा है। अधिकतर गांवों में पीने का पानी तीन सौ फ़ीट नीचे से निकलता है। विशेष कर हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनको इस सम्बन्ध में बहुत तक्लीफ़ है। नहाने के लिये तो पानी दूर रहा, उन लोगों को पीने के लिये भी पानी सवर्ण भाइयों की दया से मिलता है। अगर उन में कोई कटुता पैदा हो जाती है, तो पानी देना बन्द कर दिया जाता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर हरिजनों के लिये विशेष कर पानी का प्रबन्ध किया जाये। उनके लिये अलग प्रबन्ध की बात तो मैं नहीं कहता, क्योंकि सरकार न कानून बनाया है कि हर आदमी को अधिकार है कि वह समान रूप से पानी ले सकता है, लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि गांव वालों की बात तो दूर रही, हम लोगों को भी वहां पानी नहीं मिलता है। शहरों में हम लोगों को लोटे से पानी नहीं पिलाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आप को हर सड़क पर म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में पियाऊ मिलेगा। उस में अभी भी हम लोगा को नालियों से पानी पिलाया जाता है। वहां हर पियाऊ पर आप इस प्रकार की नालियां लगी देख सकते हैं। मैं कहना चाह ता हूं कि यह हमारा अपमान है।

सभापति महोदय : क्या म्यूनिसिपल कमेटियों ने नालियां लगाई हैं?

श्री पी० एल० वाक्पाल : म्यूनिसिपल कमेटी की जगहों पर जो पियाऊ हैं, उनमें नालियां लगी हुई हैं।

सभापति महोदय : म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से पानी का जो इन्तजाम है, क्या वहां नालियां लगी हुई हैं?

श्री पी० एल० वाक्पाल : जी हां।

श्री नवल प्रभाकर : क्या आप ने इस सम्बन्ध में कभी मुख्य मंत्री को लिखा है?

श्री पी० एल० वाक्पाल : मैंने इस बारे में श्री व्यास जी तथा श्री सुखाड़िया जी को कहा था। उन्होंने प्रयत्न कर के एक पियाऊ से नाली हटावाई थी, लेकिन उसमें भी सात दिन लग गए और बाकी अभी भी लगी हुई हैं। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ ध्यान दे।

यहां पर एक वैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था। उसन जो कार्य किया है वह भी देखना है, राजस्थान में चमारों में कई उप-जातियां हैं, जिनकी संस्कृति, वेश-भूषा, रहन-सहनह खान-पान एक है और उन में रोटी बेटी का सम्बन्ध है। किया यह गया कि जिसने अपने को "चमार" लिखवा दिया, उसको तो शिड्यूल्ड कास्ट्स में रख दिया गया, बाकी को अलग डाल दियां गया। नतीजा यह है कि उन लोगों को वजीफ़ा नहीं

[श्री पी० एल० बारूपाल]

मिलता है और न दूसरी सुविधायें मिलती हैं। जब वे लोग अधिकारियों के पास जाते हैं हैं, तो उन को कहते हैं कि तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है, तुम तो भाम्भी हो, वलाई हो, वेरवा हो, मेघवाल हो और जाटव हो और इस तरह वे लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

डीलिमिटेशन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कांस्टीच्युएन्सीज बन चुकी हैं। जब तक बैकवर्ड कलासेज कमीशन इस बारे में रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ जातियां उन में से निकल जायें और कुछ उनमें जोड़ दी जायें। गवर्नमेंट के सामने यह दूसरी समस्या है, जिसमें यह तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि रिपोर्ट पर शीघ्र ही विचार होना चाहिए।

जो अस्पृश्यता निवारण विधेयक पास हुआ है, उसको लाखों की संख्या में हिन्दी में प्रकाशित किया जाये और उसकी प्रतियां हर डिपार्टमेंट, हर पुलिस थानेदार, तहसीलदार और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के पास भेजी जायें और उनको समझा जाय कि इस कानून की इस धारा के अन्तर्गत मुकद्दमा चल सकता है और उस के ऊपर पूरा अमल होना चाहिए।

मेरे पास यह एक चिट्ठी आई है। यह सवाई छोटी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू की बात है। हमारी एक शिकायत पर कलेक्टर साहब मुझे लिख रहे हैं कि गांव वाले नहीं मानते हैं। प्रश्न यह है कि अगर नहीं मानते हैं तो इस कानून के अन्तर्गत मुकद्दमा क्यों नहीं चलाया जाता है। इसमें भाई-बन्दी किस बात की है? बात यह है कि ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, मेहरबानी कर के छोड़ देते हैं और उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं। यहां पर हृदय-परिवर्तन की बात को जाती । ठीक है, मैं भी समझता हूं कि ये बातें कानून के द्वारा नहीं हो सकतीं, लेकिन जहां कानून से काम चलता है, वहां कानून का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप कानून नहीं बनाते और हरिजनों को सुरक्षित स्थान नहीं दिए जाते, तो हम को इस भवन के दर्शन नहीं होते। हम को कोई इसकी दीवारों को छूने भी नहीं देता। जिनका हृदय उनके हृदय-परिवर्तन की बात सोची जा सकती है, लेकिन जिनका हृदय ही नहीं है, उनका क्या इलाज है? गांधी जी की भावना बहुत ज़बर्दस्त थी और सारा राष्ट्र ही नहीं पर राष्ट्र भी उनकी इज्ज़त करते थे और हरिजन उनकी दया के कारण इस काबिल हुए हैं।

सभापति महोदय : आप उन पर मुकद्दमा क्यों नहीं करते? जो इस तरह का सलूक करते हैं उन पर मुकदमा करने का हर व्यक्ति को हक हासिल है। जो डिप्टी कमिश्नर यह जवाब देते हैं और काम नहीं करते, उनको भी मुलज़िम बना दीजिए।

श्री पी० एल० बारूपाल : मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं—मैं पार्लियामेंट में यह पोथा रखने वाला हूं, गवर्नमेंट जांच करा लीजिए मैं रख देता हूं—तो हमारी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

2 P.M.

पुलिस के थानेदार हमसे शराब की बोतलें मांगते हैं। अगर हम उनको नहीं पिलाते तो चोर को ती दंड नहीं देते उल्टा हम को ही फांसते हैं और हम पर मुकद्दमा चलाते हैं और पीटते हैं। मेरे पास बहुत से कागज़ इस विषय के हैं।

सभापति महोदय : ये कागज़ात आप दातार साहब को दे दें।

श्री पी० एल० बारूपाल : इन थानेदारों को डिसमिस किया जाये। हमारे साधु महात्मा कहते थे :

जिन जैसा सतसंग किया ते तैसा फल लीन,
कदली, सीप, भुजंग, मुख एक बूंद फल तीन।

गांधी जी ने बहुत उपदेश दिये । लेकिन उस उपदेश को सुन कर भी गोडसे जैसा आदमी पैदा हो गया और उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ । तो हृदय परिवर्तन तो उनका होता है जिनके हृदय होता है । तो मेरी गवर्नमैंट से यह प्रार्थना है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाये । मेरे पास १२ या १३ गांवों की शिकायतें हैं । किसी जगह पानी बन्द है, किसी जगह कपड़ा नहीं पहनने देते, किसी जगह बेदखल कर रहे हैं, यह अनेक प्रकार की समस्यायें हैं । जब कोई जांच की जायेगी तो गांव में दो पार्टियां हो जायेगी । कहा जायेगा कि हम तो पानी देने को तैयार हैं लेकिन चमार है वह भंगी के हाथ का पानी नहीं पीते, और भंगी धोबी और संसी का नहीं पीते आदि आदि । हम अफसरों के पास जाते हैं तो वे क्या करते हैं ? जब कोई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उनके पास हरिजनों में से जाता है तो बड़े अदब से उससे बात करते हैं, उसको बिठाते हैं,पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे, काफी पियेंगे या लेमनेड पियेंगे । उनको वह पिलाते हैं और उनसे बात करते हैं । जब वे चले जाते हैं और उनके पास जो दूसरे लोग बैठे होते हैं वे पूछते हैं कि ये कौन थे तो आपके अफसर कहते हैं कि भाई क्या करें अब भंगी और चमारों का राज्य हो गया है, रात दिन सिर पर चढ़े रहते हैं । यह आपके अफसरों को मैंटेलिटी है । मैं मानता हूं कि आप कानून के विरूद्ध जाने वालों के लिए बोर्ड बनाते हैं लेकिन उनके द्वारा इंसाफ नहीं होता, उनका उल्टा असर होता है । मैं जानना चाहता हूं हूं कि हम कब तक इस तरह से चिल्लाते रहेंगे और आप कब हमारी बात को सुनेंगे । हम तो गांधी जी के चेले हैं और आपके भी चेले हैं लेकिन याद रखिये, अगर आपने हरिजनों की स्थिति को जल्दी नहीं सुधारा तो ये देश के लिए अभिशाप बन जायेंगे । जब कोई आदमी बहुत दुखी होता है तो वह सब कुछ कर सकता है । मरता क्या न करता । कहा जाता है कि तुम तो हरिजन हो तुम को शान्त रहना चाहिए । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंगाल है तो केवल उसका नाम बदल देने से तो उसका प्रश्न हल नहीं हो जायगा । अगर कोई लंगड़ा है तो उसकी समस्या तो तभी हल होगी जब उसके एक टांग लग जाये । केवल उसका नाम बदल देने से उसका प्रश्न हल नहीं हो जायगा । जब हम अछूत माने जाते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सवर्ण के बराबर हैं । मैं जो कुछ कह रहा हूं केवल भावना से प्रेरित होकर नहीं कह रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं उस के लिए मैं ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं । मैं अपनी हर बात के लिए प्रमाण देने को तैयार हूं । हमारी बात की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ।

जब हम अपने लिए अलग एक मिनिस्ट्री की मांग करते हैं तो कहा जाता है आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि हम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते और न हम कोई दलीय संस्था बनाना चाहते हैं । हम केवल यही चाहते हैं कि हमारा भी सुधार हो और हम भी इंसान की तरह रहें । यह कौन चाहता है है कि हम हरिजन या दलित बन कर रहे । ऐसा कोई नहीं चाहता । लेकिन जब तक आप हमारी समस्या को हल नहीं करते हैं तब तक कम से कम हमें रोने का तो मौका दीजिये ।

कभी आपसे पूछा गया था कि आपने कितने कलक्टर बनाये हैं, कितने जज बनाये हैं । वह तो बहुत दूर की बात रही । हमको पुलिस तक में भरती नहीं किया जाता । अगर हमारे किसी भाई को भरती किया भी जाता है तो अगर वह भंगी है तो उससे भंगी का काम लिया जाता है, अगर कोई मेरे जैसा भरती किया जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम जूता बनाओ । हम से कहा जाता कि क्या कहीं भंगी चमार भी चोर डाकुओं को पकड़ सकते हैं । मैं कहता हूं कि अगर आप मनुष्य को मनुष्य बनने में मदद दें तो हर एक उन्नति कर सकता है । आज हम देखते हैं कि श्री जगजीवन राम जी और अम्बेडकर जैसे व्यक्ति हम में से बन कर निकल चुके हैं । आपने हमें मौका दिया तो हम भी यहां

[श्री पी० एल० बारूपाल]

आपके सामने अपनी बात करने का साहस कर रहे हैं। अगर आप दूसरे लोगों को भी मौका देंगे तो कोई कारण नहीं कि वे उन्नति न कर सकें। लेकिन यदि आपकी यह नीति हो कि "कम से कम आदमियों को मौका दिया जाये" तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमको उन्नति करने के अवसर प्रदान करेंगे तो हम भी देश के निर्माण में आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे।

हमसे पाकिस्तान में कहा गया था कि तुम मुसलमान हो जाओ तुमको मुसलमान लड़कियां दी जायेंगी और दूसरी सुविधायें भी दी जायेंगी। पर हम मुसलमान नहीं बनें।

पिछले दिनों यहां पर ईसाई भाइयों के बारे में यहां पर कुछ कहा गया था। मैं कहता हूं कि जब आप हमारे वास्ते कुछ नहीं करते तो दूसरों को हमारी भलाई करने से क्यों रोकना चाहते हैं। अगर कोई आदमी हमको आधी रोटी देता है और आप हमको पूरी रोटी दें तो कोई कारण नहीं है कि हम दूसरी तरफ जायें। मैंने ईसाई स्कूलों में शिक्षा पायी है। वे हमारे घर आते थे, हमारी नाक और टट्टी तक अपने हाथ से साफ करते थे। वे लोग दूर देशों से आकर हमें मुहब्बत से अपने गले लगाते थे। आज आपकी तरफ से क्या हो रहा है? उपदेश तो बहुत कुछ दिया जाता है लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता। ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें की जाती हैं पर हमारे लिए वास्तविक कार्य बहुत कम किया जाता है। अगर आप हमारी भलाई करना चाहते हैं तो आप हम को ज्यादा से ज्यादा रियायत दीजिये। हम अपने लिए कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि जब तक आप हरिजनों की अवस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यह तो देश की समस्या है। जब तक हरिजनों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक देश की उन्नति भी नहीं हो सकती। इसी लिए मैं चाहता हूं कि हरिजनोत्थान के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए, चाहे मिनिस्टर आप में से ही कोई हो। उस मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट के हरिजन मेम्बर भी लिए जाये।

Mr. Chairman: The following are the substitute motions relating to the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954—which the hon. Members have indicated to be moved subject to their being otherwise admissible:

Nos. 2, 3, 6, 9, 15, 21, 22 and 25.

Shri Naval Prabhakar: I beg to move:

(1) That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that for the higher education of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country an ideal University be established in which free education be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students and excellent arrangements for boarding, lodging, clothes and books be made for them on behalf of the Government."

(2) That for the original motion, the following motion be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that with a view to give impetus to the welfare work among Scheduled Castes a 'Harijan Welfare Board' be constituted at the Centre having as its members those members of Parliament who belong to Scheduled Castes."

Dr. Satyawadi: I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner

[Shri Naval Prabhakar]

for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that:

(a) a Central Welfare Board for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes be constituted consisting of the M.Ps. representing the various States;

(b) the stipends given to the female students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the Centre be raised in view of their special circumstances and expenditure different from the male students;

(c) the quota reserved for the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the public schools under the merit scholarship scheme be raised;

(d) free education in Delhi State be provided for the students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at every stage; and

(e) A statement showing the position of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services in each ministry be issued at least twice a year."

Shri Naval Prabhakar: I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that a separate provision for imparting education annually to at least 100 children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under public school scheme be made."

Shri Kamath (Hoshangabad): I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, regrets that the measures taken by Government for the advancement of Scheduled Castes, and particularly Scheduled Tribes, have been inadequate and unsatisfactory."

Shri Naval Prabhakar: I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that with a view to stop day-to-day disputes in rural areas of India with regard to the removal of carcasses of animals and skinning them, 'contract system' may be introduced and immediate orders be issued to the State Governments for implementing this suggestion."

Pandit C. N. Malvia (Raisen): I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted:

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, approves of the policy of the Government of India in relation thereto and resolves that the demands for establishing an adequate machinery for carrying out the work of the Commission be granted."

Shri Nanadas (Ongole-Reserved-Sch. Castes): I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House having considered the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954, recommends that the State Governments shall ensure that before 1960—

(a) every Scheduled Caste and Schedule Tribe family have

[Shri Nanadas]

at least 5 cents of house-site in rural areas and hundred square yards in urban areas;

(b) a sum not less than Rs. 200|- is provided for each such of these families who do not own a house costing more than 500 rupees; and

(c) every Scheduled Caste and Scheduled Tribe family who is engaged in agriculture, is provided with at least four acres of land."

Mr. Chairman: All these substitute motions are before the House for discussion.

श्री अजित सिंह (कपूरथला, पटियाला, रक्षित, अनुसूचित जातियां) : आज बड़ी मुद्दत के बाद हमें यह मौका मिला है कि हम अपने भाइयों की हालत को इस हाउस के सामने रख सकें ।

हमारे लिए कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन रखा गया है । हम उस पर डिपैंड करते हैं । इसका मैं थोड़ा नकशा आपके सामने रखना चाहता हूं । जो लोग आज कल इस रिजरवेशन के खिलाफ रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं उनकी मेंटेलिटी जहां तक मैं समझ पाया हूं यह है कि वे लोग यह नहीं चाहते कि यहां पर कांग्रेस का राज्य हो या कांग्रेस मुल्क को आगे बढ़ाये । वे चाहते हैं कि इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भड़काया जाय और उन को कांग्रस के खिलाफ किया जाय वह चाहते हैं कि ऐसे रिजोयूल्शन पास किया जाये जिनसे उनका रिजर्वेशन खत्म किया जाय इसका नतीजा यह होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के भाई कांग्रेस से अलग हो जायेंगे और कांग्रेस को उनके वोट नहीं मिलेंगे और कांग्रस इन गद्दियों पर नहीं रह सकेगी । मैं उन भाइयों की दलील को बहुत अच्छी दलील नहीं कह सकता । सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके मन की जो भावना है वह बहुत बुरी है । वे हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बुरी तरह से खत्म करना चाहते हैं । उनके मन में तो केवल यही है कि कांग्रेस को इन गद्दियों पर न रहने दिया जाय । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी तादाद कुल मिला कर इस हाउस में ९७ है, ९७ हरिजन पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं लेकिन हमारे मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रटरीज़ सब को मिला कर तादाद सिर्फ चार है । दोनों हाउस के मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रटरीज़ की तादाद मिला कर देखें तो यह कुल ४८ है जब हमारी तादाद ९७ है और पूरे हाउस की दातादाद ५०० है और हिसाब से पांचवां हिस्सा हमारा होता है और हिसाब से तो दस मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रटरीज़ होने चाहियें । कहने का मतलब यह है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज़ के मामले में हमारे साथ किया जा रहा है । कहन को तो कह दिया जाता है कि फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास की सर्विसेज़ हम शड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए रज़िर्व रखते हैं लेकिन होता यह है कि उन को वहां पर नहीं रक्खा जाता, उसके लिए यह आर्गुमेंट देना कि उनके अन्दर एफिशिएंसी नहीं है, बेकार बात है । मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस एफिशियेंसी का मेज़रमेंट क्या है, किस फ़ीते से यह एफ़िशियेंसी देखते हैं । एफिशियेंसी की बात लाना तो एक महज़ बहाना है जिसको कि रख कर अपने दोस्तों को फ़ेवर किया जाता है और हरिजन बिचारों को रिजैक्ट कर दिया जाता है । हम आये दिन देखते हैं कि कहन को तो छाप दिया जाता है कि फलां जगह इतनी रिजर्व सीटें रिज़र्व क्लासेज़ की खाली हैं लेकिन जब हमारे लोग उन जगहों के लिए उम्मीदवार बन कर जाते हैं तो कह दिया जाता है कि उनमें एफिशिएंससी नहीं है इसलिये उनको उन जगहों पर नहीं लिया जा सकता ।

शिक्षा के सम्बन्ध में शड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि

हरिजनों को जो फ्रीशिप्स दी जाती हैं और स्कालरशिप्स दिये जाते हैं, वह बहुत थोड़े हैं और अपर्याप्त हैं और बहुत कम जगहों पर दिये जाते हैं और गवर्नमेंट की जो स्कालरशिप्स और फ्रीशिप देने की स्कीम है, उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। खास कर पंजाब और पेप्सू के बारे में तो मैं जानता हूं कि वहां वजीफ़े नहीं मिल रहे हैं और लोगों को तालीम के लिए बड़ी तकलीफ़ हो रही है और मैं गवर्नमेंट को यह सुझाव दूंगा कि उनको वजीफ़े पूरे दिये जायं और उनकी तालीम कम से कम दसवीं जमात तक कम्पलसरी कर दी जाय। यह ठीक है कि ऐसा करने में सरकार का काफ़ी खर्च होगा लेकिन यह किया जाना चाहिए और हमारे गरीब भाइयों का भला तभी हो सकता है जब उन पर कुछ न कुछ खर्च किया जायेगा।

एक यह भी सुझाव दिया गया है कि डिग्री क्लासेज में हरिजनों के लिए रिजरवेशन की बड़ी जरूरत है। हम आजकल देखते हैं कि जब लोग उन क्लासों में दाखिल होन के लिये जाते हैं तो उनको सीट्स नहीं मिलतीं और इसके लिए उनको बड़े बड़े आदमियों की सिफ़ारिश लानी पड़ती है। मुझे एक केस याद है जिसके लिए कि हमें बिड़ला साहब की सिफ़ारिश लानी पड़ी, तो यह हालत वहां पर बन रही है। डिग्री क्लासेज में एग्रीकल्चर है, कामर्स है और मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्लासेज हैं, इन क्लासेज में हरिजनों के लिए रिजवेशन रखना चाहिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व रखनी चाहियें, अगर ऐसा होगा तभी वह इन में तालीम पा सकेंगे वरना नहीं। वे बचारे इतनी बड़ी सिफारिश कहां से ला सकते हैं और उनकी पहुंच बिड़ला, डालमिया और टाटा इत्यादि के पास कैसे हो सकती है।

अब मैं एग्रीकल्चरिस्ट्स की तरफ आता हूं। कल हमने रेफ्यूजी प्राबल्म को बड़े दुःख के साथ सुना है और हमारे बहुत से दोस्तों ने बड़ी दुःख भरी आवाज़ में उनकी दर्द भरी दास्तान सुनाई। मैं मानता हूं कि यह बात ठीक है कि वह बहुत दुखी हैं और वे लाखों को जायदाद पीछे छोड़ कर आये हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वह हर तरह को हमदर्दी और मदद के मुस्तहक़ हैं लेकिन मैं गवर्नमेंट का ध्यान उन मुसीबतज़दा और गरीब शेडयूल्ड कास्ट के भाइयों की तरफ दिलाऊंगा जो कि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा हमदर्दी और मदद के मुस्तहक हैं और उन्होंने भी किसी से कम कुर्बानी नहीं की है। उनके पास पहले था ही क्या जो वह वहां पर छोड़ कर आते और क्लेम भी वह यहां आकर किस चीज़ का देते जब उनके पास वहां पर कुछ था ही नहीं और आज से नहीं बल्कि सदियों से ही वे इस मुफ़लिसी में रहते चले आ रहे हैं। क्लेम का तो उनके लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, वह तो अपने रिश्तेदार, अपने लड़कों, लड़कियों और बहू बेटियों को वहां पर मरवा कर बड़ी मुश्किल से यहां आये है और क्लेम देना उनके बस की बात नहीं है और न मैं ही मांग करता हूं कि उनको क्लेम की सूरत में कुछ दिया जाय, क्लेम की बात मैं नहीं करता। क्लेम की बात तो तभी हो सकती थी जब उनके पास कुछ रहा होता। यहां आने से पेश्तर भी वे वहां पर भूखे और अधनंगे थे और आज भी उनकी वही हालत है। मैं तो उनके लिए सिर्फ यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप थोड़ी एग्रीकल्चरल लैंड दीजिये, भले ही आप उसको टैम्परेरी तौर पर दीजिये लेकिन लैंड दीजिये ताकि उसकी मुसीबत का खात्मा हो और वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सकें। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट के ऐसे भाई जो फ़ौज में पहले भरती थे और अब रिटायर हो चुके हैं उनको पंजाब और पेप्सू में गवर्नमट ने बसाना तजवीज किया है और ज़मीन देना मंजूर किया है मगर मेरी शिकायत यह है कि इस मामले में उनको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है जितनी कि उनको दी जानी चाहिये। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उन दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट्स को लिख कि ऐसे भाइयों को बसाने में पूरी पूरी इमदाद दी जाये।

[श्री अजित सिंह]

अब एग्रीकल्चर के बारे में मुझे यह कहना है कि खेती बाड़ी अब मिकैनाइज्ड ढंग से की जा रही है, हलों और बैलों की जगह ट्रैक्टरों से लोग अपनी खेती बाड़ी करने लगे हैं क्योंकि क़ानून कुछ ऐसे बन रहे हैं जिनकी रू से कुछ लैंड उनका सैल्फ कलटीवेटेड लैंड हो जाता है। जिस खेत में पहले २० आदमी काम करते थे वहां पर एक ट्रैक्टर काफ़ी है और नतीजा यह हुआ है कि २० आदमी बेरोज़गार हो गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां मिकैनाइज्ड फार्मिंग नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना है कि जिनको हमने ट्रैक्टर चला कर बेकार कर दिया है उनको कुछ काम दिया जाय ताकि वे अपनी रोज़ी कमा सकें। मैं पूछता हूं कि अगर आप उनको बेकार रहने देंगे तो क्या वह कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे और क्या वह आपके सोशलिस्टिक पैट्रन के खिलाफ आवाज़ बुलन्द नहीं करेंगे ? इसलिए आपको इसका इन्तजाम करना है कि उनको काम पर लगाया जाय। अगर आप उनको अपने साथ नहीं रखते और छोड़ देते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दूसरे मुल्कों के सामने एक आज़ाद और खुशहाल हिन्दुस्तान का नक्शा रखना चाहते हैं, वह महज़ ख्वाब बन कर रह जायगा। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करता हूं कि उन लोगों की तरफ खास कर ज़मीन के मसले में तवज्जह दी जाय। बहुत सारी ज़मीन पेप्सू और पंजाब में बंजर पड़ी है और वह उनको दी जा सकती है। हम लोग सिवाय खेती बाड़ी करने या फ़ौज में भरती होकर लड़ाई लड़ने, मरने मारने के अलावा और कोई काम नहीं जानते, हमारे पास और कोई बड़ा हुनर नहीं है और न ही हम लोग कोई बड़े टैक्नीशियम, इंजीनियर या मैडिकल डिग्री याफ्ता हैं, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को हल चलाने के लिए आप कुछ न कुछ सहूलियत ज़रूर दें। हमारे यहां एक एकड़ की क़ीमत तक़रीबन जो उसकी साल के बाद निकलती है तक़रीबन ४० रुपये है।

एक एकड़ में हमें चालीस रुपये आमदनी होती है और जब एक आदमी की सीलिंग लैंड की ३० एकड़ होगी और उस आदमी ने अपने खेत में काम कराने के लिए एक सीरी रक्खा हुआ है जो कि उसके खेत में काम करता है। वह वहां काम करते हैं सारा दिन तो अगर हम ३० एकड़ को ४० से जरब करें तो उस की कीमत १२०० रु० बनती है। अमूमन एक फैमिली में ७, ८ मेम्बर होते हैं। ७ तो घर वाले खुद ही हो गये और ८ वां उसका काम करने वाला। १२०० रु० को ८ से तकसीम करने से १५० रु० सालाना आमदनी बनती है। अब आप अन्दाजा लगायें कि इस रुपये से क्या तो वह लड़के को पढ़ा लेगा और क्या अपनी लड़की की शादी कर लेगा या कोई बिजिनेस करने के काबिल हो सकेगा ?

अब जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रान्ट दी जाती है, मैं कुछ उस की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आप देखिये कि इसमें हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। मैं नहीं कहता कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ हैं, उन की तरफ ज्यादा तवज्जह न दी जाय लेकिन मैं इसमें कुछ भेद समझता हूं। एक तरफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज हैं जिनकी आबादी ६०३ लाख है और दूसरी तरफ शैड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं जिनकी आबादी १९१ लाख है। अब आप देखिये कि जो २२ करोड़ रुपये हमने अपने फाइव इयर प्लैन में इन लोगों के लिये सैंक्शन किये हैं उन में से नार्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजंसी जिसकी आबादी ८ लाख है ३ करोड़ रुपये सैंक्शन किये गये थे जिस को कुछ देर के बाद बढ़ा कर चार करोड़ २१ लाख कर दिया गया। जिसकी आबादी १९१ लाख है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये १५ करोड़ रुपया दिया गया और शेड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज और एक्स क्रिमिनल ट्राइब्ज के लिये जिन की आबादी ६०३ लाख है, सिर्फ ४ करोड़ रुपया दिया

गया । मैं समझता हूं कि इसमें जरूर कुछ राज की बात है । या तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं उनकी आबादी कंजेस्टेड है और हम लोगों की आबादी स्कैटर्ड है, हम लोग किसी गांव में १५ फी सदी हैं और किसी गांव में २० फी सदी और उन की आबादी बिल्कुल इकट्ठा है, और आप की पालिसी यह साबित करनी है कि चूंकि उन की आबादी इकट्ठा है इसलिये उन के वोट्स आप को काफी तादाद में मिलते हैं जब कि हमारे वोट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं शायद इसी लिये आप उन को तरजीह देते हैं । नहीं तो हम लोग भी उसी तरह से पिछड़े हुए हैं जिस तरह से कि वह लोग फिर भी हम को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता । यह जो डिस्क्रिमिनेशन है उस के बारे में मैं चाहता हूं कि आप जरा तफसील से बतलाएं ।

रिपोर्ट के पेज ८६ पर लिखा हुआ है कि

"Free legal aid should be provided to the Scheduled Caste people to help them in dealing with the cases arising, *inter alia*, out of the practice of social disability"

तो जवाब देते हैं :

"Free legal aid is being provided to the Scheduled Castes".

मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है, यह किसी भी फैक्ट्स पर मबनी नहीं है, अगर है तो मिनिस्टर साहब बतलायें ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : बम्बई स्टेट में है ।

श्री अजित सिंह : मैं बम्बई की नहीं पंजाब की बात कर रहा हूं । बम्बई में ट्राइब्ज को दी जाती है । मैं चाहता हूं कि जैसे ट्राइब्ज को दी जाती है, उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स को भी दी जाय ।

अब आप रिलिजस डिस्क्रिमिनेशन को देखिये । यह आज कल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है । बात यह है कि इस में सिर्फ जो अपोजीशन पार्टी है, यानी अकाली पार्टी, उस का ही भला हो रहा है, यह तो उन का पोलिटिकल भला है । हम लोगों का तो जो भला वह चाहें वह करें । वह हम लोगों पर एहसान करते हैं । मैं पूछता हूं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसे ऐमेन्ड कर के हम लोगों को ईक्वल जस्टिस देती ? जिस तरह से और जगहों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स को बड़े प्रिविलेजेज दिये जाते हैं उसी तरह से पंजाब और पैप्सू में जो शेड्यूल्ड कास्ट्स के सिख हैं उनको प्रिविलेजेज दिये जायें । वहां पर चार क्लासेज हैं, मजहबी, रामदासी, कबीरपन्थी और सिकलीगर इन चार जातियों को जो कि सिखों की हैं जो रियायतें मिलती हैं पंजाब और पेप्सू में, मैं चाहता हूं कि उन्हीं को एक्स्टेन्ड कर दें तो आप का क्या नुक्सान हो जाता है । फर्ज कीजिये कि मैं फीरोजपुर में हूं, फौज में नौकरी कर रहा हूं । मेरे बाल बच्चे हैं । मेरे बाल बच्चों को वजीफा मिलता है, पूरी रियायतें मिलती हैं जो कि किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट को मिलती हैं । आप ने मुझे ट्रान्सफर करके बम्बई भेज दिया । तो वहां पर मैं ने या मेरे बच्चों ने क्या कुसूर किया है जो कि वह रियायतें मुझे नहीं मिलतीं ? मुझे वहां पर भी वही फेसिलिटीज मिलनी चाहियें जो पंजाब में मिलती थीं । मैं चाहता हूं कि आप इस आर्गूमेन्ट का जवाब जरूर दें ।

Shri Ram Dhani Das (Gaya East-Reserved-Sch. Castes): This is the fourth report that we are discussing today. I am glad the Commissioner has been trying to give a true picture of the existing conditions of the different Harijan communities of the country. I totally agree with him when he says in his first report of 1951, at page 1:

"Even among the Harijans there are high and low but the Bhangi is the lowest of all. Every caste has the privilege of regarding some other caste as inferior to it but not so in the case of the Bhangi or his counterpart the

[Shri Ram Dhani Das]

Halalkhor of upper India, the Dom of Bihar and Madaru of Madras."

Further, to make his statement more effective, he quotes the line of Mahatma Gandhi as:

"It is the Bhangi who enables the society to live. A Bhangi does for society what a mother does for her baby. The Bhangi has been the most despised of the Harijans because his work has been regarded as most degrading."

So said Mahatma Gandhi and nobody would deny the truth of this statement. Again, in his second report of 1952, at page 141, the Commissioner says:

"In cities and towns civil conciousness is so dormant that corporations, Municipalities and District Boards, etc. are very reluctant in providing even the primary amenities of life like decent housing, lighting, water-supply, etc. to their Mehtar, Dom, Bhangi and Mahar Harijan employees. Large items of expenditure are swallowed up in the construction of luxurious road and lighting arrangements while the Harijan employee has been relegated to the background and under the pretext of financial stringency. Some of the local bodies do not treat them fairly in the matter of decent conditions of service. The Harijan employees are not so strong and organised as to forge sanctions for redress of their grievances also, however indispensable and of public utility and essential their service may be. The conditions of the scavengers and sweepers of Bombay State have been well illustrated in a detailed report called the *Report of the Scavengers Living Conditions Enquiry Committee*. I recommend this report strongly to all local bodies of States who desire to ameliorate the conditions of the lowest of the low, the Harijans, working as scavengers and sweepers".

Again, in the third report of 1953, the Commissioner wants to draw the attention of the Government in this direction saying:

"the real test of progress and advancement of the Scheduled Castes is to be judged from the conditions of castes like Bhangies, Doms or Mehtars who occupy the lowest rung".

Now, having drawn the attention of the House towards the observations of the Commissioner in regard to the conditions of the lowest of the low, I wish to add that really, though the Government of India and the State Governments are increasing the amount year by year for the uplift and betterment of the Scheduled Castes and though lakhs and lakhs of rupees are spent on this item, it is up till now proving fruitless to the highly down-trodden communities for whom I am speaking.

Without taking much time of the House, I wish to suggest a few steps to be taken by Government in this behalf.

Firstly, the policy of the Government in the field of Harijan uplift should be one of "more needy more help". Without this policy I am sure that all the different communities cannot rise to the same level; consequently, the condition of these communities is likely to remain unchanged.

Secondly, the Central Government should request the State Governments to set up an enquiry committee of experts with the representatives of the communities concerned to study their problems and suggest ways and means to raise their living standards and educational equipment. Thirdly, the State Governments should be requested to watch the educational progress of the different Harijan communities to

see which among them are progressing and which are not. I am glad to find that the Commissioner has laid special emphasis on education. At page 223 of the Third Report he says: "Education will play the most important role in the advancement of the Scheduled Caste people, as it will be through education alone that the other two disabilities, i.e., social and economic, will resolve themselves." They should therefore be helped to equip themselves with necessary educational and technical qualifications to take their right place in the different walks of life and merge themselves with the society in general."

Fourthly, wherever Harijans are taken by Government nominations, the nominee most preferably should be from the communities known as the lowest of the low in the report.

Lastly, the Removal of Untouchability Act should be enforced vigorously throughout the country, especially in rural areas, not only by non-officials but also by Government officials like the Sub-Divisional Officers, police chowkidars, etc.

I am sure the hon. Home Minister will give sympathetic consideration to these suggestions.

Shri M. R. Krishna (Karimnagar—Reserved—Sch. Castes): Mr. Chairman, Sir. I thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion on the Scheduled Caste Commissioner's Report. In the first place, I would like to say a few words about the report. The members of the Scheduled Caste Community in this House, as well as outside this House, were eagerly expecting the Fourth Report of the Scheduled Castes Commissioner thinking that this report would give detailed information about the economic, educational and social disabilities of the Scheduled Castes in the various States and the actual achievements during this three-year period. But, unfortunately, we have not got any such information, but the Scheduled Castes Commissioner was fair enough to inform this House that he did not receive the sympathy, support or cooperation of the State Governments. When that is the attitude of the State Governments towards the Commissioner who has been appointed directly by the President of the Union, the House can imagine the position of social workers and institutions which are working for the betterment of the Harijans and the tribal people.

As a matter of fact, I am of the opinion that this type of report instead of helping the Scheduled Castes has actually done some disservice to them. I have to say this because the officers of the State Governments had a certain amount of fear and interest in the welfare of the Harijans when the first report was under preparation. But when State Government officials had seen the way in which this House treated the Report of the Scheduled Castes Commissioner, they actually became a little bit slack they have forgotten their duty and are not doing the duty that has been assigned to them. Of course, I have no doubt that since we have got a new Home Minister in Pandit Govind Vallabh Pant, most of our grievances will be eradicated within a very short period. This I believe because the former Home Minister for nearly three and a half years when this House and many others outside had been constantly requesting Government to find a man to occupy a position in the Public Service Commission, could not find one single individual in the whole of the country. Whatever apprehensions the Scheduled Caste Members might have had, whatever the reports which had been frequently published in the various papers that the Union Public Service Commission Members were not sympathetic towards the Scheduled Castes these fears have been allayed by the present Home Minister, who within a short period of five or six months has found a man from the extreme south to occupy a position in the Union Public Service Commission. This gives

[Shri M. R. Krishna]

high hope to the Members of the Scheduled Caste community to feel that under the present Home Minister the Scheduled Castes Commissioner will be able to do much better work and ameliorate their condition in a very short period. I do not want to labour this point since I have got very limited time. I would like to suggest some means which will definitely go to improve our conditions.

Sir, in every district I want the Government to appoint a special officer. This special officer unlike the officers of the Social Service Department of Hyderabad should be clothed with enough powers and the police also should be given sufficient instructions to help these officers. These officers should be given certain specific types of work the area for each officer should be assigned, so that it should be possible to assess the amount of work which each officer turns out after a specific period. This officer should be in charge of Harijan problems in the district—their educational, economic and social disabilities.

We have recently passed the Removal of Untouchability Act but there is no proper agency in the districts to work this Act: Every thing has to depend upon the police and, as has been expressed by many of my friends here, the police often support the so-called high caste people against the Scheduled Castes. There are various cases where members of the Scheduled Caste community, because they wanted to enforce rights that have been guaranteed to them under the Constitution, have been punished by the Caste Hindus of the locality. So, it is impossible for the Harijans to get any benefit out of the Acts which have been passed in this House, unless the police cooperate with the special officers. Another thing I would like to suggest about untouchability is this. I do not want the Government to entrust any kind of responsibility to the Harijans for the removal of untouchability. In the first place, I do not want my friends and my community to feel that there is anything like untouchability, even though they have been suffering under that for a long period; still, at this time, I do not want, the young children at least, to know, that there is something like untouchability in this country. This responsibility should be assigned to the Government and to the Caste Hindu community. It is their duty and it has been expressed by the Home Minister on various occasions that the responsibility of removing untouchability lies with the Government and with the caste Hindus and not with the Harijans who suffer from that disability.

Instead of spending money on the removal of untouchability, I think that if the Government spends some money in opening technical schools where the children of the Harijans can be trained in some trade, that will go a long way to improve their condition. I do not even have the belief that if a person belonging to this community is educated up to the sixth form, he can rise, because he will have to go after the officers and he will have to depend only on Government jobs. That type of thing will ultimately make the Harijans again disabled, because today the standard of education has gone very high and my community will not be able to compete with other communities. Therefore, I feel that instead of spending money through the non-official agencies for the removal of untouchability, if that money can be spent in opening more technical institutions where special training can be given to the Scheduled Castes and other tribal people, that will definitely do much more good.

Another thing I would like to stress is this. We have been told about the way in which the community projects and national extension schemes are worked in this country. There are about 828 project blocks; out of these 220 are community projects covering 32,957 villages and benefit-

ing nearly 20.4 million people. The remaining 608 national extension blocks cover 66,335 villages and over 41.8 million people are benefited. Several times questions have been asked in this House as to how many Harijan families are benefited by these projects and national extension schemes, but Ministers were unable to answer those questions properly. That clearly shows that these communities have not derived any benefit out of these projects and national extension schemes. Of course, it may be said that the First Five Year Plan was prepared in a hurried manner and much could not be done. In future when money is given to States for taking up more extension programmes, I would like the Home Ministry to insist that States should at least make a provision that 30 to 40 per cent be spent on the Harijan population living in the areas covered by these schemes and projects. It should be a strict condition that unless this is done, the State Government will not be given any assistance. I know that money is being spent in various States for the removal of social disabilities, for educating Harijans, for giving employment to them and so on. But the Scheduled Castes Commissioner has himself said that not much has been done in the various States. This is a very sad thing and I want the Home Ministry to take proper steps, so that the recommendations that have been made in the First Five Year Plan are implemented at least to the extent of 30 per cent.

I want to mention one thing regarding the second Five Year Plan. I know that certain committees have been constituted by the Planning Commission to consider the Plan. The problem of Harijans is a very big one and I want the Planning Commission to form a special wing consisting of members of Scheduled Castes and caste Hindus who have been taking a keen interest in the welfare of the Harijans. The Planning Commission should constitute such a special wing, so that when the second Five Year Plan is prepared, the interests of Harijans will have due consideration.

Everytime we ask questions in this House about the filling of reserved vacancies, the Ministers answer that the Harijans are not up to the mark, and that they do not have the required merit. I would like to know from those Ministers and other people who feel that the Harijans do not come up to the mark, how many years they have taken to become efficient and how much money their parents had to spend on them. Yesterday you started giving some concession to the Scheduled Castes and today you want them to come up to the mark, up to the level of other boys. The Ministers who feel that the untouchables are not up to the mark forget the conditions in which the Harijans boys live. They do not consider whether they have any library facilities in their villages, whether they have got educated people around them, whether their parents are educated and so on. All these things are forgotten. This is not the way in which you can improve the conditions of the Scheduled Castes. The approach should be different. I hope the present Home Minister will take all these things into consideration and see that the problems facing the Harijans are eradicated as early as possible.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri M. R. Krishna: I think I have still time.

Mr. Chairman: The hon. Member has taken more than 15 minutes.

Shri M. R. Krishna: I will conclude now.

There is one more point. I do not care whether anybody has food in my house or not. What I want is that the Harijans should have better houses to live in; they must have better clothes to wear and they must have good food to eat. If these things are provided, I do not care whether any Brahmin comes to my house to take food or not. These are the primary necessities of every individual and a Government

[Shri M. R. Krishna]

which does not guarantee these things cannot be called a Government. This is my own national Government and I have every right to demand these things from the Government. I hope the present Home Minister will see that the Planning Commission sets apart huge amounts of money, so that they can be wisely spent in a manner that the Harijans get some benefit out of them.

Mr. Chairman: There are about 30 chits with me containing the names of Members who want to take part in the discussion, but the time at our disposal is very limited. Under the circumstances, I would like to know the wishes of those Members who have not spoken. I want to know if they agree with me that I should ring the bell after ten minutes. So far I have been doing so after 15 or 20 minutes. But, in order that all Members who want to partake in the discussion may get a chance, I think it would be better if hon. Members will allow me to ring the bell after ten minutes.

श्री जागडे : बहुत से सदस्यों ने हरिजनों की उन्नति के सम्बन्ध में नए नए सुझाव पेश किए हैं और जब से माननीय श्री पन्त जी इस सदन में आए हैं, तब से हरिजनों की उन्नति का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । उन्होंने आते ही एक हरिजन को अण्डर सेक्रेटरी नियुक्त किया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक हरिजन को उन्होंने मदस्य बनाया । मैं समझता हूं कि यदि पन्त जी १९५० से ही गृह-मंत्री हो गए होते, तो आज तक इस देश के हरिजनों की बहुत दूर तक उन्नति हो सकती थी । यह तो मंत्रियों के रुख पर निर्भर करता है कि हरिजनों की उन्नति हो या न हो । यदि मंत्रिगण अपना रुख बदल लें तो हरिजनों की उन्नति में कोई देर नहीं लगेगी ।

एक बात का मुझे दुःख है कि मैं यहां केवल उपमंत्री गृह-कार्य को यहां देखता हूं । दूसरे मंत्री यहां नहीं हैं । उनको भी यहां इस समय रहना चाहिए था ताकि वे हमारे अनुभवों को हमारी दर्दभरी कहानियों को सुन सकते और अपने नीचे के अधिकारियों को उचित आदेश दे सकते । यहां इस समय केवल शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर और उपमंत्री गृह-कार्य हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी कहानी दूसरे मिनिस्टरों के कान तक नहीं पहुंच सकेगी ।

मुझे एक बात को सुन कर तो बहुत दुःख हुआ है । प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वे राज्य सरकारों को हरिजनों की छुआछूत निवारण के अलावा और किसी योजना के लिए कोई हेल्प या लोन नहीं देंगे । इसका नतीजा यह होगा कि इस ढिलाई का राज्य सरकारें नाजायज फायदा उठायेंगी । हमारे शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर कहते हैं कि यह तो राज्य सरकारों का सबजेक्ट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, राज्य सरकारें हमारी बात मानें या न मानें । अगर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हरिजनों के लिए छुआछूत निवारण के अलावा और किसी योजना में सहायता नहीं देगी तो इसका यही नतीजा होगा कि कुछ दिन बाद हमको यह देखने को मिलेगा कि कई राज्य सरकारों ने हरिजनों की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया है ।

मेरा एक और सुझाव है । आप ४३०० करोड़ की दूसरी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं । हरिजनों के लिए इस योजना में क्या होना चाहिये था इस विषय में आपको संसद् के हिरजन, बेकवर्ड क्लासेज, और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को कंसल्ट करना चाहिए और जो सहायता वे इस कार्य में दे सकते हैं वह सहायता उनसे ली जानी चाहिए । अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । अगर आप हरिजनों की सलाह उनके मामले में नहीं लेंगे तो जो काम आप उनके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में

करेंगे वह अधूरा होगा । अगर आप इस विषय में हमारी सलाह और सहयोग नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हरिजनों और आदिमजातियों की आर्थिक उन्नति में बहुत देर और ढिलाई हो जाए । जो कुछ रुपया हरिजनों के लिए रखा जाता है उसमें बहुत सा तो एस्टेबलिशमेंट पर खर्च हो जाता है और जो रचनात्मक कार्य हरिजनों की उन्नति के लिए होना चाहिए वह नहीं हो पाता । इस चीज को मैं ने देखा है, जाना है, सुना है और उसके बारे में यहां कई बार आलोचना भी की है ।

दूसरी बात मुझे सैंसस (जनगणना) के बारे में कहनी है । बिहार के प्रत्येक जिले में जनसंख्या बढ़ी है पर एक जिले, दरभंगा, में हरिजनों की संख्या घट गयी है । ऐसा भी नहीं हुआ है कि वहां के हरिजनों ने अपने को सवर्ण लिखवाया हो । जब हम सैंसस के रजिस्ट्रार जनरल और डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल के पास जाते हैं तो हमें वहां भी यही उत्तर मिलता है : दरभंगा में हरिजनों की संख्या घट गयी है किन्तु उनको इसका कारण ज्ञात नहीं है । जो और जन गणना के अधिकारी हैं उनको भी इसका ज्ञान नहीं है कि यह संख्या क्यों कम हो गयी है । अगले चुनाव आने वाले हैं । इस कमी का नतीजा उसमें बुरा निकलेगा । मैं समझता हूं कि इस गलती को अब इसी तरह से ठीक किया जा सकता है कि आप १९०१, १९११, १९२१, १९३१, और १९४१ की सैंसस को देख और उसके अनुसार इस संख्या को बढ़ावें । तभी हम वहां के लोगों के साथ न्याय कर सकते हैं । इसमें केवल हरिजन सीटों का ही सवाल नहीं है इसमें कर्तव्यपरायणता वफादारी का प्रश्न है । मुख्य प्रश्न तो यह है कि हमें उन लोगों के साथ न्याय करना चाहिए । इसके लिये होम मिनिस्टर साहब को आवश्यक कदम उठाने चाहियें ।

अब मैं बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आपने पहले परिसीमत समिति बनायी थी । उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है । अब यह बैकवर्ड क्लासेज कमीशन कुछ जातियों को शामिल करेगी कुछ को निकालेगी । इसलिए उनकी संख्या का फिर से निर्धारण करना पड़ेगा । बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है । संविधान के अनुसार इस कमीशन की स्थापना हुई है । उसकी रिपोर्ट अभी भी कानफिडेंशियल है । सदन के सदस्यों को मालूम नहीं है । मालूम नहीं कि राज्य सरकारों को उसके बारे में कुछ मालुम है या नहीं । पता नहीं कि फिर चुनाव परिसीमत समिति बनायी जायेगी । इस बात में कितनी देर लगेगी यहन हीं मालूम । होम मिनिस्टर साहब को यह चीज पहले करनी थी । मैं इस बात के लिए सदन से और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत जल्द बहस हो जानी चाहिए । शिशिर काल में जो इस सदन का सत्र होने वाला है उसमें उस पर विचार होना चाहिए ताकि सन् १९५८ में या जब भी चुनाव हों तो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों से फायदा हो सके । यदि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने कुछ जातियों को शामिल किया या नहीं किया तो उसका नतीजा यह होगा कि १९६० तक हमारे प्रतिनिधित्व और संरक्षण का कोई अर्थ नहीं रहेगा और बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की स्थापना का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहेगा । इसलिए में चाहता हूं कि शिशिर कालीन सत्र में बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर बसह हो जाये और सरकार उस पर अपना अन्तिम निर्णय दे दे । राज्य सरकारों से भी राय ली जाये, लेकिन अगर राज्य सरकारें ढिलाई करें तो उनकी राय की परवाह न करके केन्द्रीय सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए ।

मेरी यह सूचना है कि जहां अनुसूचित आदिम जातियों का सवाल है वहां तक तो.

[श्री जांगड़े]

ठीक है । उनके लिए आल इंडिया अनुसूचित आदिम जाति कानफरेंस बुलायी जाती है । यदि इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों के हरिजनों के बारे में एकसूत्रता लाने के लिए, गृह मंत्रालय एक आल इंडिया हरिजन कानफरेंस अर्ध सरकारी तौर पर बुलाता तो कितना अच्छा होता । उसमें केन्द्र के और राज्यों के हरिजनों से सम्बन्ध रखने वाले मिनिस्टर शामिल होते, संसद् सदस्य शामिल होते और गैर सरकारी हरिजन संस्थाओं के कार्यकर्त्ता भी आते और हरिजनों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्ष करते। इस विषय में शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर को कुछ सुझाव देना चाहिए था पर उन्होंने कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया । मैं ने आल इंडिया शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कानफरेंस को जब देखा तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि यदि इसी तरह की कानफरेंस हरिजनों के लिए भी की जाती, या इसी के साथ मिलाकर ही हरिजनों की भी कानफरेंस, सेमी गवर्नमेंट लेविल पर की जाती तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसा होता तो हम अपनी समस्याओं की ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते, हममें आपस में अधिक प्रेम प्रकट बढ़ सकता था, और हम सारे देश के लिए एक यूनीफार्म पालिसी निर्धारित कर सकते ।

अब मैं अपने प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अनुसूचित जाति आयुक्त ने हमको बतलाया है कि हर प्रान्त में कितने मंत्री और उपमंत्री हमारे लिए काम कर रहे हैं । लेकिन जब हम केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जातियों के विषय में प्रश्न करते हैं तो वह अस्वीकृत कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह तो राज्य सरकारों का विषय है । कहा जाता है कि इस विषय में हम कोई आर्डर नहीं दे सकते, केवल सलाह दे सकते हैं, उसको राज्य सरकारें चाहे मानें या न मानें इसका उनको अधिकार है । मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने शिड्यूल्ड ट्राइब्स को सेंट्रल सबजेक्ट माना है उसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स को भी सेंट्रल सबजेक्ट मान लें, नहीं तो कम से कम इस विषय को कानकरेंट लिस्ट में रख दें । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रान्त हरिजनों के काम में उपेक्षा दिखाते हैं उन पर आप सख्ती कर सकेंगे और तभी हमारी उन्नति होगी । यदि आप इसको स्टेट सबजेक्ट के रूप में रखेंगे तो हरिजनों की उन्नति कई प्रान्तों में नहीं हो सकेगी । मैं उन प्रान्तों का यहां पर नाम नहीं लेना चाहता ।

मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना म मध्य प्रदेश में हरिजनों के लिए कितना खर्च किया गया इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में वहां की सरकार क्या खर्चा करेगी इस बारे में भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है । केन्द्रीय सरकार कहती है कि हम केवल हरिजनों की छूआछूत निवारण के लिए ही पैसा देंगे और कार्यों के लिए नहीं देंगे । यदि केन्द्रीय सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के अन्य कार्यों के लिए कुछ सहायता नहीं देगी तो मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में जहां हरिजनों के प्रति उपेक्षा दिखायी जाती है, हरिजनों की कैसे उन्नति होगी । मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सरकार ध्यान दे ।

अब मैं सरविसेज के ऊपर आता हूं । जब से पंत जी आये हैं तब से गृह मंत्रालय में और रेलवे को छोड़ कर अन्य मंत्रालयों में भी हरिजनों के प्रति सहानुभूति दिखायी जा रही है । यदि इसी तरह की सहानुभूति बढ़ती गयी तो हरिजनों की उन्नति हो सकती है । लेकिन जो विभागों के अधिकारी

हैं वे हरिजनों के प्रोमोशन में कुछ जातिवाद का ऐसा चक्कर लगाते हैं कि हरिजनों को नौकरी मिल जाती है तो उनकी प्रोमोशन नहीं हो पाता । बार बार गृह मंत्रालय के आदेश जाते हैं पर कोई परिवर्तन नहीं होता । एक हरिजन बरसों क्लर्की पर रगड़ता रहता है उसको प्रोमोशन नहीं मिलता । इस ओर भी सरकार को निगाह रखनी चाहिए ।

3 P.M.

मैं एक चीज और नहीं समझ सकता कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जितने मंत्रालयों के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग कानून हैं और रेलवे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दूसरे कानून क्यों रक्खे जाते हैं । रेलवे मंत्रालय में इम्तिहान होता है जब कि गृह मंत्रालय के अधीनस्थ मंत्रालयों में कोई इम्तिहान नहीं होता । गृह-विभाग ने अपने यहां हरिजनों के लिए रिजरवेशन रक्खा है पर रेलवे मंत्रालय ने अपने यहां कोई रिजरवेशन नहीं रक्खा है । मैं रेलवे के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर हमेशा दिलाता रहता हूं परन्तु कोई उत्तर नहीं मिलात और मैं समझता हूं कि जब तक उनका उत्तर हमें प्राप्त होगा तब तक हमारी पार्लियामेंट की मैम्बरी खत्म ही चुकी होगी । उसके बाद हमें ऐसा उत्तर प्राप्त होगा जो कि एक दिन में तैयार किया जा सकता है । रेलवे मंत्रालय में हरिजनों को विशेष संरक्षण और रिजरवेशन मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत काफी बड़ा डिपार्टमेंट है और इसमें करीब १० लाख लोगों को नौकरी मिलती है । वह सबसे बड़ा मंत्रालय है जहां कि १० लाख आदमी काम करते हैं जब कि और सब मंत्रालयों में कुल मिला कर ७ लाख से ज्यादा आदमी काम नहीं कर रहे हैं, और रेलवे विभाग में इसकी व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है . . . .

Shri Datar: The hon. Member is entirely wrong. The Railway are following the various reservation quotas.

Shri Jangde: I have recently received a letter given to one M.P., stating that the Home Ministry conducted an examination for Assistant Superintendents as a special case which the Railway Minister cannot adopt.

Shri Datar: But what the hon. Member stated was that the reservation quota was not being followed at all. The Home Ministry might take some special steps. I would request the hon. Member not to be unfair to the Railway Ministry.

श्री जांगड़े : इस चीज के लिए मैं रेलवे मंत्रालय से यह प्रार्थना करूंगा . . . .

Mr. Chairman: Shri Jatav-Vir.

श्री जांगड़े : मैं लाजपतनगर कालोनी के बारे में सिर्फ यह कहना चाहता हूं . . .

Mr. Chairman: Order, order. I have called another gentleman.

Shri Jangde: One minute, Sir.

Mr. Chairman: Order, order. I have called another Member.

श्री जाटववीर (भरतपुर सवाई माधोपुर रक्षित अनुसूचित जातियां) : यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और उसके सम्बन्ध में मैं थोड़े में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने जिस परिश्रम से और जिस मेहनत से इस रिपोर्ट को तैयार किया अगर यह ठीक समय पर पेश की गई होती तो आज जो हरिजन सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, वे सारे काफी प्रसन्नता का अनुभव करते । मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वे भविष्य में सतर्कता से काम लें और कहीं ऐसा न हो कि हमारे भाई

[डा० जाटववीर]

श्रीकांत सन् ५५ की जो रिपोर्ट काफी परिश्रम से तैयार कर रहे हैं, वह वक्त पर न पेश हो सके और इतने में एलेक्शन सिर पर आ जाय और आप लोग तड़फते ही रह जायें ।

हमारे गृह मंत्री महोदय ने इस सदन के अन्दर अस्पृश्यता अपराध कानून बनाया और उसके अनुसार उन्होंने हमें तमाम सुविधायें दीं । उस ऐक्ट के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं परन्तु मेरी शिकायत यह है कि वह ऐक्ट केवल यहीं पर बन कर सदन में ही रह गया है और जब स्टेट गवर्नमेंटों से उसके विषय में पूछते हैं तो वे कहती हैं कि हमें उसके बारे में कुछ इल्म नहीं है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स को आवश्यक आदेश जारी करें ताकि वहां पर इस कानून को अमल में लाया जाये । मैं अपने उपमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं । उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स को यह आदेश देना चाहिये कि जो सरकारी होटल अथवा होस्टिल हैं वहां पर सरकारी हरिजन कर्मचारियों को खाना खिलाने में भेदभाव नहीं बर्तना चाहिए । राजस्थान और यू० पी० की बाबत मैं जानता हूं कि जो हमारे हरिजन रिक्रूट हैं, जैसे कांस्टेबुल हैं, उनको उन सरकारी होटलों में सवर्णों के साथ खाना नहीं परसा जाता है बल्कि उन्हें खाना अलग दिया जाता है, उनके बर्तन अलग मांजे जाते हैं और उनसे मंजवाये जाते हैं । इस तरह का भेदभाव और छुआछूत हमारे भाइयों के साथ बर्ती जाती है । इसी तरह मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान में और यू० पी० में जो ट्रेनिंग स्कूल हैं, आगरा और फतेहपुर वगैरह में, वहां पर हरिजन लड़कों को स्वयं अपने बर्तन मांजने पड़ते हैं जब कि सवर्णों के लिए यह जरूरी नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस तरह के भेदभाव को हटाने के लिए क्या किया है ? इसी तरह की दर्दनाक हालत दूसरे प्रान्तों में भी हमारे भाइयों की है । इसी तरह हम देखते हैं कि आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में दिल्ली में ही जो हरिजन भाई पैकर्स आदि की हैसियत से काम कर रहे हैं उनको पानी पीने के लिए नल पर जाना पड़ता है, वह सुराही में से पानी नहीं पी सकते । देहली पोस्ट आफिस के अन्दर यह भेदभाव हरिजन और सवर्ण कर्मचारियों के बीच में बर्ता जा रहा है । इसको मिटाने के लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा सर्कुलर या आदेश स्टेट गवर्नमेंट को भेजें या अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है तो सम्बन्धित डिपार्टमेंट को भेजें ताकि यह छुआछूत जल्दी से जल्दी वहां से मिट जाए ।

मैं गृह मंत्री का ध्यान जिसमें पंडित खुशी राम M.P. साक्षी हैं मेरठ वाले केस परवरपुरा की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें बालमीकों के बीस मकानात तुड़वा दिये गये और उनका रास्ता भी रोक दिया उनका खेत काटना तक बंद कर दिया गया इसके लिए वह स्टेट गवर्नमेंट के पास गये, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला । यह दशा आजकल हो रही है । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, वह दर्ज नहीं करती, कलक्टर के पास जाते हैं, कलक्टर नहीं सुनता, एस० पी० के पास जाते हैं, एस० पी० नहीं सुनता । आखिर बेचारे ने हमको यहां पर टेलीफोन किया और हम लोग मौके पर गये, दो महीने बाद वहां के एस० डी० एम० और डी० एस० पी० वहां पर जाते हैं और राजीनामे की कोशिश करते हैं कि राजीनामा कर लो । तो इस तरह की दुर्दशा उनकी बनी और वर्षा में वे बेचारे तंग होते हैं लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है ।

अकेला यही किस्सा नहीं राजस्थान का मैं आपको एक क़िस्सा बताऊं कि आपका ऐक्ट पहली जन से लागू हुआ और २६ जून

को वहां पर हरिजनों की शादी की बारात नहीं चढ़ने दी और बाजा नहीं बजने दिया और दूल्हे के सिर पर से मौर उतार कर ले गये। जब पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाने गये तो उन्होंने कोई समात नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो बहुत कुछ कहने सुनने पर रिपोर्ट तो लिख ली जाती है लेकिन उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं ने आगरा एस० पी० से कहा कि आखिर अब तो ऐक्ट बन गया है जो अस्पृश्यता बर्तता हुआ पकड़ा जाय उसका आप चालान कीजिये और उस पर ऐक्शन लीजिये, लेकिन तजुर्बा यह बतलाता है कि कोई कार्यवाही नहीं होती है और अपराधियों को दंड नहीं मिलता है। पुलिस के पास सूचना पहुंचने पर थानेदार चला जाता और जा कर उनसे कहता है कि भाई आपस में तुम लोग राजीनामा कर लो, उससे कहला दिया जाता है कि भविष्य में मैं अस्पृश्यता का अपराध नहीं करूंगा और उसको बस छोड़ दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आपके यहां से सेन्टर से स्टेट गवर्नमेंट्स् को इस विषय में स्पष्ट आदेश जाने चाहियें कि ऐसे अपराध करने वालों को माफ़ न किया जाय और उन्हें उचित दंड दिया जाय तभी इस देश से अस्पृश्यता का कलंक दूर हो सकता है अन्यथा नहीं। खाली जनरल में अपने आदेश अथवा आर्डर को निकाल देने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिये आपका सर्कुलर जाना चाहिये और स्टेट गवर्नमेंट को फिर यह सर्कुलर आर्डर अपने तमाम ज़िलों अधिकारियों के पास भेजना चाहिये। यदि आप को छुआछूत मिटाना है, सर्विस इत्यादि के विषय में, तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि आप उस के लिये उपाय सोचिये। अगर हरिजनों और सवर्ण में छुआछूत मिटा कर प्रेम उत्पन्न करना है तो आप आदेश कीजिये, और आप यह कर सकते हैं, कि रेलवे मिनिस्ट्री के जो आइस वेन्डर्स हैं जो यात्रियों को पानी आदि पिलाते हैं, वह केवल हरिजन ही रक्खे जायें। ऐसा कर के आप देखिये कि अस्पृश्यता दूर होती है या नहीं।

मैं पुलिस के सम्बन्ध में अपने गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देहली में वह मुझे बतलायें कि जो पुलिस उन के नीचे है उस में कितने दलित जाति के लोग हैं? पता नहीं, मुझे इसका जवाब भी मिलेगा या नहीं।

इसी प्रकार से श्री जांगड़े ने सर्विस में हमारे प्रमोशन के बारे में कहा कि आप हरिजनों को ऊंचे स्थानों में पहुंचायें। मैं अपने माननीय पंत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले भी इस सम्बन्ध में काफी किया है, और अब वह यहां आये हैं, हो सकता है कि यहां भी कुछ करें। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि कितने आदमी, जिन का कार्य बहुत अच्छा है, जिन्होंने बड़े बड़े डाकू पकड़े हैं, जो दलित जाति में से एस० पी० बने हैं, आई० पी० बनाये गये हैं? जो लोग उन के बाद एस० पी० हुये हैं ऐसे दो चार आदमी आई० पी० बना दिये गये, लेकिन उन को अवसर नहीं दिया गया। उन का कार्य अच्छा है, सर्विस बुक भी अच्छी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इस के बाद एक बात मैं जमीनों के वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो खेतिहर भूमि है उस में काम करने वाले अधिकतर दलित जाति के लोग हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ७५ फी सदी दलित जाति के हैं। यहां भी इस बात पर कई बार ध्यान दिलाया गया, स्टेटों में भी दिलाया गया। राजस्थान में जब एक हरिजन कल्याण बोर्ड बना तो मैंने कहा कि वहां पर ३३ फी सदी भूमि हरिजनों को दे दी जायें, उन हरिजनों को जो कि खेतिहर मजदूर हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? कुछ नहीं। यह भूमिहीन लोग हैं कौन कौन रूपवासी में जमीन दीगई तो लाला जी को जो कि मिठाई

(डा० जाटववीर)

बनाते हैं। वही तो भूमिहीन हैं। और वही लोग बाद में जमीन को हरिजनों को बटाई पर दे देते हैं। इस तरह से हो रहा है। यह इसलिये होता है कि जो जमीन वितरण करने वाली संस्था है, उस में हरिजनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह कोई ऐसा आदेश दें कि जो भूमि वितरण करने वाली हमारी संस्था है उस में हरिजनों का प्रतिनिधि लिया जाय। ऐसा करने से ही भूमि की समस्या हल हो सकती है। हरिजनों का उद्धार खाली नौकरियां दे देने से ही नहीं हो सकता है। उस के लिये उन की आर्थिक अवस्था को सुधारना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक उन की हालत सुधर नहीं सकती है।

इस के अलावा आप मिलिटरी को भी ऐसे आदेश करें कि वे ठेकेदारों को बिल्कुल उड़ा दें। जते बनावें तो हरिजन लोग और फायदा उठायें बीच के ठेकेदार लोग या दूसरे लोग। यह बड़े अचम्भे की बात है कि आगरे के अन्दर से आप के पास जूते आते हैं। सारा रुपया ठेकेदारों को दे दिया जाता है और वह २ (दो) रुपया हर जोड़े के हिसाब से काट कर जूते बनवा लेते हैं और भेज देते हैं। कोई वजह नहीं है कि यह लोग मुफ्त का रुपया खावें। यह गृह उद्योग हरिजन लोग करते हैं और उन को सहायता दे कर उस को सफल बनाना चाहिये। फ़ौज को सीधे उन्हीं से जूते खरीदने चाहिये।

अन्त में मैं श्रीकान्त साहब को, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर हैं, धन्यवाद देता हूं और गवर्नमेंट को यह ध्यान दिलाता हूं कि उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में और दूसरी में भी यह सुझाव दिया है कि सेन्ट्रल हरिजन कल्याण बोर्ड बनाया जाय। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्र से शीघ्र सेन्टर में एक हरिजन कल्याण बोर्ड बनावे ताकि जो यहां सारे भारतवर्ष के एम० पी० आये हुये हैं वह भी वहां पर अपने विचार प्रकट कर सकें और शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करें। और आप को अपनी सालह दें।

Shri Nanadas: Under article 338 (2) of the Constitution, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is required to investigate into the matters relating to the safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution, and to report on the working of those safeguards, to the President. Here, we are concerned with examining how far he has discharged his duties, or the manner in which he has investigated into the matters and the manner in which he has reported those investigations to the President. These are the two main things that I would like to deal with on this occasion.

If we read the report carefully, we shall not fail to find that the investigations that he has made are of a very superifical nature, mostly relating to routine matters. He has not gone deep into the problem, nor has he suggested any far-reaching changes. And the way in which he has reported his investigations is also half-hearted, distorted and placating. I think his report is intended only for appeasing and befooling the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Has the Commissioner exhibited any courage at all in writing out this report? This report lacks courage and boldness. It is very meek and timid. And I wonder whether the Commissioner really feels what he writes. If we read the report with a critical mind, it is very easy to see the

way in which the Commissioner thinks about this problem. I do not find any seriousness at all in his report. He writes everything with a very light heart. There is nothing radical or revolutionary that he has suggested in this report.

As you know, the problem of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is of such a nature and of such a magnitude that it requires radical and revolutionery changes. But the Commissioner has miserably failed to suggest such things. I think a student of research would have been able to produce a better account and more useful material than this officer. This officer writes his report just as a subordinate officer writes his diary to please his superior officer. That is not what is required from this officer. That is certainly not what the framers of our Constitution expected from this officer. That is certainly not what the people expect from this officer. He has attempted in this report to please two masters. It is said "that one person cannot please two masters". Therefore, he has chosen here the most important master, *i.e.* the Congress Government, and I think he has succeeded in pleasing them. If you read it carefully, the Report is just like the report of a publicity officer appointed under the Congress organisation. I wish that he should be Director of publicity for the Congress organisation. (*Interruptions*). Some of my friends may say that I am not grateful to him for all the trouble and pains he has taken in producing this Report.

Shri Bogawat: Certainly.

Shri Nanadas: I am proud to be ungrateful to hypocrites. Look at the way in which the Commissioner thinks about the problem of untouchability. I am referring to page 103 of the Report for 1954, wherein he says:

> "I also do not believe that merely with the economic development of the Scheduled Caste people, untouchability will be automatically abolished".

That is his opinion. But I cannot agree with him, and I think nobody in this House can agree with him, because every one of us believes—and rightly—that it is by improving the economic conditions of the Scheduled Caste people that we would be going a very long way in solving the problem of the disabilities connected with untouchability. I really wonder how a person who holds this view, that the Scheduled Caste people's problem cannot be solved by mere economic improvement, could work for the social and economic interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am again referring to page 222 of the 1953 Report, wherein he says:

> "It is generally said that untouchability is the by-product of caste system (Varna Ashram). The disappearance of casteism from Hindu religion will take time."

What does it mean? Does it mean that he is not sure that untouchability is the by-product of the caste system? Does it mean that it will take centuries to remove the caste system from our society, and therefore the problem of untouchability cannot be hurried upon for solution? Is it what he meant? If this is the attitude of the Commissioner, whose business is to see to the social and economic welfare of these down-trodden people, I wonder if ordinary people will take the same sort of attitude towards this problem. We all know and believe that untouchability is the by-product of the caste system and the sooner we abolish this caste system, the sooner will untouchability be banished from this country. This view has been expressed by the hon. Shri Jagjivan Ram a number of times at a number of places. Even after knowing about such kind of declarations from such a leader, this Commissioner has chosen to write in this tone. I really wonder whether it was due to ignorance or arrogance that he has written like this. I am again referring you to page 1, Part III of the Report for 1951, wherein he says:

> "By the force of habit, the Harijan has lost his self-respect to such an extent that he regards

[Shri Nanadas]

his work, to which his caste is condemned, not as a curse from which he should extricate himself, but as a privilege or preserve which he must protect. He has not much courage to seek another job in field or factory. He has thus become lazy in mind and body and callous to his own condition. He will not educate his children".

Shri Bogawat: These are facts.

Shri Nanadas: This is how the arrogant, so-called catse Hindus think about the problem from outside. They do not know the feelings of the Scheduled Caste people. I do not know whether he has got some unmarried daughters, or as a matter of fact any Brahmins are prepared to offer their daughters in marriage to Scheduled Caste people. I do not think that any Scheduled Caste youth will think it his privilege or preserve not to accept the hand of those people in marriage. I do not believe in all such things.

Shri M. S. Gurupadaswamy (Mysore): There is the Civil Marriage Act.

Shri Nanadas: Yes, but where is the equality of opportunity. I am going to develop that point. But if as a matter of fact, any rich man is prepared to offer his property or factory to a Scheduled Caste man, does the Scheduled Caste man think it his privilege or preserve not to accept that property? Suppose free education is provided to Scheduled Caste children—free in the sense of being completely free, that is boarding free, lodging free, tuition free, everything free, just like what the Chinese Government is giving in respect of education to the national minorities. If this Government provides such opportunities, do you think the Scheduled Caste people would not educate their children? You create all this dirt and mire in this society in which the Scheduled Caste people cannot develop themselves and you put the blame on the Scheduled Caste people. This is the way the Commissioner thinks about the problem.

I make bold to say that for having held such views the Commissioner has lost all his claims to hold this responsible position. I believe that there are two ways of eradicating untouchability from this conutry. One is by improving the economic conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the other is by abolishing the caste system, root and branch.

Mr. Chairman: It appears the hon. Member is proposing the same thing as the writer of this Report has done. And he has been criticising him for it.

Shri Nanadas: In the first instance, I said that the Report was distorted. I am explaining my viewpoint. It is only by abolishing the caste system that we are going to solve the problem of untouchability, and for abolishing the caste system or untouchability, the method he has suggested is propaganda and persuasion. These two things are not going to solve the problem. This is the method of a very conservative and orthodox man....

Shri Veeraswamy (Mayuram—Reserved—Sch. Castes): The Government is a conservative Government.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Nanadas: I would like to have a few minutes more.

Mr. Chairman: I have already given the hon. Member 13 minutes, and he can have two minutes more.

Shri Nanadas: Let me have five minutes more. With regard to service and other things, I will have to bring to the notice of the House the favouritism and other things that are going on.

Mr. Chairman: The hon. Member is allowed 15 minutes.

Shri G. H. Deshpande (Nasik Central): Others also have got some suggestions. The hon. Member need not

be under the impression that he alone has some suggestions.

Shri Bogawat: He can make his suggestions. He need not commit others.

Shri Nanadas: I am really glad that my friends are coming forward with their viewpoints and suggestions.

Coming to the first point, as to improving the economic conditions of the Scheduled Castes, the Government must take steps to see that at least four acres of land are allotted to agricultural families of Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the end of 1960. I had also given notice of an amendment, but it was not circulated. For relieving their housing conditions, at least 5 cents of land—house site—must be provided along with Rs. 200 cash.

With regard to the caste system, if we preserve the existing caste system intact with all its dirt and mire, we cannot make any progress in eradicating untouchability. We believe that untouchability is the by product of the caste system. There should be no doubt about it. Caste system has been a stumbling block in this country. This has been said by the Prime Minister many a time. He said that communalism and casteism should have no place in this country; there is no place for them in this world. But what is the use of his saying so? What are the specific steps that the Prime Minister has taken to solve this problem, to eradicate communalism and to eradicate casteism? None, I think.

In this connection I may make a suggestion and with that suggestion I will resume my seat.

Mr. Chairman: I have been ringing the bell. The hon. Member has taken more than 15 minutes.

Shri Nanadas: This is my personal opinion and not that of my party. I believe that intermingling of castes through matrimonial alliances will get rid of the existing caste system. For achieving this objective I suggest that the innumerable castes in our Hindu society should be divided into 10 major groups and by applying the analogy of the prohibited degrees of relationship we should prohibit marriages in the same groups.

Shri P. N. Rajabhoj (Sholapur—Reserved—Sch. Castes): You are again starting another caste system.

Shri Nanadas: If Indian society is courageous enough to adopt this method, I am fully confident that within a generation we will be able to remove the caste system and, along with it, untouchability in India. (*Interruption*). Some people say we will be curtailing individual freedom in selecting partners in life but that is not true. Here, when we have got 10 groups, every individual is free to select from among 90 per cent. of the population, a life partner. After all, what are the main things that are required for a happy life? I think it is economic security and sex harmony. If these two things are assured....

Mr. Chairman: I think the hon. Member should finish now.

Dr. Gangadhara Siva (Chittor—Reserved—Sch. Castes): I avail myself of the opportunity to congratulate the hon. Home Minister and the Deputy Minister for having formulated a constructive plan for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is undoubtedly a diplomatic determination which forwards our cherished goal of a casteless and classless society, for which we have been striving from time immemorial. At the same time, I would like to congratulate the Commissioner on his report. The criticism levelled against the Commissioner from the Opposition is baseless. The Commissioner often reported to us, passingly also, that he has been repeatedly asking the State Governments and the Centre to carry out his proposals. Who is he after all? He has been appointed by the Government to look after these most unfortunate communities on the face of the earth. He is a well-tried leader and a social worker who has worked under the guidance of Mahatma Gandhi and Thakkar Baba, who has

[Shri Gangadhara Siva]

got a lot of experience with regard to the amelioration of the depressed classes and he is the proper man for occupying the post of Commissioner, to build the destinies of these unfortunate people of India.

Now, I come to the subject proper. God has given us free gifts without tax, the land, the air and the water. If these three are applied, according to the rule of three in arithmetic, by the hon. Minister or by the officers who are in charge of the department, I am sure our problems will be solved. I remember to have read in the *Land Tenures* of Powell—this is subject to correction—that the real owners of the land in this country are the scheduled castes. Soon after the British came, they made a survey of the land with a view to collecting land revenue. They then approached the caste Hindus who were in the front of the villages about the ownership of the land. It was most unfortunate that our community was located at a fairly respectable distance away from the caste Hindus. Our community people toiled in the lands, cultivated them and got the produce to the caste Hindus. These people purchased them and about 25 per cent. was given to them. They were actually human tractors from time immemorial. Even today, after the invention of the tractors, I would call them human tractors of India. Such is their condition. So, the Britishers made *pattas* and issued them in the name of the Caste Hindus who said that the whole land belonged to them. There was no representation of this community. Even today our quarters are far removed from the others. That is why they were made landless and suffered great disabilities. Even now they have got no piece of land to bury their dead. How can this Government tolerate such a thing? We have to throw our dead into the rivers or leave them to the jackals and vultures. That is our position. I request the Home Minister to take particular care with regard to these things and see that agrarian reform is hurried through, to see that every Harijan possesses a piece of land and a pair of bullocks—free of revenue for about 5 years. Free agricultural implements. When I am talking about my grievances, it is laughed at like this. I am talking about the most unfortunate community of India. Had it not been for the endeavours of Congress and the tribal leaders, we would have been down-trodden like anything. During the British regime we served in their houses, gave them milk and fed their children. But for all this they have practically killed us. With regard to our loyalty we supported the Britisher during the time of the siege of Arcot; we gave them the rice and ourselves took the *konjee*. We saved his prestige. Even today we have that loyalty. Mahatma Gandhi has called us Harijan. If there is any non-violence it is with us indeed. Even when a depressed class man is spat upon by his landlord he simply wipes it and goes away. At the same time, our community has produced one of the greatest saints in the South, Nandanar and a Bala Yogi, a boy of 14 years in Andhra. He is immortal. I request the Education Minister and the Minister in charge of Archaeology to go and visit this Harijan boy saint. He comes from our community. We do not lack in ability but only encouragement that we want to get that from the Central Government.

Red-tapism is the worst thing about which I should say something. All powers must be given to the collector and he should see that all the request from scheduled castes are speedily dealt with. I am not at all satisfied with appointing a Deputy Minister here or a Parliamentary Secretary there. They develop themselves individually. They do not materially develop the community. You go and see their sufferings in the villages. You are enjoying here free gifts. When we go to the villages for election purposes, they ask us, 'what have you done?' So, with all earnestness

and frankness, I urge the Central Government and the State Governments to see that proper attention is paid to this. I am glad that the Deputy Minister has made a special reference and has entrusted this work to the Chief Ministers of the States and I hope it will be carried on to a satisfactory conclusion.

Social democracy can alone give birth to political democracy. This may be accelerated by improving the condition of the Scheduled Castes. Unless and until Government takes serious steps with regard to the points raised by me, I am sure in course of time there may be some interminable revolution, which is sought to be avoided by the efforts of our revered saint of the *Bhoodan* Movement. I hope the capitalists would certainly part with their lands after keeping with them a certain amount which would help them and leaving the rest to be distributed to my poor community for maintaining their living which they certainly deserve.

Shri Jaipal Singh: On a point of information, may I know who is at present in charge of the Treasury Benches listening to the debate here? Is it the Parliamentary Secretary to the Minister of Education or the hon. Minister of Parliamentary Affairs, because I find the hon. Home Minister and his deputy are not here?

Shri K. K. Basu: The official gallery is there.

Mr. Chairman: The Deputy Minister of Home Affairs has been constantly here since the morning and very probably he has given the charge of taking notes to the Parliamentary Secretary and the Minister of Parliamentary Affairs (*Interruption*). The hon. Member should not take umbrage at the fact that he has gone out for a short time; he has been here since the morning.

Shri Jaipal Singh: In fairness to me, it is very very wrong for you to imagine that I was taking exception to my hon. friend there taking notes. We come from the same part of the world. I only wanted to know whether the Parliamentary Secretary was taking the notes or my very very hon. friend, the Minister of Parliamentary Affairs.

Mr. Chairman: It appears that both the Members know each other very well as both of them come from Bihar. But the hon. Member will be glad to know that the Deputy Minister has returned now.

श्री अमर सिंह डामर (झाबुआ–रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं यहां पर हरिजन भाइयों के भाषण सुनता रहा। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि हरिजनों के लिये एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये। उन्होंने हरिजनों की सरविस के बारे में कहा और भी बहुत सी बातें कहीं। हरिजनों और आदिवासियों की समस्यायें कुछ अंश में एक सी हैं और कुछ अंश में भिन्न भिन्न हैं। हरिजनों कस्बों और बड़े शहरों में रहते हैं इसलिये वे पढ़ लिख गये हैं और समझदार हो गये हैं। लेकिन आदिवसी लोग तो जंगलों में रहते हैं, उनके पास पढ़ने लिखने के लिये कोई साधन नहीं हैं। इसलिए वे लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मैं मध्य-भारत से आया हूं। मध्यभारत सरकार ने सन् १९५४–५५ का जो बजट आदिवासियों के लिये बनाया है उसके बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि मध्य भारत सरकार ने आदिवासियों के लिये, जिनकी संख्या राज्य में १०,६०,८१२ है, जो कि दूसरे लोगों का १–८ भाग है, ३,३८,००० शिक्षा के लिये रखा है, २,२३,५०० कृषि के लिये रखा है, १,५४,५०० गृह उद्योगों के लिये रखा है, ३,३७,५०० संचार के लिये रखा है, ७०,००० चिकित्सा के लिये रखा है, ६,८१,००० प्रशिक्षण के लिये रखा है, और इसके अतिरिक्त एक २५,००० का अनुदान रखा है, और सामूहिक कल्याण के लिये ६,७७,९७० रखा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यभारत में आदिवासियों की संख्या दस लाख है जो कि किसी भी 'सी' स्टेट से कम नहीं है। इन दस लाख

[श्री अमर सिंह डामर]

आदमियों के लिये राज्य सरकार ने १९ लाख रुपया रखा है जो कि प्रति व्यक्ति दो रुपया पड़ता है। यह सोचने की बात है कि इस दो रुपये प्रति व्यक्ति से इन लोगों का कितना कल्याण हो सकता है।

रिपोर्ट में कमिश्नर महोदय ने कहा कि आदिवासियों के लिये कहीं छात्रालय खुले है, कहीं बोर्डिंग हाउस , कहीं स्कूल चल रहे हैं। लेकिन यह सोचने की बात है कि जो लोग वर्षों से शोशित और पीड़ित हैं वे इस प्रकार की सहायता से किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में आदिवासियों के जो चित्र दिये गये हैं उनसे जाहिर होता है कि आज हिन्दुस्तान की स्वाधीनता के आठ साल के बाद उनकी क्या अवस्था है। रिपोर्ट के मुख्य पृष्ठ पर उनके जो चित्र दिये गये हैं उनमें वे लोग नग्न हैं जो कि गरीबी के निपट द्योतक हैं। इससे आप सोच सकते हैं कि उनकी इतने कम साधनों से किस प्रकार उन्नति हो सकती है।

मध्य भारत में आदिवासियों के तीन जिले हैं जो कि पहाड़ी हैं। ये लोग विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों में निवास करते हैं। उनके पास जो खेती की जमीन है वह भी पहाड़ी इलाके की ही है। उस इलाके में वर्षा होने के थोड़े समय के अन्दर ही पानी सूख जाता है और वह अपने साथ उन खेतों की मिट्टी को बहा ले जाता है। यह जो मिट्टी खेतों से कट कट कर जाती है उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। इन खेतों की पहाड़ी जमीन है। यहां मिट्टी गहरी नहीं है। इसके लिये गवर्नमेंट को कोई योजना बनानी चाहिये। इसके अलावा जो दस लाख आदिवासी मध्य भारत में रहते हैं उन में से एक चौथाई के पास खेती की जमीन नहीं है। आज हरिजन भाइयों ने अपनी नौकरियों के लिये आवाज उठाई है। लेकिन आदिवासियों के पास तो पहनने के लिये कपड़े तक उपलब्ध नहीं हैं। उनके लिये तो यह सोचना भी मुश्किल है कि वे किस तरह से सरविस में जायेंगे। यह ठीक है कि आगे चल कर वे सरविस में जाने योग्य हो जायेंगे लेकिन अभी तो गवर्नमेंट को उनकी रोटी और रोजी का प्रबन्ध करना चाहिये। इस समय उनकी एक खास समस्या भूमि की है। सरकार को चाहिये कि उनको भूमि दे। मध्य भारत में जंगल का एरिया है जहां से उनको जमीन दी जा सकती है। इस प्रश्न पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मध्य भारत में आदिवासियों की गरीबी का मुख्य कारण यह है कि वे कर्जे से बहुत बोझिल हैं। साहूकार उनको एक साल ५० रुपया देता है, दूसरी साल वह ७५ रुपया हो जाता है, तीसरी साल १०० रुपया हो जाता है और इसी तरह बढ़ता चला जाता है। एक फूटा बरतन है। जब तक आप उसके फूटे हुये भाग को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें चाहे जितना पानी डाले जाइये वह नहीं भरेगा। इसी तरह से जब तक इन आदिवासियों की यह कर्जे की समस्या हल नहीं की जायेगी, चाहे गवर्नमेंट कितना भी रुपया दे उससे उनको लाभ नहीं होगा क्योंकि साहूकार वह रुपया उनसे ले लेंगे।

इसके बाद शराब बन्दी की समस्या है। वहां पर शराब बन्दी की खास आवश्यकता है। पास ही में बम्बई राज्य में सरकार ने शराब बन्द कर दी है। इसका नतीजा यह होता है कि मध्य भारत के लोग अपने हाथ से शराब निकालते हैं और उसको बम्बई भेजते हैं। इसी कारण मध्य भारत में भी खूब शराब पी जाती है और शराब पीकर ये लोग झगड़े टंटे करते हैं। भाई भाई आपस में शराब पी कर झगड़ते हैं और मारे जाते हैं और उनके चालान होते हैं और उन पर मुकदमे चलते हैं और उनको सजायें होती हैं। मेरा यह निवेदन है कि मध्य भारत में शराब बंदी

होनी चाहिये और कम से कम उन तीन जिलों झाबुआ, धार तथा नेमाड़ में तो यह अवश्य ही होनी चाहिय ।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक सरकार ने जो योजना बनाई है उसके अन्तर्गत आदिवासियों एवम् हरिजनों की सहायता करने के लिये कुछ छोटी छोटी योजनायें बनाई हैं जैसे मधु-मक्खी का पालना शहद इकट्ठा करना और मुर्गी पालन आदि के काम । लेकिन मेरी सम्मति में केवल इतना करना पर्याप्त नहीं होगा और जरूरत इस बात की है कि उनके लिये कोई रेलवे लाइन निकाली जाये, कोई बड़े बांध बनाये जायं और नये कल कारखाने खोले जांय । इस तरह की उनके सहायतार्थ कोई बड़ी योजना अभी तक नहीं बनाई गई है । ऐसी छोटी छोटी योजनाओं मात्र से यह आदिवासियों की समस्या हल होने वाली नहीं है । वहां पर आदिवासियों की चिकित्सा के लिये कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । इसके अलावा मध्यभारत के इन्दौर और उज्जैन के बीच एक प्रतिस्पर्धा की भावना काम कर रही है और युनिवरसिटी इन्दौर में बनाने की बात चली तो सवाल खड़ा किया गया कि उसके मुकाबले में उज्जैन में एक युनिवरसिटी बनाई जाये इसी तरह जब इन्दौर में एक फ़ार्वरड मार्केट बनाने का सवाल आया तो यह मांग पेश की गई कि एक मार्केट उज्जैन में भी होना चाहिय और नतीजा यह हुआ कि मार्केट बनने का आर्डर कैंसिल होगया । कहने का मतलब यह है कि शहरों में भी मध्यभारत के लोग इस तरह के व्यर्थ के झगड़े और उलझन में फंसे हुए हैं और आदिवासियों की अवस्था सुधारने की ओर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं जाता है । इसलिये केन्द्रीय सरकार से मेरा निवेदन है कि उनकी चिकित्सा और शिक्षा आदि के लिये कोई विशेष योजना बनाई जाय । इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि वर्षों से जो हमारे आदिवासी भाई जंगलों में रह रहे हैं, जिनका क़स्बों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये शहरों में आने जाने के वास्ते आवागमन के साधन सुलभ होने चाहियें और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि वह शहरों में आ जा सकें और कुछ काम धंधा कर सकें और अपनी रोजी कमासकें । वहां पर रेलवे लाइन होनी चाहिये और नेशनल हाईवेज जैसे कोई मार्ग होने चाहिये, यह मेरा निवेदन है ।

Shri Ramananda Das (Barrackpore): I should like to congratulate the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for submitting this thorough, exhaustive and impartial report. There are some complaints regarding the State Governments for not supplying the required information. Only 30 per cent of the information required by him had been supplied by the State Governments. About 70 per cent of the information required as is shown by statement in page No. 2 has not been supplied by the State Governments. According to para 5 of this report:

> "Most of the State Governments do not submit their schemes to the Government of India before the end of February, as requested, to enable the Central Government to issue sanctions in time. The Six-monthly Progress Reports on the prescribed proformae are also generally not furnished by them. Information about physical targets achieved is rarely furnished. Even the reconciled expenditure figures are not intimated to the Government of India. If all these formalities are observed properly by the State Governments, it would very much help the Government of India in issuing early sanctions for the welfare schemes."

It appears that the State Governments are not taking adequate steps and are indifferent to the cause of Scheduled Castes.

Mr. Srikant has not got any executive power to enquire into the details of the administration for his re-

[Shri Ramananda Das]

port and action on it. He has got no power practically whatever. Even an ordinary police constable has got more powers than his. He is appointed by the President and he should be invested with proper authority to look into the complaints of the Scheduled Castes and enter into the details of the departments to secure this information personally or through his Assistant Commissioners. His assistant commissioners are equally powerless in this matter. Government is not clothing them with proper powers. So, I appeal to the Government, especially to the Home Minister, to invest him proper powers as he is appointed by the President. Unless that is done, the report submitted by him and the suggestions made by him are of no use.

Scheduled Caste people are suffering from a number of handicaps. They are economically backward. To raise their standard of life, you shall have to raise their economic condition. They are mostly living by cottage industries, and they are landless labourers. They are doing these cottage industries, such as leather tanning, shoe making, basket making etc. But they cannot compete with the high-powered companies of the day—the Bata Company, the Flex and other big concerns etc. They are taking advantage of the position and the cottage industries cannot compete with these big industries at all. On account of this all the cottage industries are dying out and these people are thrown out of employment day by day. Government has given an impetus so far as the handloom industries are concerned. But so far as the other industries are concerned, Government are not paying much attention. I quote here a suggestion on action taken by the Government for Scheduled Castes Cottage Industries. He has made a suggestion here.

> "A common Production Programme designed to protect the interests of the cottage sector in the tanning and shoe-making industry, is being worked out in consultation with the All India Khadi and Village Industries Board. It will be considered for implementation during the Second Five Year Plan. It is hoped that the programme will gradually eliminate the present unequal competition between the factory and the cottage sectors and provide employment to the village leather workers."

I hope Government will take proper steps to give adequate impetus and protection to the cottage industries of the Harijans and save these people from unjust competition of the big industries by grants subsidy, marketing facilities and proper restriction on production and price of big industry products.

So far as the other aspects are concerned, I may say that these people are landless labourers. Government have abolished zamindari but the land has not yet gone to the tillers of the soil. The land has gone to big agriculturists who have transferred the land in the name of benami holders—many friends and relatives. 25-30 acres have been fixed as the ceiling for one person. You will find in the same family four, five or six persons possessing this kind of land with the result that the other people, the Scheduled Castes, who are depending on land are not getting land. Even after the abolition of zamindari the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being ejected from the land, as will be seen from the statistics. I appeal to the Government to follow the policy of distribution of land to the landless labourers and agriculturists. Unless you do that, you cannot raise the standard of living of the tillers of the soil and you cannot have more production which is the aim of the Government. Acharya Vinobha Bhave is doing commendable work by his bhoodan movement. Government should take up the policy of distribution of land to the actual tillers of the

soil. Out of 40 lakhs of acres of land collected by him, about 30 per cent has gone to the landless Harijans. I appeal to the Government to take steps in this matter and see that land is equally distributed among the landless labourers. Unless you do that, the socialistic pattern of society as envisaged by the Avadi resolution will be of no use and a classless and casteless society, as is frequently spoken by the Prime Minister, will not come into existence.

So far as other aspects are concerned, the Scheduled Castes are equally poor. They can not afford to give adequate education to their children. So, I appeal to the Government to give more stipends and more grants to them for the education of their children.

Last year, the Central Government gave stipends to most of the students —even to third division students. This year, the Finance Ministry has issued a circular saying that third division students will not get it.

Dr. M. M. Das: My friend is ill-informed.

Shri Ramananda Das: I am glad, if it has been revised. I appeal to the Government to see that all students get this stipend. So far as college students are concerned, they are getting some stipends; but so far as the school students—upto matriculation —are concerned, they are not getting adequate stipends from the State Governments. So, the Government should make it their policy to issue instructions on these lines. They should be exempted from the payment of school fees and other fees. Some of the State Governments are doing commendable work while some are indifferent to this aspect of the thing. I am sorry to say that in some of the colleges—engineering, medical, agricultural and technological colleges— Scheduled Castes do not get admission because there is no quota fixed for their admission. Government should take this aspect into account so that they may get adequate quota while seeking admission. Unless you do it, they will not get admission in the medical and engineering colleges and other Technical Institution where admission is very difficult for Scheduled Castes and Scheduled Tribes students without reservation of seats. In West Bengal, I have seen, before partition 20 per cent of the seats in the medical and engineering colleges were reserved for Scheduled Caste people. But now only one seat out of every 100 seats is reserved for Scheduled Caste students. If there are 100 seats in the engineering college only one seat is reserved for Scheduled Caste student. Similar is the case with other Government will see to this aspect of the matter and improve the condition of the Scheduled Caste people along with the implementation of the quota of the Scheduled Caste people along Castes and Tribes.

4 P.M.

I also appeal to the Government to see that in all States there are Ministries for Scheduled Castes and other backward classes. Now, Scheduled Castes and Tribes department are in the charge of one weak Minister and whatever suggestion he puts forward is not implemented. He is afraid of the Chief Minister or other Ministers. Therefore, I appeal to the Government to issue a circular to all the States enforcing that the departments dealing with Scheduled Castes and other backward classes should be in the charge of the Chief Minister of the States so that he can independently do something constructive, spend more money for the welfare of these people and issue necessary instructions for the uplift of the Harijans. Unless this is done, I am afraid the Ministers now will not be able to do anything. They are generally weak and are not able to implement the provisions so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned according to the plan and programme.

[Shri Ramananda Das]

Another aspect of this problem relating to the Scheduled Caste people is that these people have not got any land on which they can build their own houses. In Bihar, U.P., M.P., Punjab and even Delhi I have seen that practically most of the Scheduled Caste people have not got even two Kattas of land to build their houses. They depend on others and I may say that sometimes they are ejected at the sweet will of the landlords. Therefore, I appeal to the Government to arrange for setting apart some plots of land for the landless people so that they may build their own houses. Unless this is done they cannot build their own houses as they are to depend on other landlords who eject them at their own sweet will.

The Government should also give housing subsidy to these Harijans so that they can build their own houses. Unless this is given I am afraid they will not be in a position to build their own houses on account of poverty. In Bihar, I know there are lakhs of people called "Musaher" by Caste belonging to backward classes who have got neither land nor any house. I, therefore, appeal to the Government to look into this aspect of the problem and improve their conditions of housing of the Harijans.

There is one thing more which I would like to point out that is with regard to the condition of the Harijans in Delhi proper which is the capital of the country. Here I have seen in Bapu Nagar and Kasturba Nagar—two Harijan colonies—the Scheduled Caste and Ex-criminal people are being exploited and tortured like anything by one man Shri Karam Chand Sevak Ram who is in charge of these colonies. Shri Sevak Ram is a man of Shrimati Rameshwari Nehru and all the Ministers and the Commissioner for Scheduled Castes and others are afraid of Shrimati Rameshwari Nehru with the result that nobody takes any action even though the poor Harijans in these two colonies are tortured and exploited by this man Shri Sevak Ram. Lots of representations have been submitted in this connection but no action has been taken to stop this. Therefore, I appeal to the Government to take proper steps so that the activities of Shri Sevak Ram, who is exploiting the poor Harijans in Bapu Nagar and Kasturba Nagar, and other places are stopped immediately and action be taken against him for his amassing huge sum meant for Harijans and Ex-criminal people and by cheating them. He should be removed from this department at once.

Last year an amount of Rs. 3 lakhs allotted to the Delhi State Government lapsed on account of non-implementation of the scheme in Delhi. The Harijans in Delhi are suffering and Government money is lapsing. I congratulate the Government for passing the Untouchability Offences Act. The Act was passed this year in the month of May and it has been brought into effect with effect from 1st June, 1955. Four months have already passed, but I am sorry to say that the Act has not been implemented properly. Even the Act has not been published with the result that the police officers who are to detect offences and the Magistrates who are to try the cases do not know the provisions of the Act. I, therefore, appeal to the Government to do something constructive and take proper measures so that the Acts that are passed are implemented in proper time. Unless that is done mere passing of an Act will not do any good.

With these words I thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak and also Mr. Srikant, Shri Vimal Chandra for submitting this Report which is thorough, impartial and exhaustive having excellent suggestions for all round upliftment of the Harijans and Tribes people of the country.

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हजारी बाग रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं यहां पर बिहार की ओर से, खास कर

संथाल परगने के आदिवासियों के द्वारा चुनकर आया हूं। हमारे बिहार के अन्दर सब से ज्यादा आदिवासी संथाल परगने के इलाके में रहते है। वहां सारे हिन्दुस्तान से ज्यादा हमारी संख्या है। अभी तक सरकार की ओर से जितनी मात्रा में भी मदद दी गई है वह हमारे यहां के आदिवासियों तक बहुत कम पहुंची है।

गवर्नमेंट आदिवासियों को उठाने के लिये कई स्कीमें सोच रही है, लेकिन वह कहां तक सफल हो सकेंगी यह मैं नहीं समझ सकता हूं, क्योंकि जरा सा देखने से आप को पता चल जायगा कि आदिवासी हमारे यहां के सब से ज्यादा पिछड़े हुए है। आज हिन्दुस्तान में जो हरिजन लोग है वह भी हम से ज्यादा क्षिशित है। अभी तक हमारे आदिवासियों की ओर आप का ध्यान नहीं गया है और जाय भी तो भी उनका अधिक भला नहीं हो सकता क्योंकि वे लोग शिक्षित नहीं है। जब यहां ब्रिटिश राज्य था, तब उन्हों ने ही ईसाई आदिवासियों को कुछ लिखाने पढ़ाने की कोशिश की थी, उस के अलावा हम को कभी भी कुछ सीखने या जानने का मौका नहीं मिला है। सेवा मंडल वगैरह जरूर हैं, लेकिन वहां भी हम को बहुत कम काम सीखने को मिलता है। वहां पर हम कोई भी सुविधा नहीं पाते हैं। वहां पर दो चार होस्टल जरूर हैं लेकिन उस में हम अपने घर से रुपया खर्च कर कैसे पढ़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार के अन्दर अभी भी हम आदिवासियों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। जो कानून ब्रिटिश राज्य के जमाने में थे, वही कानून आज तक लागू हैं। कृषि के लिये वहां गरीब लोगों को रुपया दिया जाता है, लेकिन बिना घूस दिये हुए वह रुपया नहीं मिल सकता है। १५ तारीख को मैंने रिपोर्ट किया था एक घूसखोरी के मामले की, उस की जांच पड़ताल हो रही है। वहां हर एक आदमी से कृषि ऋण का रुपया बांटने वाला ५, ५, रुपया लेता है तभी जा कर रुपया देता है, बिना रुपया दिये हुए कृषि के लिये भी रुपया नहीं मिल सकता है। एक आदमी गुयी कादर थामा ने कबूल किया कि मैं साहब को १०० रु० दूंगा अगर मुझ को ३०० रुपया मिल जाय। बल्कि रुपया बाद में दिया गया, १०० रुपया ले लिया। मामला तय हो गया। जब उस गरीब आदमी को २०० रुपये मिले तो उस ने निकाल कर १०० रुपये दे दिये, लेकिन आखीर में पता नहीं क्या सोच कर साहब ने ९० रुपये वापस कर दिये और १० रुपये ले लिये। जब ऐसी हालत है तो सुधार कैसे हो सकता है? हम लोगों को रुपया तो लेना ही होगा, लेकिन अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट के सामने ही हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म होगा तो हम इस तकलीफ को कैसे भूल सकते हैं। जैसी आप की स्कीमें हैं, उन के मुताबिक अभी बहुत कम रुपया हमारे बिहार के अन्दर पहुंच पाया है। हमारे यहां की जन संख्या कम से कम ५० लाख है, उन के लिये यदि आप २० लाख, १५ लाख या १२ लाख रुपया ही भेजें तो उस से हमारा क्या भला होने वाला है?

हमारे यहां बहुत ऐसे से गांव हैं जो बाजार में नहीं हैं, गुफाओं में हैं, जंगलों में हैं। हमारे उपगृह मंत्री उस को देख भी चुके हैं। वहां आने जाने के अच्छे रास्ते नहीं हैं। वहां से आमदनी तो बहुत हो सकती है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, सभी कुछ वहां मिल सकता है। गवर्नमेंट तो इस सब के लिय स्कीम बनाती है लेकिन जो उस के अफसर लोग हैं जोकि वहां काम करते हैं उन्हों ने जंगल को बरबाद किया। इस साल तो वहां सत्तविहार में पानी भी बरसा नहीं होगा। ऐसी हालत में जो वहां के आदिवासी वगैरह हैं वह बहुत तकलीफ में पड़ गये। जब वहां के जंगल वगैरह इस तरह से खराब हो कर सूख जायें तो गवर्नमेंट भी हमारी मदद कैसे कर सकेगी, क्योंकि

[श्री हेमब्रोम]

जंगलों के बरबाद हो जाने पर वह वहां से कुछ भी आमदनी नहीं कर सकेंगे ।

तो मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को खास कर अपनी देखरेख में रक्खे । अब तक हम को स्टेट के संरक्षण में रक्खा गया है । अगर हम को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की देखरेख में नहीं लिया जाता तो हमारा उत्थान नहीं हो सकता है । वह लोग तो हमारे उत्थान की बात सोच ही नहीं सकते हैं । यह तो वही बात है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट घूसखोरी को रोकने के लिये कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने से घूसखोरी घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है । इस तरह से घूसखोरी कैसे बन्द हो सकती है ? आप को हम बता सकते हैं कि थोड़े दिन हुए जो आदिवासी रेवन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी के लिये गये तो उन से कहा गया कि तुम ५० रुपये लाओ तब तुम्हें रखा जायगा । वे लोग हर तरह से इंस्पेक्टर और कर्मचारी सर्किल जगह के लिये फिट थे और वे अच्छी तरह से काम भी चला सकते थे लेकिन फिर भी उन को नौकर रखने के लिये यह कहा जाता है कि तुम ५० रुपय लाओ तभी तुम्हें रखा जायगा । इस तरह का जुल्म हम लोगों के साथ हो रहा है और ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई एकशन नहीं लिया जाता है और न ही हमारी कोई सुनवाई होती है । हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारी गरीबी तभी दूर हो सकती है जब हम को नौकरी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में रखा जाय । जो जगहें हमारे लिये रिजर्व की गई हैं वहां पर हम को नहीं लिया जाता है और उन जगहों पर दूसरे आदमियों को रख लिया जाता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो घूसखोरी चल रही है इस को बन्द किया जाय और जो जगहें हमारे लिये सुरक्षित रखी गई हैं वे हमें दी जायें ।

अब मैं क्रिस्चियन मिशनरीज द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उसकी तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गवर्नमैंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रुपया दिया जा रहा है स्कालरशिप्स वगरह के लिए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्रिस्चियन मिरीज़ जिन लोगों को चाहती हैं दे दिया जाता है । हम चाहते ह कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको बहुत कम दिया जाता हैं । हम चाहते हैं कि हमारा रुपया अलग कर दिया जाये और उन को जो आप देना चाहते हैं उस को भी अलग कर दिया जाय । आप अगर उन को ज्यादा रुपया देना चाहते हैं तो आप दे दें, हमें इस में कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन इतना आप जरूर कर दें कि उन का रुपया अलग रहे और हमारा अलग रहे ।

अब मैं जो प्रचार इन मिशनरीज द्वारा किया जा रहा है उस की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो प्रचार यह लोग कर रहे हैं उस का बहुत बरा प्रभाव आदिवासी लोगों पर पड़ रहा है । यह लोग तो शिक्षित हैं और इन लोगों को लालच दे कर इन का धर्म परिवर्तन कर देते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां यह लोग प्रचार करते हैं उन जगहों पर दफा १४४ लगा दी जाये ताकि इन का प्रचार बन्द हो सके । साथ ही साथ जो भी उपाय इस प्रचार को रोकने के लिये आप कर सकते हैं करें । ये लोग फारवर्ड हैं और हम लोग बैकवर्ड हैं और चूंकि हम बैकवर्ड हैं इसलिये ये लोग हम को फारवर्ड बनाने का लालच दे कर हम को कनवर्ट कर लेते हैं । यह चीज बन्द होनी चाहिये और गवर्नमट को इस चीज को रोकने के लिये विशेष उपाय करने चाहिये । हम लोगों को स्कालरशिप बहुत कम दिये जा रहे हैं और जिसे हिसाब से दिया जा रहे हैं उस हिसाब से किस तरह हम जल्दी शिक्षित बन सकते हैं । इस लिये मेरी प्रार्थना है कि इन की तादाद भी बढ़ाई जाये ।

हमारे यहां एक बांध और बनाया जा रहा है और उस के कारण ५०,००० आदिवासियों के खेत वगैरह पानी में डूब गये हैं । बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों को खेत के बदले खेत दिया जायेगा और घर के

बदले घर दिया जायेगा । अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया है । फूस की झोंपड़ियां बना कर हम लोग रह रहे हैं । इस से फायदा तो बंगाल गवर्नमेंट को होगा और मसीबत हम लोगों पर आ पड़ी है । हम को जमीन भी नहीं मिल रही है और न ही मकान मिल रहे हैं ।

इसी तरह से मैथोन डैम वहां पर बनाया जा रहा है । इस डैम के कारण भी कई आदिवासियों के खेत पानी में डूब गये हैं । इन लोगों को अभी तक खेत नहीं दिये गये हैं और न ही घर दिये गये हैं । हम कहते हैं कि आप ने यह स्कीम तो बना ली कि इस डैम को बना दिया जाये लेकिन आप ने यह स्कीम नहीं बनाई कि इन को ठीक तरह से बसाने का और उन को जमीन देने का इंतजाम आप करें । इस का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है । इस तरह से इन गरीब लोगों के साथ बहुत अत्याचार ही रहा है, बहुत ज्यादा जल्म हो रहा है और इस को रोकने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि यह काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिये ।

हम चाहते हैं कि हमारे भलाई के कामों की देख यहां एक मिनिस्टर करे और उस को पूरे अख्तियारात हों ताकि हम उस के पास शिकायत कर सक और वह उन शिकायतों को दूर भी करवा सकें ।

अब जो क्षेत्रों को डेवलेप करने का काम है वह सरकार कांट्रैक्टरों द्वारा करवाती है और इस से आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता है । हम चाहते हैं कि यह काम कांट्रैक्टर्ज द्वारा कराये जाने के बजाय सीधे आदिवासियों से करवाये । इस से इन लोगों का भला होगा और उन को काम मिलेगा ।

हमारे यहां आदिवासी इलाकों म बीमारी बहुत ज्यादा है और उस बीमारी को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किये जाते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि कितने ही आदमी और कितने ही पशु इन बीमारियों के कारण मर जाते हैं । इस का भी वहां पर्याप्त इंतजाम होना चाहिये ।

सरकार जो रुपया आदिवासियों को मुआवजे के तौर पर डूबने वालों को देती है वह उस रुपये को डाकखानों में जमा करवा देती है । यह लोग जब उस रुपये को निकलवाने जाते हैं तो उन से रिश्वत मांगी जाती है । इस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अब मैं जो एग्रीकल्चरल कौप्रेटिव बेसिस पर लोन्ज इन आदिवासियों-बुनकरों जलहातांती को दिये जाते हैं—उस के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं । यह लोन्ज उन को मिलते नहीं हैं और उन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है । मैं चाहता हूं कि उन को जल्दी से जल्दी लोन दिया जाया करे ताकि वह लोग अपना काम चला सकें । अगर आप बीवर्स को पैसा देंगे तो वह जो काम करता है उस को वह अच्छी तरह से कर सकेगा इस से ग्रामोद्योग को काम भी मिलेगा ।

जो रिपोर्ट कमिश्नर साहब ने १९५२-५३ में दी थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है । मैं चाहता हूं उस पर जल्दी एक्शन लिया जाये । एक बात मैं उन खेतों के बारे में कहना चाहता हूं जो कि आदिवासियों ने अपनी मेहनत से बनाये हैं । उन का बदले पट्टा नहीं दिया गया है । जब अफसरों के पास दरख्वास्त दी जाती है तो वे कहते हैं कि आप यहां पर नहीं बना सकते । सेटलमेंट एक्ट तो खत्म हो गया और डूब भी गया लेकिन फिर भी उन को कहा जाता है कि पहाड़ पर जा कर खेत बनाओ और पत्थरों पर जा कर खेत बनाओ । तब वे गरीब आदिवासी लाचार हैं ।

क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में और उन की एक्टिविटीज को देखने के लिये मध्य प्रदेश के सिवाय कहीं भी कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है । मैं चाहता हूं कि हर प्रान्त में ऐसे बोर्ड स्थापित किये जाने चाहियें...

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up. He must stop now.

श्री हुमायूं : एक दो मिनट और दीजिये....

Mr. Chairman: The hon. Member has already taken 13 minutes, and I have rung the bell twice. He must stop now. I am calling the next hon. Member Shri Veeraswamy.

Shri Veeraswamy: It is my sincere opinion that Mr. L. M. Shrikant, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been doing his best and his utmost to study the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to suggest to the Government as far as possible best proposals for the amelioration of their conditions. He has been doing his best to make recommendations to the Government for the improvement of the lives of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As soon as the first report was received by hon. Members of this House, I wrote a letter of appreciation to him and in that letter I had also requested him not to use the term "Harijan" in his reports but in vain. Our present Home Minister is a man with a large heart. He is very sympathetic towards the problem of the Scheduled Castes and he is sincerely interested in their welfare. It is needless for me to state and it is well known that our Deputy Home Minister is the best friend of the Scheduled caste people. Wherever he goes, he has been speaking about the sufferings of the Scheduled Caste people and appealing to the good sense of the caste Hindus to give up their caste mentality and treat the Scheduled Caste people as their kith and kin and as their own brotheren I am also thankful to the Government for giving financial aid to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students for their education. But, I can say without any hesitation and without fear of contradiction that the Government as a whole has been very indifferent and very unsympathetic to the Scheduled Caste people. I can also say that the appointment of the Scheduled Castes Commissioner, the preparation of the report by the Commissioner and submission of the report to the Government with so many good recommendations, and also the discussion of the report in this august body are all mere day time dramas; public shows and biggest eyewash.

Government have not taken up this problem seriously. They have never thought about this problem seriously. They are not doing anything seriously to better the conditions of the Scheduled Caste people. The very fact that the report for 1953, which was taken up for discussion in this House on 24th December 1954, is being discussed today, that is after 8 months and 20 days, shows the interests that the Government are taking in the welfare of the Scheduled Caste people. The Government have done anything for the welfare of the Schedule Caste people so far. The Commissioner has pointed out more than once in all his reports that the States have been rather non-cooperating with him. The States have not taken up the matter with any seriousness or sincerity. They have not given to the Commissioner the information he has been asking for from the States. That shows their indifference and carelessness towards the Scheduled Caste people. The Commissioner has been suggesting that both at the Centre and in the States there should be a separate Ministry to deal with this problem. But, neither the Centre nor the States have thought of this proposal and come forward to constitute a separate Ministry to go into this long standing and crying problem and effect a change in their life, in their conditions and also in the mind of the caste Hindus towards the Scheduled Caste people.

In the whole of this country, only four States, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Madhya Bharat have established separate departments for the welfare work of the Scheduled Castes. The other States have not even set up separate department for this purpose. And so, it is very clear that they are cheating the Schedule Castes people by talking about them on the platform, but not doing

anything substantially for their improvement. If the Prime Minister of India, Shri Nehru, had given a bit of his sympathy and attention to the problems of the Scheduled Castes people on the assumption of Prime Ministership after the birth of independence, I am sure he would have created a special Ministry to take up this problem of the Scheduled Castes. It is a pity that he is always preoccupied with problems affecting other countries and not those affecting the people of this country, and especially the Scheduled Castes people and the Scheduled Tribes who are the backbone and blood of this country.

The first Five Year Plan is almost going to end. What is the improvement it has effected in the lives of the Scheduled Castes people, I ask the hon. the Dy. Home Minister here and also the Government. The next Five Year Plan is not going to give anything to the Scheduled Castes people.

The problems of the Scheduled Castes people are not only social, but also economic. They are steeped in bottomless poverty. Untouchability has been abolished under the Constitution, and we have put on the statute-book the Untouchability Offences Act, but it has not been enforced in the States. That is because the Government have not taken up this seriously and have not set up any special Ministry to enforce this. In my speech on the Untouchability Offences Bill I suggested to the Government the constitution of a special police force to enforce this. You know, Sir, and everybody knows that in several States there are special Police forces to enforce prohibition. Is this cause a smaller one than prohibition? To prevent people from taking toddy or other liquors, there are special police forces, but for enforcing this Act and removing the social disabilities from which the Scheduled Castes people have been suffering for the past so many centuries the Government has not come forward to establish special Police Force. It is very regrettable to say this.

With regard to their social disabilities, I may tell the House, and I think the House will be interested to hear from me, that recently a Scheduled Caste college student went to a post office at Prataparamapuram in Tanjore district. The postmaster who is a caste Hindu saw that boy wearing chappals. When he saw that, he became annoyed, he lost his control and he beat that college student right and left. This has been reported to all the authorities. I went to that place and enquired into the matter, and wrote to the hon. Shri Jagjivan Ram and to the Postmaster-General of Madras, and also to the Director-General of Posts and Telegraphs, New Delhi and to the Superintendent of Post Offices at Nagapattinam, Tanjore district. He is also a village munsiff, and so I wrote to the Additional District Magistrate, Tanjore, with regard to this, but so far, no action has been taken against that man.

There is a tank at Alakudi in my district, that is Tanjore district, which has been reserved for the caste Hindus to take water from for cooking and drinking purposes, and another tank which is being used for bathing, washing and cleaning, washing the cattle, has been allotted for the Scheduled Castes people to take water for drinking and cooking purposes.

And then, I wish to bring to the notice of this House that a police sub-inspector has beaten a Scheduled Caste man for having tied his dhoti so as to reach his feet and for walking along the public road.

In another village called Kalinjur in North Arcot district, the dead body of a caste Hindu was being taken to the burial ground in a procession. On the way, two Scheduled Caste ladies were coming with water-pots on their heads, from the river. The caste Hindus who were coming along with the procession have pounced upon those two ladies and beaten them for having come in front of the dead body. This matter has been reported to the Chief Minister and also the other Ministers of Madras. But I do

[Shri Veeraswamy]

not know what action they have taken so far against these caste Hindus.

At Visalayankottai in Ramnand district, the Scheduled Caste people had started a school for themselves. But the caste Hindus and the district welfare officer saw to it that that school was abolished. I learn that the little Scheduled Caste children have not even been allowed to sit along with the caste Hindu students in the caste Hindu schools.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Veeraswamy: I shall finish in two minutes.

At Uppundanpatti village in Tanjore district, the Scheduled Caste people had applied to Government for the assignment of house-sites in a plot of land. They had garlanded the hon. Shri K. Kamaraj, the Chief Minister of Madras, when he happened to visit that village, and also Shri Kakkan, the president of Tamil Nad Congress Committee, when he visited that village. For these reasons, the caste Hindus have invaded the Scheduled Caste streets, raided their houses, threw out their belongings into the streets, pulled down the roofs of their houses, and beaten them heavily. When I visited that village, I enquired into the whole matter. These they have done for asking for house sites garlanding the Chief Minister and the State Congress Chief.

I shall give you one other instance. In a village called Poyyundankottai, a caste Hindu had given two bags of paddy to a Scheduled Caste. He had collected from that Scheduled Caste agricultural labourer money for the same on several occasions, amounting to a total of nearly Rs. 135. In spite of that, he had taken a promissory note from the Scheduled Caste labourer saying that the latter had not paid even a single pie for several years. Soon after getting that promissory note, the caste Hindu began to press on that Scheduled Caste labourer to pay him back that amount....

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up. I have rung the bell more than thrice.

Shri Veeraswamy: I shall finsh in two minutes.

Mr. Chairman: I believe the hon. Member has exhausted all the stories by now.

Shri Veeraswamy: I want only two minutes more. I want to make some suggestions.

Mr. Chairman: The hon. Member should remember that all these stories which are given by him may have another version also from some other party. So, these stories will remain uncorroborated. If the hon. Member has got any grievance in the matter, it would be better if he passes it on to the hon. Deputy Minister, so that he may look into it. Otherwise, if he goes on reciting all these stories, the only thing that I can say is that unless they are substantiated, it is likely that they will not be given credence to the extent to which perhaps the hon. Member wants that they should be. The hon. Member has already taken fifteen minutes, and he should conclude now.

Shri Veeraswamy: I want to make some suggestions to Government.

Mr. Chairman: Suggestions have already been made. The point is that the hon. Member has taken fifteen minutes already, though the rule that the House has just asked me to observe is only ten minutes. He should now give a chance to other Members also. I would request the hon. Memberer to resume his seat.

Shri Veeraswamy: Kindly give me two minutes. I have got some suggestions to make.

Mr. Chairman: There is no doubt that the hon. Member has probably got hundred other stories. He should have utilised his time for making the suggestions to start with, and then he could have given these stories. I am afraid I cannot allow the hon. Member to continue now.

Shri Veeraswamy: I humbly submit that I may be given two more minutes

Mr. Chairman: I cannot agree to it. It is impossible. Now, I call upon Shri Uikey.

श्री उइके (मंडला जबलपुर दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : अभी तक हमारे हरिजन भाइयों की काफी स्पष्ट समस्यायें इस सदन के सामने आती रही हैं और हमें आदिवासियों की भी थोड़ी सी समस्यायें सदन के सामने आयी हैं। सदन को यह अच्छी तरह मालूम है कि आदिवासियों की तकलीफें किस प्रकार की हैं किन्तु इसका सही चित्र आदिवासी सदन के सामने नहीं रख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उन में उतना ज्ञान नहीं है। वह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस महकमे को ऐसे व्यक्ति के अधीन कर दिया गया है जिसने ठक्कर बापा के साथ रह कर इस काम का शिक्षण प्राप्त किया है और जो हमारे दुखों को अच्छी तरह से समझता है। उन्होंने अपनी जो भी रिपोर्ट आज तक पेश की हैं उनमें वे सारी शिकायतें लिखी हैं जो कि हम कर सकते थे। जिस जिस स्थान पर वे गये और उनको वहां जो भी शिकायत मालूम हुई उन्होंने उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा है। आपने जो इस विभाग में रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तरों में भी जो असिसटेंट कमिश्नर रखे हैं उनको अगर आई० सी० एस० अफसरों की सलाह से न रख कर श्रीकान्त जी की सलाह से रखा होता तो हमारी और भी ज्यादा उन्नति होती। इस समय मैं थोड़ी देर के लिये हरिजन भाइयों की समस्या को छोड़े देता हूं, केवल आदिवासियों की समस्याओं पर ही बोलूंगा। आदिवासियों की उन्नति का कार्य अत्यन्त कठिन है। जितना यहां उसको सरल समझा जाता है वह वैसा सरल नहीं है। अभी तो आपने दस साल का समय दिया है। मगर मैं समझता हूं कि अगर आप इसमें ५० साल और मिलायें तो भी इस काम के लिए कम हैं। यदि इस कठिन कार्य को हमारी सरकार करना चाहती है तो इस विभाग में श्रीकान्त जी की सलाह से ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय।

दूसरी बात मुझे उन आदिवासी मंत्रियों के विषय में कहनी है जो कि राज्यों में हमारा काम कर रहे हैं। हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि हम चाहते थे कि हमारा काम करने के लिए आदिवासी मंत्री रखे जायें, पर अब हम देखते हैं कि ये आदिवासी मंत्री हमारा काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री में कोई आवाज़ ही नहीं मालूम होती। अगर मैं यह कहूं कि वे तो मुंह देखी बात करते हैं तो अनुचित न होगा। इन मंत्रियों में अपनी कोई ताकत नहीं है, खाली पार्टी के सहारे चल रहे हैं। इनके रहने से हमको क्या लाभ हो सकता है। इनके रखने से सिवाय सरकार का पैसा खर्च होने के और कोई लाभ हम को नहीं हो रहा है। उल्टा इसका यह परिणाम होता है कि क्यों के ये लोग हमारे नजदीकी हैं इसलिए इनके विरुद्ध हम कुछ कह नहीं सकते और हमारी जबान बन्द हो जाती है। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि यदि आपको आदिवासी मिनिस्टर रखने हैं तो उनको किसी और विभाग के लिए रखें, पर हमारे काम के लिए तो आप जो मिनिस्टर नियुक्त करें उसे श्रीकान्त जी की सलाह से करें।

अब अगली पंचवर्षीय योजना में जो कार्य होने वाला है उसमें आदिवासियों के उत्थान का विषय भी शामिल है। चाहे हम कुछ ज्यादा न समझते हों पर सरकार को यह चाहिए था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के लिए क्या क्या किया जाय इस बारे में पार्लियामेंट और असेम्बली के आदिवासी सदस्यों की राय लेती। लेकिन सरकार ने अभी तक इस विषय में हम लोगों की राय नहीं ली है।

हम जो यह शिकायत करते हैं कि आदिवासियों से सम्बन्धित दफ्तरों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह इस कारण नहीं कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं वे ठीक काम

[श्री उइके]

नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यदि उन विभागों में भी आदिवासियों को नहीं लिया जायगा जिनमें आदिवासियों के लिए काम होता है तो फिर उनको किस विभाग में लिया जा सकता है। मेरे प्रदेश में आदिवासियों के सम्बन्धित महकमे में ३२ क्लर्क काम करते हैं लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि उनमें एक भी आदिवासी भाई नहीं है। अगर एक दो आदिवासी भाई नमूने के तौर पर ही रख लिये जाते तो अगर उनमें कुछ कमी भी होती तो कुछ समय बाद वह हट जाती और वह सवर्णों की तरह एफिशियेंट साबित होते और हमें कहने को भी हो जाता कि भाई देखो आदिवासियों को हमने नौकरियों में स्थान दिया है भले ही वह दो ही क्यों न हों।

राज्य सरकार जो स्कालरशिप्स मंजूर करती हैं उसके और हमारे कमिश्नर साहब तथा सरकार का ध्यान विशेष तौर पर खींचता हूं। आदिवासियों की भलाई के लिए स्टेट्स में कोई महत्व का काम किया जाता है तो यह स्कालरशिप्स देने का काम है। बाक़ी और भी कार्य चलते हैं लेकिन आदिवासियों को उनसे कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता। यह स्कालरशिप्स स्टेट्स गवर्नमेंट्स के द्वारा दिये जाते हैं और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आये हैं कि साल के अन्त तक मंजूर की हुई रक़म नहीं मिली। इस तरह के कई केस मैंने राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्रालय के पास भेजे हैं कितने ही केस इस तरह के हमारे पास आये जो हम उन तक भेज नहीं सके, लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें और यह प्रयत्न करें कि ऐसा भविष्य में न होने पाये।

एक दूसरी बात जिसकी की ओर शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर और सरकार की ध्यान देना है वह यह है कि हमारे राज्य में हालांकि हमारी अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या ५० लाख है जो कि मानी २४ लाख गयी। २४ लाख के अनुपात से पंद्रह फीसदी का रिज़रवेशन नौकरियों का दिया गया। अब हमारी सरकार ने यह किया है कि जो २४ लाख के ऊपर १५ फ़ीसदी का रिज़रवेशन है, वह ५० लाख में बांटा जा रहा है। ऐसा करके यहां पार्लियामट में यह दिखाया जाता है कि आदिवासियों को अधिक नौकरियां दी जा रही हैं। और जिनको कि ज्यादा इस मामले से वाक़फियत नहीं है वह तो यही समझेंगे कि भाई २४ लाख को १५ फीसदी के अनुपात से नौकरियां दी गई थीं, वह पूरी हो गई और वह बांटी जा रही हैं ५० लाख में। इसी तरह यह भी प्रचार किया जाता है कि सरकार करोड़ों रुपया आदिवासियों पर ख़र्च कर रही है और अभी हमारे एक माननीय भाई ने इसको कहा भी कि आदिवासियों को सरकार से सहायता के रूप में कई करोड़ रुपये मिलते हैं लेकिन हकीक़त में होता क्या है वह मैं आपको थोड़े में बतलाना चाहता हूं। हमारे राज्य में जनपद द्वारा जितने भी स्कूल चलाये जा रहे थे उनसे आदिवासियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। अब जो आदिवासियों के कल्याण का पैसा है उसके द्वारा सरकार अनुसूचित विभाग में के जनपद के सारे स्कूल चला रही है और उन पर आदिवासियों के कल्याण का पैसा ख़र्च हो रहा है। आदिवासी महकमे में जितने भी काम करने वाले हैं उनका क़रीब क़रीब सारा समय स्कूलों के बिल बनाने में और उनका निरीक्षण करने में चला जाता है और आदिवासियों के लिए कोई और नया काम नहीं किया जाता है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि भारत सरकार की तरफ़ से स्कालरशिप्स के बारे में जो स्टेटमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट में दिया है, उसकी ओर मैं अपने उन सारे भाइयों का ध्यान आकर्षित करूंगा जो समझते हैं कि आदिवासी हमारे सनातन हिंदू धर्म के एक अंग हैं, उनको इस स्टेटमेंट को देख कर

पता चल जायगा कि जो हमारा उनके साथ सलूक़ होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। अगर वह हम आदिवासियों को अपने धर्म का एक अंग मानते हैं तो उनको हमको आवश्यक संरक्षण भी प्रदान करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम किस मुंह से उनको अपने में बने रखने को कह सकते हैं और उनको अपना एक अंग मान सकते हैं। दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं। अगर आप इसी तरह उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव करते रहे तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि आप उनको कोई दूसरा धर्म अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो कि सर्वथा अनुचित होगा। इस ओर हम हमेशा सरकार का ध्यान खींचते रहे हैं और आगे भी सदा खींचते रहेंगे कि भगवान के लिए ऐसी स्थिति न आने दीजिये और अपने इन अभागे और पिछड़े हुए भाइयों को अपने से जुदा होने का मौक़ा नहीं दीजिये।

इस शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के सफे ६६ पर विभिन्न राज्यों को जो स्कालरशिप्स दिये गये हैं, उनके आंकड़े दिये गये हैं। अगर आप आसाम, बिहार, त्रिपुरा और मणिपुर स्टेटों की आदिवासियों की जनसंख्या जोड़ दें तो वह ६१ लाख होती है और ६१ लाख आदिवासियों के लिए जो स्कालरशिप्स दी गई हैं उनको जोड़ें तो उनकी संख्या १६५६ होती है और बाक़ी जितनी और स्टेट्स हैं उनकी आदिवासियों की जनसंख्या को जोड़ें तो वह १३१ लाख होती है और उनके लिए स्कालरशिप्स का टोटल ५२६ होता है। अब शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में ८० फीसदी धर्म परिवर्तन हुए हैं। और आप जो स्टेटमेंट में आसाम और बिहार में जो सबसे अधिक स्कालरशिप्स देखते हैं, आसाम में ६७६ और बिहार में ८६३, यह हमारे उन आदिवासी भाइयों को मिल रहा है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। बिहार में ४० लाख आदिवासी हैं जब कि वहां पर हमने ६७६ स्कालरशिप्स दिये हैं, त्रिपुरा में जहां कि हमारे आदिवासियों की संख्या केवल २ लाख है वहां पर हमने ३० स्कालरशिप्स दिये हैं और मणिपुर में जहां कि आबादी २ लाख है वहां पर ८७ स्कालरशिप्स दिये गये हैं। लेकिन आप देखिये कि उड़ीसा में जहां कि आदिवासियों की २७ लाख आबादी है वहां केवल ४६ स्कालरशिप्स मिले हैं और मध्य प्रदेश में जहां कि २४ लाख आदिवासी हैं वहां पर केवल ६१ स्कालरशिप्स मिले हुए हैं। इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके लिए हमने प्रार्थना भी की थी। हमारे राज्य में २२ ज़िलों में से १४ ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि आदिवासियों का बहुमत है, वहां पर हमने जिला सभाएं कीं जिनमें कि लाखों आदिवासी आये और उन्होंने अपनी सभाओं में प्रस्ताव पास किये और उस प्रस्ताव की एक एक प्रति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और श्रीकान्त जी तथा अपने राज्य के राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा आदिवासी कल्याण मंत्री के पास और जो आदिवासी विभाग के डायरेक्टर हैं उन सब के पास भेजी। जिसमें प्रार्थना की गई है कि आये दिन जो हमारे लोगों में धर्म परिवर्तन होता रहता है, इसको रोकने का प्रयत्न किया जाय और उसके लिए हमने सुझाव दिया कि हमारे आदिवासियों के और धर्मपरिवर्तित आदिवासियों की संख्या की अनुपा संरक्षित नौकरियों में स्थान तथा स्कॉलरशिप्स और अनुदान की रकम अलग कर दिये जायं। हमारी विशेष मांग थी। यह जो मांग हमने उस प्रस्ताव में की थी उसका किसी महकमे से जवाब भी नहीं आया कि हमारी उस मांग पर ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमें जवाब मिला कि हमें आपका प्रस्ताव मिला है.....

Dr. M. M. Das: May I know whether he is talking of Central Government scholarships?

Shri Ulkey: Yes, Central Government scholarships.

Dr. M. M. Das: I may submit that during last year and this year also, every Scheduled Caste and Scheduled Tribe scholar, who is eligible, that is,

[Dr. M. M. Das]

whose father's income is below a certain amount, is given a scholarship. Scholarships are given on that basis.

Shri Bhagwat Jha Azad (Purnea *cum* Santal Parganas): Does he refute the allegation that most of the students who are getting those scholarships are converts and not Scheduled Tribe people?

श्री डहके : जितने आदिवासी हैं उनको स्कालरशिप्स उनकी जनसंख्या के अनुपात से एलाट किये जायं और इसी तरह आदिवासी और धर्म परिवर्तित आदिवासियों को नौकरियों में भी जनसंख्या के अनुपात से रिजरवेशन दिया जाय। इसी तरह से सेना में भी उनका कोटा पूरा किया जाना चाहिए। चार वर्ष पहले तक तो यह हालत थी कि हमारे आदिवासियों को नान मार्शियल रेस माना जाता था और उनको फौज में जगह नहीं मिलती थी। यह रिपोर्ट में फ़ौज में आप कमांडर, मेजर और फर्स्ट क्लास के अफ़सर देखते भी हैं वह सारे हमारे आदिवासी जो कि अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गये, वे हैं। मैंने हमेशा सरकार का ध्यान इस खतरे की ओर दिलाया है कि हमारे आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन करके उन्नति कर लेते हैं और बड़े अफ़सर बन जाते हैं, तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको खास रिआयत दे और संरक्षण दे और उनकी उपेक्षा न करे जिससे वह अपने धर्म में बने रहें और हिन्दू धर्म का एक अंग बने रहें। मैं आशा करता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय मेरी इन चन्द बातों पर ध्यान देंगे और जो ज़रूरी कार्यवाही है उसको करेंगे।

श्री एम० बी० वद्य : (अहमदाबाद-अनुसूचित जातियां) : जी, शेड्यल्ड कास्ट कमिश्नर की जो दो रिपोर्टें यहां पर एक साथ विचार करने के लिए रक्खी गयीं हैं उन पर हमारे बहुत से दोस्तों ने अपनी अपनी बातें सुनाई हैं।

मैं भी बहुत संक्षेप में अपने कुछ विचार उस के बाबत आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि वह हरिजन और आदिम जाति जिसने हिन्दुस्तान को खड़ा किया था वह जाति कितने ही वर्षों से उपेक्षित पड़ी है और देशवासियों ने सवर्णों ने उन्हें अपने से अलग सा डाल दिया है।

उनको शिक्षा नहीं दी गई। उनके सारे कार बार को खत्म कर के, उन से सेवा तो ज्यादा ली, लेकिन उन को जो सत्संग देना चाहिये था, जो एजुकेशन देनी चाहिये थी, वह नहीं दी गई। पूज्य महात्मा गांधी के आने के बाद हमें भी कुछ हौसला हुआ कि हिन्दुस्तान में जो हमारे एक-चौथाई आदमी हैं उन का भी कुछ उद्धार होगा। उन्होंने आते ही इस देश में यह ऐलान किया कि

"शूद्रो पदाभ्याम्" हरिजन समाज के पैर हैं जिस जाति का पैर नहीं होता वह जाति कैसे टिक सकती है? मकान बना तो, बिना फाउन्डेशन के मकान कैसे रह सकता है? तो हिन्दुस्तान के यह आदिवासी और हरिजन हिन्दुस्तान के पैर हैं और उस पर यह सवर्ण जाति टिकी हुई है। इस सरकार के द्वारा इन जातियों के लिये जो कुछ भी किया जाय, ज्यादा से ज्यादा किया जाय, वरना वह ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। सरकार को चाहिये कि अपने रुपये पैसे का अनुमान वह गिनती में न करे या कि उसने इतने आदमियों को नौकरियां देदीं, इतनों को स्कालर्शिप्स दे दिये। हमारे डाक्टर साहब ने अभी बतलाया कि एक एक हरिजन और गिरिजन के लड़के को हम स्कोलर्शिप देते हैं। देते होंगे। लेकिन पास हो जाने के बाद चाहे वह लड़के डबल ग्रेजुएट ही क्यों न हों, धक्के खाते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलतीं। मैं गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र से यहां आया हूं। हमारी सौराष्ट्र सरकार ने अपने यहां यह कर रक्खा है कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाय तब तक और किसी को उनके स्थानों पर न लिया जाय। अभी हमारे ही आश्रम म पढ़ा हुआ एक फर्स्ट

क्लास लड़का था, उस को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। सारे गुजरात भर में यह शोर मच गया कि हरिजन को सौराष्ट्र सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बना दिया। आप कोई अच्छी जगह देते हैं तो हमारे लोगों में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि पढ़ने के बाद हमारे लड़के बड़े बड़े स्थानों पर जा सकते हैं और अब तक हमारे माता पिताओं ने जो देश की सेवा की है, एजुकेशन मिलने के बाद हमारे बच्चे उन से भी अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे, लेकिन ऐसा मौका दिया जाय तब न ?

हमारी मिलिटरी में जैसे महारों और चमारों की पल्टन थीं, अभी हमारे भाई ने कहा कि भले ही उनका मगज खुला हुआ न हो, लेकिन उनका शरीर खुला होता है। वह हट्टे कट्टे आदमी मिलिटरी में जाकर देश की बहुत सेवा कर सकते हैं। कम से कम पुलिस में तो, जिस में हमारे लोगों को बहुत कम लिया जाता है और लिया भी जाता है तो उन को किसी ने किसी तरह से वहां से निकाल दिया जाता है, मैंने २५ आदमियों को भेजा, लेकिन हमारे जो बड़ी जातियों के भाई वहां बैठे हुए हैं, वह उन के नुक्स बताते हैं कि आज रात की नौकरी में यह शख्स सो गया था, या इस तरह का उलटा व्यवहार किया था, और इस तरह की बात कह कर और जूठे अन्जाम लगा कर डिसमिस कर देते हैं। आज एक जगह दे दी, लेकिन बाद में बड़ी सफाई से वहां से हमारे आदमी को निकाल दिया जाता है। यह ठीक बात नहीं है। हमारे लिये जब पूना पैक्ट हुआ तो पूज्य बापू के सामने हमारे माननीय स्वर्गीय पंडित मालवीय जी ने सारे देश की ओर से एक प्रतिज्ञा की थी कि इन हरिजनों को हम अपने गले लगायेंगे, और उनके प्रति जो भेदभाव लोग रखते हैं, उसको सारे देश से मिटा देंगे। इस के बाद बापू ने अनशन छोड़ा था। उस प्रतिज्ञा को कई वर्ष हो गये, और उस के बाद हमारी गवर्नमेन्ट ने हम लोगों की मदद से स्वराज्य लिया है। कोई कहे कि यह बेचारे हरिजन और गिरिजन तो यह हरिजन और गिरिजन बेचारे नहीं हैं, हम भी परमात्मा के सब से छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों पर माता पिता का प्रेम सब से ज्यादा होता है। हमें चाहिये कि जो हमारे खास बड़े भाई सवर्ण मित्र हैं वह हमारा ख्याल करें। हम आप की कृपा से या अपनी गरीबी के बहाने से आप से कुछ नहीं लेना चाहते हैं, हम तो अपना भाग लेना चाहते हैं। जिन हरिजनों और गिरिजनों ने देश की आजादी के मार्ग में हजारों की तादाद में जेलें भर दी हैं, मैं अपने गुजरात की ओर से तो कह सकता हूं कि वहां स्वराज्य का झंडा इन्हीं हरिजनों के हाथ में था। पता नहीं कितने हरिजन जेलों में गये, कइयों ने वहां मार भी खाई, कई हिन्दुस्तान की आजादी के लिये मरे भी। स्वराज्य में इतनी कुर्बानी हरिजनों ने की है तो जब उसका हिस्सा बांटना है तो हम को भी हमारा भाग देना चाहिये। अगर आप उससे अधिक दे दें तो यह आप की उदारता होगी, लेकिन कम से कम जो आपने निश्चित किया है कि हर एक मिनिस्ट्री में हम १२ परसेन्ट कम से कम देंगे, हालांकि अभी तक दिया नहीं १ परसेन्ट भी, वह तो दें। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हम लोग इतने लायक नहीं हैं। हमारे लड़के डबल ग्रेजुएट हैं, इससे अधिक और क्या लियाकत चाहिये ? कभी कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे अन्दर जो ऐटिकेट चाहिये वह नहीं है। ऐटिकेट होता कैसे, हजारों वर्षों से तो हम आप से दूर हैं। यही नहीं मद्रास के एक भाई ने कहा कि अगर कोई ग्रेजुएट हरिजन भी पोस्ट आफिस जाता है तो उस को हरिजन होने की वजह से पीटा जाता है। हमारे जाटव वीर जी ने बताया कि हमारे जो जुलस निकलते हैं, उन को भी मारते हैं, बरातों को मारते हैं, घोड़ों पर नहीं चढ़ने देते हैं, मिठाई जो घी की होती है, वह नहीं खाने देते, अगर हमारे घर अच्छे हैं तो उनको गिरा दिया जाता है। यह तो दशा आज हमारे देश में हमारी है, इस को मिटाने के लिये

[श्री एम० बी० वैश्य]

आप को बहुत कुछ करना होगा । इसलिये नहीं कि हम वैसे ही बैठे हुए हैं, अब हमारे नौजवान पढ़ते भी हैं, तैयार भी हो रहे हैं । पहले जो हमारे बुड्ढे आदमी थे, वह कहते थे कि चाहे आप हमारे चार जूते भी मार लें, लेकिन हमें जूते वापस दे दें । अच्छा, भाई साहब, हम तो बुड्ढे हो गये, लेकिन अब हमारे नौजवान दावे के साथ कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, हमारे साथ तुम को न्याय का बर्ताव करना होगा ।

तो अब मैं बहुत बातें न कहते हुए थोड़ी सी बातें आप की सेवा में रखना चाहता हूं कि आप को क्या करना चाहिये । हमारे श्रीकान्त भाई जो इस डिपार्टमेन्ट के खास आदमी हैं, वह हमारे पूज्य बापा के शिष्य हैं, कई वर्षों तक मैं भी उनका तथा महात्मा गांधी का शिष्य रहा हूं । मैं थोड़ी सी बातें ही अब आप के सामने रखना चाहता हूं । हमारे बहुत से भाइयों ने बहुत सी और बातें रक्खी हैं । हरिजन और गिरिजन संसार से बहुत दूर हैं । आज हरिजन ज्यादा संख्या में और गिरिजन थोड़ी संख्या में हैं । हरिजन ज्यादा हैं और उन्हीं के व अन्य देशवासियों के बल पर आजादी जंग छिड़ी थी । लेकिन कई वर्षों से हमें अलग किया हुआ है । तो मैं अपनी सरकार के चरणों में यह बात रखता हूं कि अस्पृश्यता निवारक विधेयक तो हमने पास कर दिया, सारी दुनियां में यह ढिंढोरा पिट गया कि हिन्दुस्तान की सरकार ने अपने यहां से अस्पृश्यता को दूर करने के लिये विधेयक पास किया है । हां, विधेयक जरूर पास हुआ है, लेकिन कई मेरे मित्रों ने यह शिकायतें कीं कि दूर दूर तक के गांवों में उसका नाम निशान तक नहीं पहुंचा कि कौनसा विधेयक किस पार्लियामेन्ट ने पास किया । तो इस का प्रचार हमारे मंच पर से, हमारे पत्रों के द्वारा और वर्तमान पब्लिक के द्वारा सारे देश में हो कि इस विधेयक पर कड़ा अमल किया जायेगा ।

बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार कितना करे, अरे हृदय परिवर्तन करो । हृदय परिवर्तन करने वाले तो सिर्फ बापू थे और पूज्य विनोबा भावे हैं, वह बड़ी बातें करने के लिये हैं । मैं तो यह विनती करता हूं कि जो हमारे सदस्य और साथी यहां बैठे हुए हैं वह जिस कान्स्टिटएन्सी से आये हैं वहां पर लाखों की तादाद में आदमी रहते हैं, वह कृपा कर के अपनी कान्स्टिटुएन्सी के लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें । जो यहां कहते हैं वह पहले अपने घर से तो करने की कोशिश करें । पहले वह अपने घर में करना शुरू करें फिर यहां आ कर करें । लेकिन घर में तो मां नाराज हो जायेगी कि तू हरिजन हो गया है । तो अभी तो घरों में से भी अस्पृश्यता नहीं गई है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गैर सरकारी संस्थायें और समाज सुधारक लोग पहले पब्लिक में इन चीजों पर अमल करें । हृदय परिवर्तन की बात जो कही जाती है तो जो हमारे आफिसर्स लोग हैं, जिन को हम गणपति कहते हैं, वह गणपति अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो जायें तो सब कुछ हो सकता है । कई बार तो पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा होता है, जैसा कि हमारे बर्मन साहब ने बताया, कि हमारे लड़कों की यह दशा है कि वह कमीशन में नहीं पास हो सकते, इसलिये नहीं लिये जाते । लेकिन जब गवर्नमेन्ट अपने डिपार्टमेन्ट से आदमियों को लेती है तो वहां तो कम से कम १२ परसेन्ट लिये जायें ।

तीसरी बात यह है कि सारे देश का जो आधार है, वह हमारी खेती बाड़ी है, ९० परसेन्ट हरिजन आज खेती में लगे हुए हैं । उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है ? वह तो मजदूरी करने के लिए हैं । मजदूरी भी उनको ठीक ठीक नहीं मिलतीहै; इन खेतीहर मजदूरों को कितनी मजदूरी मिले यह भी हमारी गवर्नमेंट अभी तक तय कर नहीं पाई है ।

5 P.M.

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जो वेस्ट लैंडज पड़ी हुई हैं, जो बंजर जमीनें हैं, अगर वह जमीनें इन हरिजनों को दे दी जाएं तो वे लोग अपनी रोजी चला सकते हैं। कहा तो यह जाता है कि यह गोचर जमीन है और इस पर पशु चरते हैं। पशु तो चरते ही रहेंगे लेकिन हरिजन व गिरिजन मनुष्य हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी जमीन उनको दे दी जाए। उसको ठीक बना कर वे लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे और देश में अनाज की पैदावार को भी बढ़ायेंगे। मैं गुजरात से आता हूं। हमारी बम्बई सरकार ने बहुत सी वेस्ट लैंड हरिजनों को दे दी। जब ग्राम्य जनता और उनके अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने कलक्टर से रिपोर्ट करवा दी कि यहां पर तो गौचर भूमि की कमी है। पांच पांच और सात सात साल हो गए हैं उनको यह जमीनें दिए और उन्होंने इन जमीनों को ठीक ठाक भी बना लिया है और अब उनसे यह जमीनें वापस लेने की बातें हो रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह जमीनें उनके पास रहने दी जाएं और दूसरी जगहों पर जहां पर बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं वह भी हरिजनों में बांट दी जानी चाहियें।

गैर सरकारी हरिजन और बनवासी जो संस्थायें हैं उनको प्रान्तीय सरकारों से तो सहायता मिलती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी इनको सहायता दी जाए। जो मदद उनको आजकल प्रान्तीय सरकारों से मिल रही है वह बहुत कम है और उससे उनका गुजारा नहीं होता है और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार यहां से उनको और ज्यादा सहायता दे।

मैं गुजरात से आता हूं और गुजरात में एक बात कही जाती है और मैं उसका जिक्र यहां पर कर देना उचित समझता हूं। हमारे होम मिनिस्टर साहब जो कि यू० पी० से आते हैं वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और हरिजनों की भलाई के कामों में उन्होंने खास दिलचस्पी ली है। अब वे केन्द्रीय सरकार में आ गए हैं। तो गुजरात में ऐसी कहावत है कि नैनीहाल में जमन होता हो परोसने वाली माता हो तो फिर बच्चे कैसे भूखे रह सकते हैं? पन्त जी जो यहां पर होम मिनिस्टर होकर आ गए हैं, वह हमारी माता बनकर आए हैं उनके द्वारा बांटे जाने में हम कैसे भूखे रह सकते हैं। यह बच्चे भूखे नहीं रहेंगे यही आशा है। हमारे दातार साहब जी भी कई सालों से यह काम कर रहे हैं। उनकी दातारी भी मुझे उम्मीद है हम गरीबों पर ठीक ठीक चलती रहेगी। यह धर्म का काम है देश की भलाई का काम है, गरीबों को उठाने का काम है, हम सब को मिल कर इसे करना चाहिये।

Mr. Chairman: The discussion will continue to-morrow.

PONDICHERRY ASSEMBLY

Mr. Chairman: Now, Shri H. N. Mukerjee is to raise a half-an-hour discussion on points arising out of answer given on the 1st September, 1955, to Starred Question No. 1326 regarding Pondicherry Assembly.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North-East): I have sought to have this half-an-hour discussion on account of what appeared to us to be the unsatisfactory nature of the answer to starred question No. 1326 on the 1st of this month. On that occasion we learnt from the Deputy Minister of External Affairs that French rules governed the newly-elected Pondicherry Assembly and that the Assembly was essentially a consultative body of elected representatives which had no legislative powers but which could pass resolutions which, however, could be turned down by the "head of the State", a somewhat pompous designation for the Chief Commissioner of Pondicherry, with the approval of the Government of India. When it was asked if rules regarding electoral rolls had been drastically changed from